₹ 15

हिन्दी भाषियों की मासिक पत्रिका

क्रान्ति

फरवरी 2013

- चिंतन से ही स्वस्थ समाज का निर्माण
  –सीताराम गुप्ता
- जातिवाद की समस्या का समाधान
  –मुहम्मद अमान हसीन
- नारी सुरक्षा का ज्वलंत एवं गंभीर प्रश्न
  –संपादकीय
- महिलाओं पर अधिनियमों का प्रभाव
  –मुहम्मद खुर्शीद आलम

आपकी आशाओं का सुन्दर प्रतिबिम्ब

हिन्दी भाषियों की मासिक पत्रिका

कान्ति

मीडिया जन-चेतना पैदा करने का सशक्त माध्यम है । चाहे वह प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक या इंटरनेट इन सभी के द्वारा जनता में जागरूकता पैदा करने का प्रयास किया जाता है । यह मीडिया की प्रचलित परिभाषा है । 'कान्ति' की पत्रकारिता निश्चित रूप से इस परिभाषा से हट कर इस मायने में है कि यह मौलिक रूप में भले और कल्याण की आवाहक है । वास्तव में यह आपकी आशाओं और अभिलाषाओं का सुन्दर प्रतिबिम्ब और उनकी प्रस्तुति है । मानव की अन्तर्रात्मा की आवाज़ है ।

'कान्ति' वह मासिक पत्रिका है, जो मानव की आध्यात्मिक आवश्यकता की पूर्ति के साथ ही उसमें सकारात्मक सोच और मानसिकता पैदा करती है । यह मानव की लौकिक और पारलौकिक दोनों समस्याओं के आदर्श हल का मार्ग प्रशस्त करती है । साथ ही मानवों को स्वस्थ, रचनात्मक और सफल जीवन जीने का मार्ग सुझाती है । 'कान्ति' उन्हें इस बात के लिए तैयार करती है कि वे जो भी कर्म करें, वे सर्वकल्याणकारी हों । यह एक स्पष्ट सच्चाई है कि वास्तविक धार्मिक शिक्षाओं और नैतिक एवं मानवीय मूल्यों के सही अनुपालन से ही सही सोच और मानसिकता विकसित हो सकती है ।

अत: 'कान्ति' इस्लाम की कल्याणकारी शिक्षाओं को जन-जन तक पहुंचाने के लिए संकल्पबद्ध है । यह पत्रिका इस्लाम और मुसलमानों के बारे में दुष्प्रचारों का उचित एवं बुद्धिसंगत स्तर देकर उनका निवारण करती है । जीवन की वास्तविक समस्याओं का हल भी इस्लाम की शिक्षाओं में निहित है । 'कान्ति' (मासिक) हिन्दी भाषा के माध्यम से पिछले लगभग दो दशकों अर्थात 1991 ई० से मानवता की सेवा का यह कार्य निरंतर अंजाम दे रही है ।

'कान्ति' पढ़िए और पढ़ाइए

इसे जन-जन तक पहुंचाने में आपका सहयोग अपेक्षित है।

प्रति कॉपी- ₹ 20 • वार्षिक- ₹ 220

प्रबंधक 'कान्ति'

डी-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर, नयी दिल्ली-110025

फ़ोन : 09818799223, 011-26949430

आपकी आशाओं का सुन्दर प्रतिबिम्ब

हिन्दी भाषियों की मासिक पत्रिका

कान्ति

वर्ष 22 अंक 8 फ़रवरी 2013

ऐ लोगो अपने रब का डर रखो जिसने तुमको एक जान से पैदा किया और उसी जाति का उसके लिए जोड़ा पैदा किया और उन दोनों से बहुत से पुरुष और स्त्रियां फैला दीं।

–क़ुरआन

संपादक

डॉ० मुहम्मद अहमद

अपने विचार, लेख, रचनाएं भेजने एवं संपादकीय मामलों के लिए लिखें–

संपादक, 'कान्ति' मासिक

डी-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव

जामिया नगर, नयी दिल्ली–110025

ई मेल editorkanti@yahoo.com

* * *

ख़रीदार बनने, एजेंसी लेने, प्रचार-प्रसार एवं प्रबंधकीय मामलों के लिए लिखें–

प्रबंधक, 'कान्ति' मासिक

डी-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव

जामिया नगर, नयी दिल्ली–110025

* * *

फ़ोन संपादकीय एवं प्रबंधकीय

09818799223, 011-26949430

सहयोग राशि

एक प्रति रु० 15/- विशेषांक रु० 25/-

वार्षिक रु० 160/-, दो वर्ष 300/-, पांच वर्ष 700/-

सऊदी अरब और खाड़ी के देशों से–60 रियाल

यूरोप व अमेरिका से–25 US डॉलर

वेब : **www.kanti.in**

चेक / ड्राफ्ट **'मासिक कान्ति'** के नाम से बनवाएं

मानवता का त्याग न करना

मानव ! तुम दानव मत बनना ।
मानवता का त्याग न करना ।।

सदा सभी का सम्बल बनना ।
नहीं किसी से भी छल करना ।
एक नेक इन्सान बनो तुम,
नेकी के पथ पर ही चलना ।

कभी किसी से घात न करना ।
मानवता का त्याग न करना ।।

कभी किसी का दिल न दुखाना ।
सदा सभी का कष्ट मिटाना ।
पथ में भटक गये जो उनको,
उनकी मंज़िल तक पहुंचाना ।

कभी कर्म-पथ से मत ड़िगना ।
मानवता का त्याग न करना ।।

जन-सेवा निज लक्ष्य बनाना ।
परहित में तुम मर-मिट जाना ।
भू का कोना-कोना महके,
ऐसा तुम सुवास फैलाना ।

ग़लत राह पर क़दम न रखना ।
माऩवता का त्याग न करना ।।

डगर बुराई की न पकड़ना ।
बुरे काम से तौबा करना ।
सबको इज़्ज़त प्यारी होती,
इज़्ज़त पर हमला मत करना ।

सबसे प्रेम-भाव से मिलना ।
मानवता का त्याग न करना ।।

■ **डॉ० त्रिलोकी सिंह**

ग्राम-हिन्दूपुर, पो०-करछना, इलाहाबाद (उ०प्र०)



कहां, क्या है ?

मानवता का त्याग न करना	–डॉ॰ त्रिलोकी सिंह	3
कुरआन ज्योति		5
हदीस मंजरी		6
नारी सुरक्षा का ज्वलंत एवं गंभीर प्रश्न (संपादकीय)		7
इस्लाम संसार का सबसे अधिक व्यावहारिक धर्म (आपके पत्र)		13
दलित 'दामिनी' का ऐतिहासिक संदर्भ (विचारार्थ)	–डॉ॰ सुरेश उजाला	15
जातिवाद की समस्या का समाधान (प्रेरणा)	–मुहम्मद अमान होवॉम	18
स्वतंत्रता–सपना और हक़ीक़त (विचारणीय)	–पुष्पा श्रीवास्तव	21
क्षणिकाएं	–डॉ॰ शरद नारायण खरे	23
जिस देश में गंगा बहती है और यमुना भी (फेसबुक उवाच)	–डॉ॰ मुहम्मद अहमद	25
सामूहिक सकारात्मक चिंतन से ही स्वस्थ समाज का निर्माण (विशेष आयोजन)	–सीताराम गुप्ता	26
इस्लाम में चरित्र एवं आचरण की महत्ता (विशेष आयोजन)	–मौलाना सैयद हामिद अली	30
आत्महत्या की बढ़ती घटनाएं (उद्‌गार)	–सुनीता शर्मा	33
कबूतरख़ाना (कहानी)	–डॉ॰ सलीम ख़ान	35
मुनाफ़े का बढ़ता रोग (सरोकार)	–अरविन्द कुमार सेन	39
कारनामे, फूल पे शबनम (कविताएं)	–अहद प्रकाश	41
बिंदु में सिंधु है 'अंजुरी' (पुस्तक समीक्षा)	–डॉ॰ डोमन साहू 'समीर'	42
शब्द का औक़ात से बढ़कर बोलना ही काव्य है (साहित्य समाचार)		43
महिलाओं की सामाजिक स्थिति पर अधिनियमों का प्रभाव (ज्वलंत सामयिक)	–मुहम्मद ख़ुर्शीद आलम	45
सफ़ेदपोश अपराध एवं इससे उत्पन्न परिणाम (सरोकार)	–इक़बाल अहमद	47
मनोनिग्रह की आवश्यकता (दृष्टिकोण)	–सुनीता शर्मा	49
दोहे (बालवीथी)	–रोहित यादव	50
भारत के राष्ट्रीय प्रतीक (बालवीथी)	–विद्या प्रकाश	50

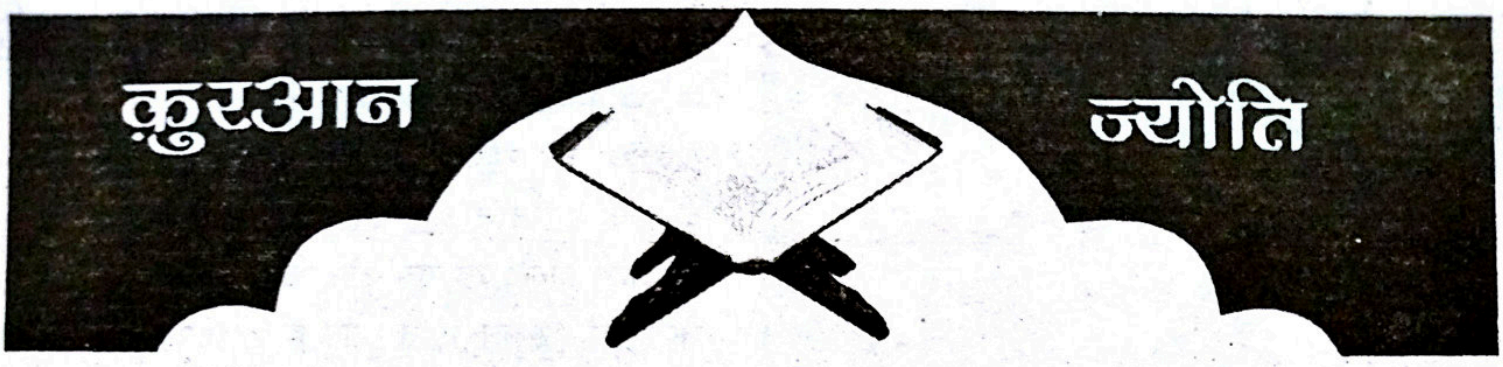

(14-15) इनसे लड़ो, अल्लाह तुम्हारे हाथों से उनको सज़ा दिलवाएगा और उन्हें अपमानित करेगा और उनके मुक़ाबले में तुम्हारी सहायता करेगा और बहुत-से ईमान वालों के दिल ठंडे करेगा और उनके दिलों की जलन मिटा देगा, और जिसे चाहेगा तौबा का सौभाग्य भी प्रदान करेगा।[17] अल्लाह सब कुछ जानने वाला और तत्वदर्शी है। (16) क्या तुम लोगों ने यह समझ रखा है कि यूं ही छोड़ दिये जाओगे, हालांकि अभी अल्लाह ने यह तो देखा ही नहीं कि तुममें से कौन वे लोग हैं जिन्होंने (उसकी राह में) जान खोई और अल्लाह और रसूल और ईमान वालों के सिवा किसी को घनिष्ठ मित्र न बनाया[18], जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसकी ख़बर रखता है।

(17) मुशरिकों का यह काम नहीं है कि वे अल्लाह की मस्जिदों के मुजाविर व सेवक बनें जबकि अपने ऊपर वे स्वयं कुफ़्र (इन्कार) की गवाही दे रहे हैं।[19] उनका तो सारा किया-धरा अकारथ हो गया[20], और जहन्नम में उन्हें सदैव रहना है।

–क़ुरआन, 9 : 14-17

---

17. यह एक हल्का-सा संकेत है उस संभावना की ओर जो आगे चलकर घटना के रूप में प्रकट हुई। मुसलमान जो यह समझ रहे थे कि बस इस एलान के साथ ही देश में ख़ून की नदियां बह जाएंगी, उनके इस भ्रम को दूर करने के लिए संकेत के रूप में उन्हें बताया गया है कि यह नीति अपनाने में जहां इसकी संभावना है कि युद्ध छिड़ जाएगा, वहीं इसकी भी संभावना है कि लोगों को तौबा का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा, लेकिन इस संकेत को अधिक स्पष्ट इसलिए नहीं किया गया कि ऐसा करने से एक ओर तो मुसलमानों की लड़ाई की तैयारी हल्की पड़ जाती और दूसरी ओर मुशरिकों के लिए उस धमकी का पहलू भी हल्का हो जाता जिसने उन्हें पूरी गंभीरता के साथ अपनी कमज़ोर स्थिति पर विचार करने और अन्ततः इस्लामी व्यवस्था में आत्मसात हो जाने पर तैयार किया।

18. संबोधन है उन नये लोगों से जो निकट के समय में इस्लाम लाये थे। उनसे कहा जा रहा है कि जब तक तुम इस परीक्षा से गुज़रकर यह प्रमाणित न कर दोगे कि वास्तव में तुम अल्लाह और उसके दीन को अपनी जान व माल और अपने भाई-बन्दों से बढ़कर प्रिय रखते हो, तुम सच्चे ईमान वाले नहीं कहे जा सकते। अब तक तो प्रत्यक्ष को देखते हुए तुम्हारी स्थिति यह है कि इस्लाम चूंकि सच्चे ईमान वालों और सबसे पहले ईमान लाने वालों की कुर्बानियों से विजयी हुआ और देश पर छा गया, इसलिए तुम मुसलमान हो गये।

19. अर्थात जो मस्जिदें एक अल्लाह की इबादत के लिए बनी हों उनके मुतवल्ली, मुजाविर, सेवक और आबादकार बनने के लिए वे लोग किसी तरह योग्य नहीं हो सकते जो अल्लाह के साथ अल्लाह के गुणों, हक़ों और अधिकारों में दूसरों को साझीदार ठहराते हों। फिर जबकि वे स्वयं भी तौहीद की दावत स्वीकार करने से इन्कार कर चुके हों और उन्होंने साफ़-साफ़ कह दिया हो कि हम अपनी बन्दगी और इबादत को एक अल्लाह के लिए विशिष्ट कर देने पर तैयार नहीं हैं, तो आख़िर उन्हें क्या अधिकार है कि किसी ऐसी इबादतगाह के मुतवल्ली बने रहें जो केवल अल्लाह की इबादत के लिए बनायी गयी थी।

यहां यद्यपि बात सामान्य रूप से कही गयी है और अपनी वास्तविकता की दृष्टि से यह सामान्य है भी, लेकिन मुख्य रूप से यहां इसका उल्लेख किये जाने का अभिप्राय यह है कि ख़ाना काबा और मस्जिदे हराम पर से मुशरिकों के प्रबंध अधिकार को समाप्त कर दिया जाए और उस पर सदा के लिए तौहीद वालों (एकेश्वरवादियों) को प्रबंध अधिकारी बना दिया जाए।

20. अर्थात जो थोड़ी-बहुत वास्तव में उन्होंने बैतुल्लाह की सेवा की, वह भी इस कारण अकारथ हो गयी कि ये लोग उसके साथ शिर्क और अज्ञानपूर्ण रीतियों की मिलावट करते रहे। उनकी थोड़ी भलाई को उनकी बहुत बड़ी बुराई खा गयी।

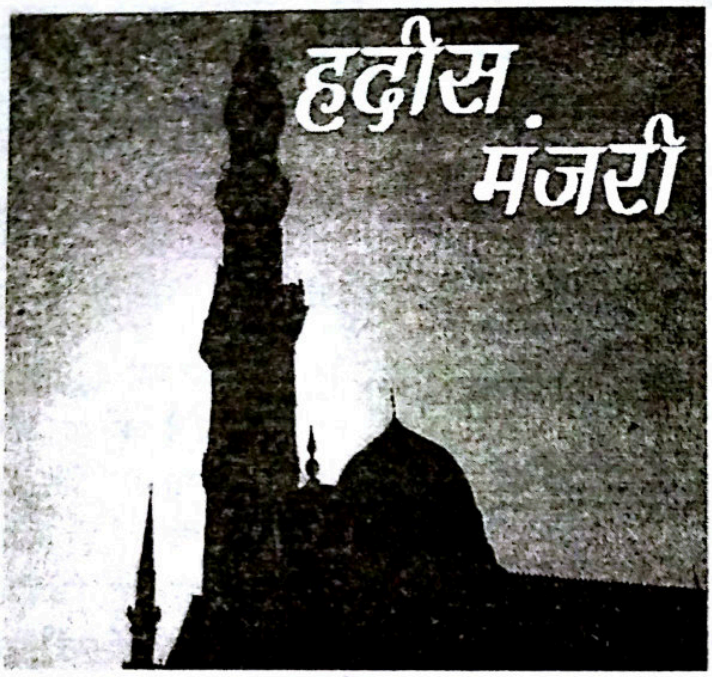

क़मीज़ और आस्तीन की लंबाई

इनमें से किसी चीज़ को गर्व के कारण लटकाना वर्जित है, बिना गर्व के भी अनुचित है ।

● हज़रत इब्न उमर (रज़ि॰) से रिवायत है कि नबी (सल्ल॰) ने कहा : "जो व्यक्ति घमंड के कारण अपना कपड़ा लटकाएगा, तो क़ियामत के दिन अल्लाह उसकी ओर नहीं देखेगा ।" इस पर हज़रत अबू बक्र (रज़ि॰) ने कहा : ऐ अल्लाह के रसूल (सल्ल॰), मेरा तहबंद नीचे लटक जाता है । यह और बात है कि मैं इसका विशेष रूप से ध्यान रखूं। इस पर अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने उनसे कहा : "तुम उन लोगों में से नहीं हो जो घमंड से ऐसा करते हैं ।"

–बुख़ारी

मुस्लिम ने भी इसके कुछ अंशों की रिवायत की है ।

● हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि॰) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा : "क़ियामत के दिन अल्लाह उस व्यक्ति की ओर नहीं देखेगा जो गर्व से अपना तहबंद घसीटता है ।" –बुख़ारी, मुस्लिम

● हज़रत अबू ज़र (रज़ि॰) से रिवायत है कि नबी (सल्ल॰) ने कहा : "तीन व्यक्ति ऐसे हैं कि क़ियामत के दिन अल्लाह न उनसे बात करेगा और न उन्हें निखारेगा उनके लिए दुखदायिनी यातना है ।" अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने यह बात तीन बार दोहरायी । हज़रत अबू ज़र (रज़ि॰) ने कहा : वे लोग असफल होकर रह गये और घाटे में पड़े । ऐ अल्लाह के रसूल (सल्ल॰), वे कौन हैं ? आपने कहा : 'गर्व से अपने कपड़े लटकाने वाला, एहसान जताने वाला और झूठी क़समों से अपने माल को बेचने वाला ।"

–बुख़ारी

मुस्लिम ही की एक रिवायत में ये शब्द आये हैं : "अपने तहबंद को लटकाने वाला ।"

● हज़रत इब्न उमर (रज़ि॰) से रिवायत है । वे कहते हैं कि मैं अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) के पास से गुज़रा । मेरा तहबंद लटका हुआ था । आपने कहा : "ऐ अब्दुल्लाह, अपना तहबंद ऊंचा करो ।" मैंने उसे ऊंचा किया । आपने फिर कहा : "और ऊंचा करो ।" मैंने और उठा लिया । इसके बाद मैं बराबर ऊंचा रखने की कोशिश करता रहा । कुछ लोगों ने कहा : इसे कहां तक रहना चाहिए ? कहा : "आधी पिंडली तक ।" –मुस्लिम

● हज़रत इब्न उमर (रज़ि॰) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा : "जिस व्यक्ति ने गर्व से अपना कपड़ा घसीटा अल्लाह क़ियामत के दिन उसकी ओर नहीं देखेगा ।" हज़रत उम्म सलमह (रज़ि॰) ने कहा : औरतें अपने दामन के साथ क्या करें ? आपने कहा : "एक बालिश्त (बित्ता) बढ़ा लें ।" उन्होंने कहा : इससे यदि उनके पांव खुले रहें ? आपने कहा : "फिर हाथ भर बढ़ा लें । इससे अधिक नहीं ।"

–अबू दाऊद, तिरमिज़ी । तिरमिज़ी ने कहा कि यह हदीस 'हसन सहीह' है ।

('रियाज़ुस्सालिहीन' से)

इस्लाम-परिचय
हिन्दी वेबसाइटें
www.quranhindi.com
www.islamdharma.org
www.islamicwebdunia.com
www.islamic-videos.com

नारी सुरक्षा का ज्वलंत एवं गंभीर प्रश्न

देश की राजधानी दिल्ली में विगत वर्षान्त मास में 16 दिसम्बर को फिजियोथेरेपिस्ट ज्योति सिंह पाण्डेय नामक युवती के साथ गैंग रेप की निंदनीय घटना, जिसके कारण बाद में युवती की मृत्यु हो गयी थी, ने जनता को अति उद्वेलित करने के साथ बहुत सारे सवालों को जन्म दिया है । इस घटना से सबसे अधिक सरकार ने राहत की सांस ली है, क्योंकि एफ०डी०आई० और भ्रष्टाचार के 'चंगुल' में फंसी छटपटा रही सरकार के दिल में इससे ऑक्सीजन का संचार हुआ है । जनता इन मुद्दों को भूल गयी और विपक्ष को भी सरकार पर निशाना साधने का 'महिला सुरक्षा' का ज्वलंत मुद्दा मिल गया । इस बहाने विपक्ष ने एड़ी-चोटी का ज़ोर लगाते हुए केन्द्र सरकार के विरोध में ज़ोरदार प्रदर्शन करवाया मानो यह जताने की कोशिश की गयी कि महिला-सुरक्षा और सम्मान को तार-तार करने में उसका कोई हाथ नहीं है और वह दूध का धुला हुआ है । वर्चस्ववादी मीडिया भी उसके साथ खड़ा रहा, क्योंकि उसे आंतरिक रूप से यह पसन्द नहीं कि कोई भी चीज़ पूंजीवाद के ख़िलाफ़ जाए । उसे 'निर्वस्त्र' महिला चाहिए, जिसके सहारे पूंजीवाद के धुरंधर अपना उत्पाद बेच सकें । वैसे भी मार्केट के तथाकथित गुरुओं को सदियों से बस एक ही गुर आता है—स्त्री-अधिकार के ख़ूबसूरत मुलम्मे के साथ एवं उसकी आड़ में स्त्री-देह शोषण ! यही उनके मनोविज्ञान का मूलमंत्र है । अतः वर्चस्ववादी मीडिया (प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक) की दूकानों पर कई दिनों तक बस एक ही माल मिला । स्त्री-विमर्शकार एक ही विमर्श में उलझे रहे कि ऐसी सूरत बने कि स्त्री बड़े-से बड़े 'मानवभक्षी' जानवरों के बीच जाए, लेकिन चमत्कारिक रूप से सुरक्षित रहे, वह भी हर बार !!! लेकिन कैसे ? इस पर बहुत से विचार सामने आ चुके हैं, जिनमें कुछ विचार ऐसे प्रसूत हुए, जिनका अत्यंत अल्पावधि जीवन रहा, जबकि ये रहे बड़े उल्लेखनीय एवं महत्वपूर्ण । विरोधों के चलते विचार प्रकट करने वाले या वक्तव्य देने वाले सज्जन ठंडे पड़ गये और माफ़ी-तलाफ़ी में ऐसे जुट गये मानो उनसे कोई बड़ा अपराध हो गया हो । किस-किसका नाम लें ? बहरहाल महामहिम राष्ट्रपति महोदय के सुपुत्र का नाम लेते हैं, जो कांग्रेस के सांसद हैं । नाम है अभिजीत मुखर्जी । आपके उस बयान पर दृष्टि डालनी चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा था कि "सुंदर-सुंदर लड़कियां सज-धज कर हाथ में मोमबत्ती लेकर प्रदर्शनों में आती हैं, मुझे तो उनके छात्र होने पर ही शक होता है । उन्होंने कहा कि हम भी कॉलेज गये हैं और जानते हैं कि कॉलेज के बच्चे कैसे होते हैं । आजकल रात में डिस्को जाना और सुबह मोमबत्ती लेकर कैंडल मार्च करना फैशन हो गया है । "यह बात दूसरी है कि अवांछित दबाव के चलते उन्हें अपना बयान वापस लेना पड़ा । कई पार्टियों के नेताओं ने इस बहाने अपनी सियासत चमकाई ।

भाजपा और माकपा समेत कई दलों ने उनके बयान की आलोचना की । बी०जे०पी० की महिला मोर्चा की अध्यक्ष स्मृति ईरानी ने मुखर्जी के बयान को असंवेदनशील क़रार देते हुए कहा कि उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए । सी०पी०एम० की वृंदा करात ने भी बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया । वहीं महिला-अधिकारों की पैरवी करने वाली रंजना कुमारी ने कहा है कि 'यह बयान बहुत ही ग़ैरज़िम्मेदाराना है । लगता है कि कोई पान की दुकान पर खड़ा आदमी यह बयान दे रहा है । 'बहरहाल मुखर्जी जी अपना संदेश अवाम तक ठीक-ठीक पंहुचाने में कामयाब रहे । उनका यह बयान दिल्ली बलात्कार कांड के बाद एवं जनता के विरोध-प्रदर्शनों का सिलसिला

थमने के बाद आया था । पाठकों को यह भी बताते चलें कि लगभग बीस दिनों तक प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों में औरतों के बलात्कार और छेड़छाड़ एवं उनके विरोध की ख़बरें प्रमुखता से छपीं । दिल्ली को दरिन्दों/बलात्कारियों की दिल्ली कहा । राजधानी दिल्ली की गिनती लड़कियों के लिए सबसे असुरक्षित शहर के रूप में की गयी । बेशक दिल्ली लड़कियों के लिए असुरक्षित है, मगर किसी अन्य शहर को भी उनके लिए सुरक्षित नहीं कहा जा सकता है । उत्तर प्रदेश हो या दिल्ली कहीं भी वे यौन शोषण की शिकार हो रही हैं । शहर तो छोड़िये दूरदराज़ के गांवों तक में धोखे से लड़कियों के अश्लील एम॰एम॰एस॰ बनाये जाने की ख़बरें सुनायी देती हैं । आये दिन बलात्कार और छेड़छाड़ की घटनाओं से अख़बार-टी॰वी॰ चौनल पटे रहते हैं । रास्ते में मनचले लड़कों, स्कूल-कालेजों में टीचरों, घर में रिश्तेदारों और थाने में पुलिस वालों द्वारा बलात्कार या छेड़छाड़ जैसे समाचार रोज़ देखने-पढ़ने को मिलते हैं । दिल्ली में चलती बस में एक लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार का मामला तो दिल दहलाने वाला है ही । महिला उत्पीड़न के मामलों में दिल्ली पुलिस 'हेल्पलाइन' अभियान चलाने वाले चाहे जितने दावे कर लें, पर सच यह है कि भारत के किसी भी बड़े शहर के मुक़ाबले राजधानी दिल्ली में महिलाएं सबसे कम सुरक्षित हैं । यहां प्रतिदिन एक से ज़्यादा बलात्कार के मामले दर्ज हो रहे हैं और छेड़छाड़ एवं यौन उत्पीड़न की दो से अधिक घटनाएं प्रकाश में आती हैं ।

'नेशनल क्राइम रिकार्ड्स ब्यूरो' के आंकड़ों के मुताबिक़ हर साल देश के सभी बड़े शहरों में कुल मिलाकर बलात्कार के जितने मामले दर्ज होते हैं, उनमें एक-तिहाई से ज़्यादा मामले अकेले दिल्ली शहर के होते हैं । इसी तरह छेड़छाड़ के मामले में भी दिल्ली शहर का ग्राफ़ सबसे ऊपर रहता है । महानगरों एवं प्रमुख राज्यों की राजधानियों समेत सभी बड़े शहरों में महिलाओं से छेड़छाड़ एवं उत्पीड़न के जितने मामले दर्ज होते हैं, उनमें से क़रीब 25 फ़ीसदी मामले अकेले दिल्ली के होते हैं । एक सर्वे के मुताबिक़ दिल्ली में ही ''चाइल्ड रेप'' की घटनाएं सर्वाधिक होती हैं । ग़ौरतलब है कि छोटी लड़कियों के साथ होने वाली बलात्कार की 80 फ़ीसदी घटनाओं में अभिभावक ही लिप्त पाये गये हैं । देखा गया है कि ज़्यादातर मामलों को तो पुलिस दर्ज ही नहीं करती है । यदि किसी तरह बलात्कार के मामले दर्ज हो भी जाते हैं, तो उनमें अधिकतर मामलों की कोई जांच-पड़ताल नहीं होती । ऐसे मामले ख़बर की सुर्ख़ियों में भी नहीं आते । ख़बर तब बनती है, जब कोई बड़ा हादसा हो जाता है । ऐसी ख़बरें टेलीविज़न पर आ जाने के बाद सब कुछ एक ''इवेंट'' का रूप ले लेता है । क़रीब दो वर्ष पहले हुए ऐसे ही एक सर्वेक्षण से पता चला कि भारत में बलात्कार के 16 फ़ीसदी मामले ही पुलिस थाने में दर्ज हो पाते हैं । बलात्कार की शिकार क़रीब 84 प्रतिशत औरतें विभिन्न तरह के दबावों के चलते शिकायत दर्ज करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पातीं । आंकड़ों के मुताबिक़ बलात्कार पीड़ित महिलाओं में क़रीब एक-तिहाई की उम्र 16 वर्ष से कम होती है । ग्रामीण अंचलों में तो बमुश्किल एक प्रतिशत मामले ही दर्ज हो पाते हैं । सबसे शर्मनाक बात यह है कि 100 में से मात्र 4 बलात्कारियों को ही अदालत से दंड मिल पाता है, बाक़ी 96 का कुछ नहीं बिगड़ता । वे समाज में सरेआम सीना तानकर घूमते रहते हैं । एक तथ्य यह भी उजागर हुआ है कि बलात्कार की शिकार 100 महिलाओं में क़रीब 84 महिलाएं बलात्कारी को अच्छी तरह पहचानती हैं और 10 में से 3 मामलों में बलात्कारी पड़ोसी होता है । यही नहीं 100 में से लगभग 3 बलात्कारी परिवार के ही सदस्य होते हैं । इसके बावजूद पीड़ित महिला को अदालत से न्याय नहीं मिल पाता । लगातार बढ़ रहे यौन हिंसा के कारणों को जानना ज़रूरी है । लगातार बढ़ते यौन शोषण के मामले क्या हमारे विकृत होते जा रहे समाज की तरफ़ इशारा नहीं करते हैं । मीडिया में बढ़ते यौन चित्रण, महिलाओं को प्रदर्शन की वस्तु चित्रित करने वाले अश्लील विज्ञापनों, फ़िल्मों में बढ़ती अश्लीलता-नग्नता पुरुष के

मन-मस्तिष्क में ज़हर घोलने का काम करती है और महिला विरोधी माहौल पैदा करती है, बढ़ते शराब कल्चर और स्त्री-शोषण केन्द्रों पर रोक लगायी जाए । दफ़्तरों में भी स्त्रियां सुरक्षित नहीं हैं । लेकिन यह कम चिंता की बात नहीं है कि इन कारकों की ओर ध्यान नहीं दिया जाता । ज़रूरत यह भी है कि अश्लीलता के ख़िलाफ़ जन-चेतना जगायी जाए । इसे लेकर धरना-प्रदर्शन का आयोजन हो, जिनके द्वारा लड़के-लड़कियों एवं सर्व समाज को मर्यादित एवं संस्कारवान बनाने पर भी ज़ोर दिया जाए, ताकि स्त्री-शोषण की घृणित मानसिकता का अंत हो सके ।

दामिनी रेपकांड के बाद इतना बदलाव ज़रूर आया है कि नारी-प्रताड़ना की घटनाएं पहले के मुक़ाबले अधिक सामने आने लगी हैं । पहले जो केस दबा दिये जाते थे, अब उतना नहीं दब पाते । यही वजह है कि पिछले दिनों विरोध-प्रदर्शनकारी दिल्ली के इंडिया गेट पर आंसू गैस के गोले, लाठी चार्ज और ठंड में भी पानी की बौछारों का सामना करते रहे, उसी 72 घंटे के दौरान देश में 150 बलात्कार की घटनाएं हुईं । कहने का मतलब यह कि बेदारी इतनी आयी कि बहुत-सी घटनाएं सामने आ ही गयीं, लेकिन अफ़सोस यह कि ये घटनाएं चर्चा-परिचर्चा और विचार-विमर्श का कारण नहीं बनीं । लगता है किसी ने इन भयावह आंकड़ों की ओर ध्यान नहीं दिया । 72 घंटे के ये आंकड़े यह बताने में सक्षम हैं कि हमारा समाज दरिन्दगी के कितने बुरे दौर से गुज़र रहा है ! क्या यह स्थिति यूरोप की उस प्राचीन स्थिति से भी बदतर नहीं है, जब स्त्रियों का मानवीय वजूद तस्लीम ही नहीं किया जाता था । स्त्रियों को बेरूह का माना जाता था और यह मानकर जुल्म-ज़्यादती की इन्तिहा होती थी । इस्लाम ने बेदारी पैदा की और हालात बदले, लेकिन ये भी अतिशयोक्ति के शिकार हो गये । स्त्री-स्वतंत्रता की आड़ में स्त्री-शोषण को बढ़ा दिया गया और पूंजीवाद के मुलम्मे में स्त्री को भी नक़ली आफ़ियत का एहसास हुआ । नारी-सम्मान धूमिल हुआ और वह इस ग़लतफ़हमी में आज तक है कि उसकी स्थिति में सुधार आया है ।

हमारे देश पर भी पूंजीवाद की यलग़ार है । जैसा कि ऊपर लिखा गया कि थैलीशाहों के सारे प्रोडक्ट नारी-जिस्म की नुमाइश एवं शोषण के सहारे बिकते हैं । उन्हें पता है कि घटिया से घटिया माल नारी-जिस्म के सहारे बिक सकता है, यहां तक कि छोटे से छोटा सामान भी । उन्हें पुरुष का स्त्री के प्रति आकर्षण का मनोविज्ञान मालूम है । इस आकर्षण को ये और उभारकर नारी-शोषण का मार्ग प्रशस्त करते हैं । इस व्यावसायिक लम्पटता पर फ़ौरी रोक लगनी चाहिए । हमारे देश का व्यवहार में दिखायी पड़ने वाला दोहरा क़ानून भी नारी-अपराध एवं शोषण को बढ़ाने वाला साबित होता है । जबकि समान अपराध के लिए असमान सज़ा का प्रावधान न तो संविधान में है, न ही क़ानून में, मगर हमारे देश में यह अमली तौर पर दिखायी पड़ता है, जिसे किसी भी सम्मानजनक राष्ट्र के भविष्य के लिए उचित नहीं ठहराया जा सकता । अक्सर देखा जाता है कि अमीर एवं रसूख़दार के लिए "नरम" क़ानून और ग़रीब के लिए "गरम" क़ानून एवं सज़ा सामने आती है । मानवता उपकारक हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने फ़रमाया कि ऐसी क़ौमों का पतन हो जाता है, जो लोगों पर भेदभावपूर्ण क़ानून लागू करते हैं । दुर्भाग्य से हमारे देश में ऐसी ही विषम स्थिति बरक़रार है ।

अभी नये साल (तीन जनवरी) की उस ख़बर पर सबकी नज़र गयी होगी, जिसमें बताया गया कि बिहार के भोजपुर ज़िले आरा जंक्शन के पास जगजीवन हाल्ट पर चलती ट्रेन से पच्चीस साल की एक युवती ने इसलिए कूदना मुनासिब समझा, क्योंकि सेना के दो जवान उसके साथ रेप करने की कोशिश कर रहे थे और इस कोशिश में उसके जिस्म पर कई स्थानों पर मामूली ज़ख़्म हो गये थे । युवती दार्जिलिंग की रहने वाली है । आरा सदर अस्पताल में उसका इलाज किया जा रहा है । इस कांड के एक आरोपी रमेश कुमार को

गिरफ़्तार कर लिया गया है, जबकि दूसरा फ़रार है । वह असम राइफल्स का है और हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है । लखीमपुर में भी बलात्कार का एक मामला आया है, जिसमें चार पुलिसकर्मी आरोपी हैं । आम तौर पर सेना, पुलिस से जुड़े लोगों पर सिरे से कोई कार्रवाई नहीं हो पाती । स्थिति बड़ी गंभीर है । न्याय नहीं है ! इसी प्रकार 7 जनवरी 2013 के समाचार-पत्रों में छपी ख़बरों के अनुसार छत्तीसगढ़ के कांकेर ज़िले के नरसिंहपुर ब्लॉक स्थित आदिवासी बालिका आश्रम में रहकर पढ़ने वाली 11 बच्चियों के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है । इस सिलसिले में एक शिक्षाकर्मी और एक चौकीदार को गिरफ़्तार कर लिया गया है। इस मामले में भी क्या न्याय मिल पाएगा ?

क्या हम सोनी सोरी, मनोरमा और शोफ़िया जैसी हज़ारों बलात्कार पीड़िताओं को न्याय दिला पाएंगे । राष्ट्रीयता के आत्म निर्णय के अधिकार और अपनी जीविका के संसाधनों जल-जंगल-ज़मीन की रक्षा के लिए शासक वर्ग के ख़िलाफ़ लड़ रही महिलाओं का बलात्कार रोज़मर्रा की बात है, हालात इतने ख़राब हैं कि उनकी हत्या तक कर दी जाती है और पुलिस/सेना के जवान बदले में वीरता का पुरस्कार/नौकरी में प्रमोशन तक पा जाते हैं !!! क्या इन बलात्कारियों को कभी फांसी की सज़ा होगी । वी॰के॰ सिंह के जनरल रहते हुए कश्मीर से लेकर उत्तर-पूर्व तक के राज्यों में भारतीय सेना द्वारा कितनी मां-बहनों के साथ बलात्कार किया गया, क्या जनरल सिंह उन सेना के जवानों, अफ़सरों को दंडित कर पाये ? क्या कभी रुचिका गिरहोत्रा, भंवरी देवी, गीतिका शर्मा के हत्यारों को फांसी की सज़ा हो सकती है या उनके ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई मुमकिन हैं ? क्या वे पूरी ज़िन्दगी जेल में रह सकते हैं ? क़तई नहीं, क्योंकि हम दोहरे क़ानून पर अमलन अमल करके अराजकता को बढ़ावा देते हैं । अब कुछ राजनेता भी स्थिति की गंभीरता को समझने लगे हैं, चाहे उनका मक़्सद अपना सियासी मफ़ाद ही हासिल करना हो, लेकिन वे कुछ बोल ज़रूर रहे हैं । राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी ने साफ़ तौर पर कहा है कि नारी-उत्पीड़न की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए ज़रूरी है कि मुस्लिम देशों का बलात्कार-अपराध क़ानून हमारे देश में भी लागू किया जाए । दूसरी ओर मध्य प्रदेश के भाजपा मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि नारी को मर्यादा का पालन करना चाहिए, ऐसा न होने पर सीता-हरण हो जाता है । लक्ष्मण-रेखा को पार करते ही रावण आ जाता है । उन्होंने कहा कि आज स्थिति यह है कि नारी-देह का प्रदर्शन आम है । कोई भी आदमी अपने परिवार के साथ बैठकर टी॰वी॰ कार्यक्रम नहीं देख सकता । संघ प्रमुख मोहन भागवत ने इसके लिए पश्चिमी कल्चर का भारतीय महिलाओं द्वारा अंधानुकरण को दोषी माना है । ज़ाहिर है, लालू जी और विजयवर्गीय जी दोनों की बातों में दम हैं, तीनों की बातें विचारणीय और ध्यातव्य हैं । इन विरोध-स्वरों में बड़ी शिद्दत के साथ यह मांग की गयी कि बलात्कारी को फांसी की सज़ा दी जाए। ऐसे बयान भी आये कि सार्वजनिक रूप में फांसी दी जाए, ताकि लोग नसीहत और इबरत हासिल कर सकें। यह भी होता रहा है कि कुछ लोग इस्लाम के कठोर क़ानूनों की यह कहकर आलोचना करते थे कि इस्लामी क़ानून इन्तिहाई सख़्त हैं, अतएव अमानवीय हैं, लेकिन इस्लामी क़ानूनों की प्रासंगिकता भारतीय जनता की मांग ने एक बार फ़िर साबित कर दी । साथ ही उन प्रावधानों की ज़रूरत भी महसूस करायी, जो इस्लाम ने औरतों की सुरक्षा के लिए प्रस्तावित किये हैं ।

हमारे देश में स्त्री-सम्मान के प्रति जो बेदारी एवं चेतना आयी है, वह निश्चय ही सराहनीय है । लोग बदलाव चाहते हैं, उनके मन में गुस्सा है । माहौल के बदलाव के लिए छटपटाहट है । लोग अपने मनोभाव को सड़कों पर निकलकर प्रदर्शित कर चुके हैं । अब भी छिटपुट धरने-प्रदर्शन जारी हैं । दिल्ली में हुए निर्मम

गैंग-रेप ने देश को पहली बार इस क़दर झकझोर दिया है कि बदलाव की आवाज़ एक ऐतिहासिक मुहिम में तब्दील हो चुकी है । महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान की मांग की गूंज हर ओर सुनायी पर रही है । अपराध और बलात्कार जैसी घिनौनी घटनाओं ने, दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश को शर्मसार कर दिया है । कड़े क़ानून की मांग सर्वोपरि है । दूसरी ओर नारी-प्रताड़ना की वारदातें भी लगातार सामने आती जा रही हैं । लगता है, नारी-शत्रु अपने को जीवित बताकर बार-बार चुनौती दे रहे हैं !!! यहां विचारणीय बात यह भी है कि क्या कड़ा क़ानून ही इसका इलाज है । क्या कोई भी कड़ा क़ानून अपराध का अंत कर पाया है या कर पाएगा ? कभी नहीं । हां, कड़ा क़ानून तो होना ही चाहिए, जो सूराख़रहित हो । इसलिए आज बुनियादी ज़रूरत है, पूरी सोच में बदलाव की । क़ानून अपना काम ज़रूर करे लेकिन आज समग्र सामजिक बदलाव की ज़रूरत है । आज समाज के हर क्षेत्र में अनैतिकता का बोलबाला है । समाज में अनैतिकता और अनैतिक सामग्री हर जगह पसरी हुई है, जिसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है । वर्तमान क़ानून सही ढंग से लागू हो । सब अपना काम ठीक ढंग से करें यह कोई नहीं सोचता । अब परिवारों का वह स्वरूप नहीं रहा कि बड़े-बुजुर्गों का समादर हो, उनकी बात सुनी जाए, बल्कि सच्ची बात तो यह है कि उनका ही 'अस्तित्व' संकट में है । पहले जैसे शिक्षक अब रहे नहीं, जिनका समाज पर कुछ प्रभाव पड़े । अभिभावक उनकी समुचित क़द्र भी नहीं करते । ऐसा भी देखा गया है कि शिक्षकों से अभिभावक लड़ने को तैयार हो जाते हैं । टी०वी०, इंटरनेट, सिनेमा, अख़बार, प्रचार सामग्री सभी जगह अनैतिकता की किताब खुली मिलेगी । शराबों की धड़ल्ले से खुली बिक्री हो रही है, जो रेप के कारणों में एक महत्वपूर्ण कारण है, उस पर भी कोई विचार नहीं करता । इसके अन्य महत्वपूर्ण कारकों में से एक शराब पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाना होगा ।

अत: सभी स्तर पर बदलाव की ज़रूरत है । नेता हों या कोई अन्य लोग स्त्रियों के प्रति उनके अनर्गल और असम्माननीय बयान भी बंद होने चाहिए । आज हर किसी को नारी के सम्मान के लिए संकल्प की ज़रूरत है । घर-परिवार से लेकर स्कूल कॉलेज तक में आध्यात्मिक, नैतिक शिक्षा का पाठ फिर से पढ़ाये जाने की ज़रूरत है । आज हर किसी को संकल्प लेने की भी ज़रूरत है ताकि फिर से किसी को न कहना पड़े कि बेटी की वजह से शर्मिन्दा है । यह भी संकल्प लेना होगा कि यदि वे अपने आस-पास जब भी कुछ ग़लत होता देखेंगे, तो चुप नहीं बैठेंगे । किसी को मुसीबत में देख, उसका साथ देने का हौसला रखना चाहिए । अपने घरों से शुरुआत करें और अपने घर की महिलाओं को स्वयं इज़्ज़त दें और अपने बच्चों को भी बचपन से लड़कियों की इज़्ज़त करना सिखाएं । हर माता-पिता को ज़िम्मेदारी लेनी होगी कि वे अपने बच्चों से वक़्त-वक़्त पर बात कर उनकी सोच को सही आकार दें ताकि वे किसी भी लड़की या महिला से बदतमीज़ी न करें । लड़कों की तरह ही अपनी बच्चियों को भी शिक्षा दें, उन्हें योग्य बनाएं । घर से लेकर बाहर तक उन्हें समानता का हक़ दें । हर स्तर पर कोशिश हो कि अनैतिक सामग्री को समाप्त किया जाए या उसे कम-से कम किया जाए । ऐसी सामग्री की पहुंच दुर्लभ बनायी जाए । सिनेमा, अख़बार, इंटरनेट, टी०वी० हर जगह एक मोरल कोड हो । हर स्तर पर यह भी प्रयास होना चाहिए कि महिलाओं को सशक्त बनाया जाए । शैक्षिक और आर्थिक रूप से जब महिलाएं उन्नत होंगी तो परिवार और समाज भी उन्नत होगा । इसके लिए पुरुष को स्त्री-विरोधी मानसिकता त्यागनी होगी । उन कल्याणकारी शिक्षाओं को अपनाना होगा, जो ईश्वर-प्रेषित हैं । इस सिलसिले में इस्लामी शिक्षाएं बड़ी कारगर हैं । इस्लाम स्त्री को भी मानवता का वैसा ही महत्वपूर्ण अंग मानता है जैसा पुरुष को ।

(शेष पृष्ठ 17 पर)

इस्लाम आतंक या आदर्श ?

एक अहम किताब

ISLAM REPRESENTS TERROR OR IDEAL ?

लेखक : स्वामी लक्ष्मीशंकाराचार्य

☆ इस्लाम : आतंक या आदर्श?	(हिन्दी)	पृष्ठ 96	मूल्य 40₹
☆ ISLAM : Repersents Terror or Ideal?	(अंग्रेज़ी)	पृष्ठ 128	मूल्य 100 ₹
☆ اسلام: دہشت گردی یا ایک مثالی دین ؟	(उर्दू)	पृष्ठ 104	मूल्य 40₹

स्वामी जी ने इस्लाम के विरुद्ध एक किताब "इस्लामी आतंक का इतिहास" लिखी जिसका अंग्रेज़ी अनुवाद 'The History of Islamic Terrorism' के नाम से प्रकाशित हुआ था। इस्लाम के अध्ययन के बाद उन्होंने अपनी ग़लती के लिए क्षमा चाही है और इस्लाम के बारे में अपने उच्च विचार उपरोक्त किताब में लिखे, ताकि इस्लाम के बारे में लोगों की ग़लतफ़हमियाँ दूर हो सकें।

स्वामी जी की यह किताब हिन्दी, अंग्रेज़ी और उर्दू में हमारे यहाँ उपलब्ध है। (यह किताब अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रकाशित हो रही है।)

हमारी अन्य पुस्तकें

इस्लाम एक स्वमसिद्ध ईश्वरीय जीवन व्यवस्था	(उर्दू, हिन्दी)	राजेन्द्र नारायाण लाल	25 ₹
इस्लाम मानवता पूर्ण ईश्वरीय धर्म	(हिन्दी)	लाला काशी राम चावला	25 ₹
इस्लाम एक सामान्य परिचय	(उर्दू, हिन्दी)	शेख़ अली तनतावी (रह०)	80 ₹
इतिहास के साथ यह अन्याय	(उर्दू, हिन्दी)	बी० एन० पाण्डे	7 ₹
पवित्र कुरआन में मानवता की शिक्षा	(हिन्दी)	विजय गोपाल मंगल	10 ₹
ग़लतफ़हमियां का निवारण	(उर्दू, हिन्दी, अंग्रेज़ी)	डॉ० ज़ाकिर नाइक	25 ₹
कुरआन पर अनुचित आक्षेप	(उर्दू, हिन्दी)	नसीम अहमद ग़ाज़ी	15 ₹

दावती काम करनेवालों और मुफ़्त तक़सीम करनेवालों के लिए विशेष छूट।

मधुर सन्देश संगम

E-20, अबुल-फ़ज़्ल इंक्लेव, जामिया नगर, नई दिल्ली - 110025

फोन : 011-26953327, 09212356332,

e-mail : madhursandeshsangam@yahoo.co.in

इस्लाम संसार का सबसे अधिक व्यावहारिक धर्म

हमारे देश भारत में सदियों से विभिन्न धर्मों को मानने वाले आपस में प्रेम व भाईचारे से रहते आये हैं । धर्म शान्ति प्रेम व भाईचारे की शिक्षा देता है । धर्म इन्सानों को आपस में लड़ाने की नहीं, बल्कि मिलाने की शिक्षा देता है । हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) अपनी पूरी ज़िन्दगी में दुनिया को शान्ति, प्रेम व भाईचारे की ही शिक्षा देते रहे । आपने दूसरों को शिक्षा देने से पहले वैसा ही खुद करके दिखाया ।

लेकिन आज कुछ समाज विरोधी तत्व अपने स्वार्थ के लिए समाज में भ्रम व सन्देह पैदा कर रहे हैं । धर्म के नाम पर समाज को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं ।

यदि हम एक-दूसरे के विचारों को, एक-दूसरे के धर्म को नहीं जानेंगे तो ऐसे में इन्सानियत विरोधी तत्व धर्म के नाम पर हमें बांट कर इन्सानियत का गला घोंटते रहेंगे ।

आज धर्म के नाम पर इन्सानियत को बांटने के लिए इस्लाम को लेकर झूठा प्रचार किया जा रहा है । उसे इन्सानियत विरोधी व आतंकवाद समर्थक धर्म कहा जा रहा है । जबकि सच्चाई इसके विपरीत है । 'इस्लाम इन्सानियत की शिक्षा देता है' यह कहना भी अधूरा है क्योंकि सच तो यह है कि इस्लाम का दूसरा नाम इन्सानियत है । यह अलग बात है कि मुसलमान इस इस्लाम को किस तरह मानता है या वह क्या कर रहा है । यह उसका अपना मामला है, इससे इस्लाम को कुछ लेना-देना नहीं ।

मैं सभी से अपील करता हूं कि इस्लाम को जानने के लिए केवल मुसलमान को न देखें, केवल लोगों के बताये इस्लाम को न देखें बल्कि वास्तविक इस्लाम को जानने के लिए कुरआन को देखें, हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) की जीवनी देखें, आपकी कथनी व करनी देखें । इसके बाद आप पाएंगे कि इस्लाम संसार का सबसे अधिक व्यावहारिक व इन्सानियत समर्थक धर्म है जो असत्य, अन्याय, अत्याचार और आतंकवाद का विरोध करने के लिए ही आया है, संसार को मानवता का संदेश देने के लिए ही आया है ।

स्वामी लक्ष्मीशंकराचार्य
हरदोई रोड, लखनऊ (उ०प्र०)

कुरआन : सबके लिए

मानवता को इस्लाम की कितनी देन है, यह आज भी लोगों को पूरी तरह समझ में नहीं आया है । अक्तूबर का यह विशेषांक क़ाबिले तारीफ़ है कि एक जगह पर इतनी सारी ज्ञान की बातें मिल गयी हैं । खुदा की कृपा है कि आपने इतना महान काम किया । पवित्र कुरआन हम सबके लिए है । आपकी सद्भावना मेरे साथ है ।

आपका कहना सही है कि "प्रत्येक धर्म मानव-जीवन के सम्मान को स्वीकार करता है । हम सभी बराबर हैं । आज सारे संसार को दिशा देने में इस्लाम ही समर्थ है । बाबा साहब अम्बेडकर ने इस्लाम अपनाया होता तो आज दलितों की यह हालत नहीं होती । दलित नेताओं ने तो उन्हें ख़ंदक़ में डाल दिया ।

आज अधिकांश लोग भ्रष्टाचार तथा अमानवीय कृत्य में जुटे हैं । कन्या भ्रूण हत्या, दहेज और जातिवाद जैसी सामाजिक और नैतिक बुराइयां चरम सीमा पर हैं ।

डॉ० कृष्ण मोहन सक्सेना
एम०आई०जी०, ई 627 II, टिकैतराय योजना,
लखनऊ-226017

ज्ञानवर्धक

'कान्ति' पत्रिका से अरसे से जुड़ा हुआ हूं । श्रेष्ठ सामग्री को पाकर अंतर्मन प्रसन्न हो जाता है । बधाई व अभिनंदन ।

आपसे यही अपेक्षा है कि भविष्य में भी इसी प्रकार के स्तरीय, ज्ञानवर्धक व मौलिक आलेख व रचनाएं पत्रिका में प्रकाशित करते रहेंगे ।

डॉ० शरद नारायण खरे
शासकीय स्नात्कोत्तर महिला महाविद्यालय,
मंडला, मध्य प्रदेश

भावपरक कविता

मुझे आपकी मासिक पत्रिका 'कान्ति' के अवलोकन का निरंतर सुयोग प्राप्त हो रहा है, तदर्थ आपके स्नेह-भाव व सहृदयता के प्रति हार्दिक आभारी हूं । 'कान्ति' के दिसम्बर 2012 अंक के प्रथम पृष्ठ पर प्रकाशित आपकी

कविता भावपरक तो है ही, कलात्मक सौष्ठव की दृष्टि से भी ओत-प्रोत है । गद्य में प्रस्तुत आपके विचार भी मौलिक एवं शोधपरक होते हैं । पत्रिका के प्रति आपका समर्पण-भाव बेशक प्रशंसनीय है ।

हम आपकी उक्त मासिक पत्रिका में प्रकाशनार्थ मौलिक व अप्रकाशित एक काव्य रचना–'श्रेष्ठ कर्म करने वाले ही...' संलग्न कर प्रेषित कर रहे हैं । आशा है, उपयुक्त प्रतीत होने पर इसके प्रकाशन पर विचार अवश्य करेंगे ।

डॉ॰ त्रिलोकी सिंह

हिन्दूपुर, करछना, इलाहाबाद-212301

प्रशंसनीय

'कान्ति' पत्रिका काफ़ी मक़बूल हो रही है । काफ़ी अच्छा मैटर देते हैं आप । बेहतरीन एडीटिंग के लिए आप सच्ची तारीफ़ के मुस्तहिक़ हैं ।

अहद प्रकाश

एम॰आई॰जी॰ 304, पुष्पम अपार्टमेंट,
नियर भारत टॉकीज, भोपाल (म॰प्र॰)

'कान्ति' की कान्ति

'कान्ति' पत्रिका एक बुक स्टॉल पड़ मिली । पहले तो समझा कि चलो कोई आम-सी पत्रिका होगी । पर जैसे-जैसे पृष्ट पलटते गये खुद को इसकी कान्ति बिखरती गयी । इतनी रोचक और ज्ञानवर्धक पत्रिका ! ...मन में उसी समय ख़याल हुआ कि यह पत्रिका तो पढ़ने लायक़ है, क्यों न वार्षिक ग्राहक बन जाऊं ।

मुहम्मद मुहसिन जमाल

धरमपुर, निकासी, पिंडारूच, दरभंगा (बिहार)

शिक्षाप्रद

'कान्ति' मासिक का दिसम्बर 2012 अंक पढ़ा, बहुत अच्छा लगा । कविता 'सत्कर्म तुम करते रहो...', 'बढ़ो लक्ष्य की ओर', 'बोझ', 'ग़ज़लें अहद प्रकाश की व लघुकथा 'मज़हब' अच्छी लगी, अन्य लेख, कहानियां भी शिक्षाप्रद लगी । सभी लेखकों को धन्यवाद !

'नववर्ष' की हार्दिक शुभकामनाएं ।

यशपाल जैन 'आदर्श'

494/5, न्यास मार्ग, राजापार्क, जयपुर-302004 (राज॰)

जातिवाद से हिंसा

मासिक पत्रिका 'कान्ति' का जनवरी 2013 का अंक प्राप्त हुआ । आपकी पत्रिका का अध्ययन कर मैं दिन-प्रतिदिन अधिक प्रभावित होता जा रहा हूं । कारण जनवरी 2013 के अंक में शीर्षक 'देशहित पर हावी जातिवाद' लेखक विद्या प्रकाश का मैंने सरसरी अध्ययन किया ।

इस उपरोक्त आलेख में लेखक ने प्रत्येक क्षेत्र में जातिवाद का हावी होना वर्णन किया है । (धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक इत्यादि) । जातिवाद के साथ-साथ आरक्षण की ज्वाला जो धधक रही है उसकी भी लेखक ने सुचारू रूप से प्रस्तुति की है । जातिवाद व आरक्षण से योग्यता व आर्थिक दशा आधारहीन हुई है । इनके द्वारा प्रदर्शन, नारेबाज़ी, आगज़नी का व्रजपात हो रहा है । इससे भ्रष्टाचार व आपराधीकरण का बढ़ावा हो रहा है । समानता के मौलिक अधिकार पर अतिक्रमण हो रहा है ।

इसी जातिवाद व आरक्षण से हिंसक आन्दोलन, तोड़फोड़, आगज़नी में वृद्धि होती जा रही है । लेखक ने अपने आलेख में पूरा ज़ोर दिया है कि जातिवाद, भेदभाव व आरक्षण रूपी भयंकर रोग को पूर्णतया मिटाना है । मन की शुद्धता से अनैतिक कार्य को दूर रखना है । वर्गविहीन समाज की स्थापना का लक्ष्य रखना है । योग्यता व आर्थिक आधार को लागू करना है । अब समय आ गया है कि जातिवाद व आरक्षण की आग से देश को सुरक्षित रखना है ।

मैं लेखक के विचारों से पूर्णतया सहमत हूं ।

रामस्वरूप झंवर 'रूपयश'

9-10 शास्त्रीनगर-विस्तार, भीलवाड़ा (राज॰)

'कान्ति'-हर पाठक के लिए उपयोगी

'कान्ति' पत्रिका विविध पाठ्य-सामग्री से सम्पूरित होने के कारण हर पाठकों के लिए बेहद उपयोगी है । पत्रिका के प्रति आपका श्रम व सत्प्रयास सर्वथा प्रशंसनीय है ।

डॉ॰ त्रिलोकी सिंह

इलाहाबाद (उ॰प्र॰)

पाठकों से

कागज़ और अन्य ख़र्चों में भारी वृद्धि के कारण 'कान्ति' (मासिक) की क़ीमत बढ़ाने के लिए हमें मजबूर होना पड़ रहा है । मार्च 2013 के अंक से इसकी प्रति कॉपी 20 रुपये होगी और वार्षिक 220 रुपये । आशा है आप सभी का हमें पूर्ववत सहयोग मिलता रहेगा ।

प्रबंधक : 'कान्ति' मासिक

दलित, 'दामिनी' का ऐतिहासिक संदर्भ

❖ डॉ॰ सुरेश उजाला

प्रत्येक मानव को कुछ अधिकार मानव होने के नाते बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी अन्य योग्यता के सहज रूप से प्राप्त होने चाहिए, जिन्हें वह प्राप्त करने तथा उपभोग करने का अधिकारी है । मानव के अधिकारों का संघर्ष आरंभकाल से ही चला आ रहा है । हड़प्पा सभ्यता से लेकर अब तक हुए बदलावों में समाज का निचला तबक़ा यानी निम्न वर्ग प्रत्येक देश और समाज की भांति सताया जाता रहा है । इस वर्ग को सामाजिक शब्दावली में शूद्र की संज्ञा दी गयी । अन्त्यज-हरिजन-अछूत-नीच-अस्पृश्य आदि शब्दों को प्राप्त करते हुए इस वर्ग ने 'दलित' शब्द को स्वीकार किया । जिसकी वजह थी दलित शब्द में निहित चेतना ।

आज दलित एवं स्त्री-विमर्श ने समाज में हलचल पैदा कर दी है । दलित-साहित्य दलितों द्वारा भोगा गया साहित्य है । जिसमें भोगे हुए यथार्थ, कटु अनुभवों की सशक्त अभिव्यक्ति है । जिसे कोई दूसरा व्यक्ति कदाचित बयान नहीं कर सकता, क्योंकि जो भोगता है वही बता सकता है उस दर्द को-'जाके पैर न पड़ी विवाई, वो क्या जाने पीर पराई ।' अतएव जीवन के कटु-अनुभवों, अनंत यातनाओं, दुखों की अंतहीन यात्रा, घृणा, अन्याय, उपक्षा, अत्याचार, शोषण की कथा इत्यादि का हलफ़नामा है-दलित साहित्य ।

मानवीय सरोकारों से ओत-प्रोत सकारात्मक सोच का दस्तावेज़ है-दलित साहित्य, जिसमें मौजूद है-सामाजिक दर्द, जातिवाद का दंश, जातिगत उत्पीड़न, शोषण के कारणों की खोज, भाग्यवाद को ख़ारिज करने की पुरज़ोर कोशिश, चुनौती है सारे दुर्गुणों के ख़िलाफ़ निबटने की, कुव्यवस्था, कुप्रथाओं ग़लत मान्यताओं के ख़िलाफ़ जंग का ऐलान है-दलित साहित्य । अत्याचार झेलते वर्ग की आंखें खोलने का अटल विश्वास और प्रयास है-दलित साहित्य, जो निरंतर अपना कार्य कर रहा है ।

इस बात को पुष्ट करने के उद्देश्य से लघुकथा के माध्यम से बात को कह रहा हूं-"एक व्यक्ति के घर के सामने बहुत बड़ा पहाड़ और पीछे बहुत गहरी खायी थी, वह व्यक्ति प्रत्येक दिन तसला और कुदाल लेकर जाता । पहाड़ से पत्थर तोड़ता, तसले में भरता और उसे पीछे खायी में डालता । यह क्रिया वह प्रत्येक दिन किया करता था, दूर से एक व्यक्ति उनको यह कार्य करते हुए रोज़ देखता था । एक दिन वह व्यक्ति उसके पास आया और कंधे पर हाथ रखकर बोला कि-'एक बात बताओ, आप रोज़ कुदाल से पत्थर तोड़ते हो, तसले में भरते हो और पीछे खायी में डालते हो, क्या मैं जान सकता हूं कि आप अपने जीवनकाल में सामने के इस विशाल पहाड़ को हटा पाओगे अथवा पीछे की खायी को पाट पाओगे ।"

इस पर उस व्यक्ति ने बहुत ही विनम्रता से उत्तर दिया कि-"यह कार्य मेरे पूर्वजों के समय से होता आ रहा है । वर्तमान में इस कार्य को मैं कर रहा हूं, मेरे बाद इस कार्य को मेरा बेटा करेगा, उसके बाद उसका बेटा करेगा, मेरा पूर्ण विश्वास है-एक न एक दिन सामने से ये पहाड़ भी हटेगा और पीछे की खायी भी भरेगी ।" इस सोच के साथ दलित साहित्य निरंतर अपना काम कर रहा है । उन्हें विश्वास है कि एक न एक दिन सामाजिक विसंगतियां अवश्य दूर होंगी ।

हज़ारों-हज़ारों वर्षों से सामाजिक-व्यवस्था के तहत दलितों और नारियों का शोषण होता रहा है । तमाम यातनाओं और दुखों की अंतहीन दास्तां है, लंबी शृंखला है, इनके दुखों की । हज़ारों वर्षों से दलित और नारी समाज ने इस दुख को सहा, लेकिन कहने का साहस तक न जुटा सका । डॉ॰ भीम राव अम्बेडकर इस मुक्ति संघर्ष के जनक हैं । उन्होंने इस तिरस्कृत, बहिष्कृत, उपेक्षित, अपमानित, पीड़ितों और अवहेलित समाज स्वाभिमान से जीने का रास्ता प्रशस्त किया ।

डॉ॰ भीमराव अम्बेडकर ने इस भयभीत समाज को संगठित होकर संघर्ष करने का रास्ता सुझाया, उन्होंने दलितों के जीवन-स्तर को उठाने के लिए कठोर संघर्ष किया ।

उन्हें मानवोचित गरिमा एवं प्रतिष्ठा के साथ जीवन व्यतीत करने के संपूर्ण अधिकार दिलाये । उन्होंने वर्ष 1917 में महाराज बड़ौदा द्वारा मिलिट्री सेक्रेट्री के पद से अपमान एवं उपेक्षा के कारण नौकरी छोड़ दी । डॉ॰ अम्बेडकर ने अपनी बात शोषितों और उपेक्षितों तक पहुंचाने के लिए वर्ष 1920 में 'मूक नायक' मराठी साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया ।

दलितों को पानी पीने का अधिकार दिलाने के लिए वर्ष 1927 में डॉ॰ भीमराव अम्बेडकर ने चावदार तालाब, ज़िला-रत्नागिरी, महाड़ नामक स्थान पर सत्याग्रह किया । दलितों को मंदिरों में प्रवेश हेतु कालाराम मंदिर, नासिक में वर्ष 1930 में सत्याग्रह किया । वर्ष 1932 में गोलमेज कांफ्रेंस, लंदन में डेलीगेट बने । वर्ष 1947 में नेहरू मंत्रिमंडल में विधि मंत्री बने । वर्ष 1948 में ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में संविधान असेम्बली में मसौदा प्रस्तुत किया और भारत के संविधान निर्माता बने । वर्ष 1950 में शिक्षा के क्षेत्र में मिलिंद महाविद्यालय की स्थापना की । उन्होंने अवसर की समानता, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा तथा अस्पृश्यता का संपूर्ण निवारण आदि मुद्दे पर बल दिया ।

डॉ॰ भीमराव अम्बेडकर ने दलित एवं नारी उत्थान के लिए अथक प्रयास किया । संविधान बनाते समय पिछड़ा वर्ग के हितों का भी पूरा ध्यान रखा । अनुच्छेद 340 के तहत उनके पिछड़ेपन को दूर करने की व्यवस्था दी है । आज मंडल कमीशन के निमित्त पिछड़े वर्ग के लोगों को जो भी आरक्षण एवं अन्य सुविधाएं मुहैया हो रही हैं, यह सब संविधान के अनुच्छेद 340 की देन है । हिन्दू कोड बिल पास न होने के कारण डॉ॰ भीमराव अम्बेडकर ने वर्ष 1951 में मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे दिया । 14 अक्तूबर वर्ष 1958 को डॉ॰ भीमराव अम्बेडकर ने नागपुर में बौद्ध धम्म की दीक्षा ली ।

डॉ॰ भीमराव अम्बेडकर का संपूर्ण जीवन मानवाधिकारों के प्रति समर्पित तथा चिंतन पूर्णत: मानवीय मूल्यों पर आधारित रहा । वर्ष 1960 के बाद देश के विभिन्न संगठनों ने डॉ॰ भीमराव अम्बेडकर को अपना आदर्श स्वीकार कर साहित्य में उसकी अभिव्यक्ति को अपना केन्द्र बिन्दु बनाया । मुख्य रूप से महामानव बुद्ध, शबरी, एकलव्य आदि को कहानी-नाटकों-कविताओं में समता-स्वतंत्रता बंधुता के विचार को केन्द्र में रखकर सोये समाज को जगाने का कार्य किया जाने लगा ।

नारी उत्थान का कार्य सर्वप्रथम डॉ॰ भीमराव अम्बेडकर ने दलित शोषित, अछूत समाज से ही आरंभ किया । परंतु उनका नारी उत्थान का यह काम दलित शोषित नारी समाज तक ही सीमित नहीं रहा । बम्बई लेजिस्लेटिव कौंसिल के सदस्यों वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में लेवर सदस्य रहते वक़्त नारी समाज के कल्याण हेतु उन्होंने जो कार्य किये उन्हें कौन बिसरा सकता है । डॉ॰ भीमराव अम्बेडकर किसी भी समाज की उन्नति उनकी स्त्रियों की उन्नति के आधार पर आंकते थे । भारतीय समाज में नारियों की स्थिति को देख डॉ॰ अम्बेडकर बहुत दुखी होते थे । दलित परिवारों में ही नहीं अपितु उच्च वर्गों की महिलाओं की स्थिति भी ठीक नहीं थी ।

प्राचीनकाल में भले ही नारियों की दशा कुछ ठीक रही हो, परन्तु उत्तर वैदिककाल, रामायणकाल एवं महाभारतकाल में नारियों को गृह से निकाल देना, जुए में हार जाना कोई अचंभे की बात नहीं थी । इन्हीं बातों से नारियों की दिशा और दशा का अंदाज़ा सहज रूप से लगाया जा सकता है । जिस नारी ने बड़ों-बड़ों को जन्म दिया उन्हीं की औलादों ने उनका तिरस्कार किया । उन्हें अपनी पांव की जूती बनाकर रखा । पति के न रहने पर वही नारी घृणा-उपेक्षा की

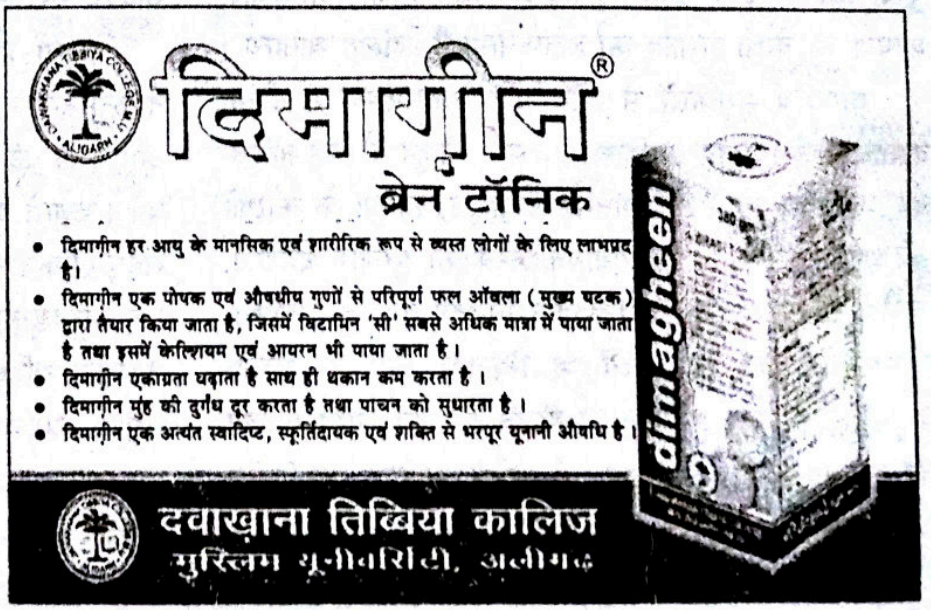

वस्तु बन जाती । धार्मिक नियमों को तोड़ना, उनका उल्लंघन करना, धर्म का विरोध बताया गया । तमाम प्रथाओं-मान्यताओं आदि के रहते नारी के विकास एवं प्रगति की संकल्पना व्यर्थ थी । नारी को दबाने के अनेक कार्य इस काल में होते रहे ।

डॉ॰ भीमराव अम्बेडकर ने मालाबार भूभाग में नारी समाज को वस्त्र पहनने का तरीक़ा समझाया । वहां आदिम जाति की महिलाएं अपने गुप्तांगों को पत्तों से ढककर रखती थी । डॉ॰ अम्बेडकर ने नागपुर में नारियों को संबोधित करते हुए कहा–''यदि तुम्हारे पति शराब पीकर या जुआ खेलकर आएं तो दरवाज़ा मत खोलो उन्हें खाना मत दो क्योंकि वे शराब पीना छोड़कर उतने ही पैसों से बच्चों को तन्दुरुस्त रखने के लिए अच्छा खाना खिला सकते हैं । अच्छे कपड़े पहना सकते हैं ।'' डॉ॰ भीमराव अम्बेडकर ने नारी कल्याण का सबसे बड़ा कार्य उन्हें पुरुषों के समान अधिकार दिलाने का किया । यह काम उन्होंने भारतीय संविधान की धारा-14 व 15 में अपेक्षित प्रावधान करके पूरा किया–''भारतीय राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता से अथवा विधियों के समान संरक्षण से, राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा ।''

चौदहवीं धारा में इसका स्पष्ट उल्लेख है । पन्द्रहवीं-धारा में–''राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी एक के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा ।''

नारी वर्ग के लिए सबसे अधिक विपरीत स्थिति उस वक़्त आयी जब मनुस्मृति को सामाजिक एवं विधिक मान्यता मिली । नारियों को इस स्थिति में पहुंचाने के लिए हिन्दू धर्म-ग्रंथों के उल्लेख और नियम उत्तरदायी है । महिलाओं के उत्थान के विरोधी प्रतिबंधों को धार्मिक जामा पहना दिया गया । स्वर्ग-नरक के भय के कारण महिलाओं का भारत में आन्दोलन नहीं हो सका । दलितों के बाद डॉ॰ अम्बेडकर नारी समाज को सबसे ज़्यादा उपेक्षित अपमानित और प्रताड़ित मानते थे । ज़िम्मेदारियों के बोझ तले महिलाओं का सारा जीवन समाप्त हो जाता था, लेकिन ज़िम्मेदारियां समाप्त नहीं हो पाती थी । इसलिए हिन्दू कोड विधेयक के आधार पर वह न केवल भारतीय नारी विशेषकर हिन्दू नारियों पर वर्षों से चले आ रहे पुरुष के एकाधिकार को ख़त्म करना चाहते थे । अपितु हिन्दू नारी को एक स्वतंत्र अस्तित्व भी प्रदान करना चाहते थे ।

नारियों को इस दुर्गम और संकटमय स्थिति ने महान मानवतावादी डॉ॰ भीमराव अम्बेडकर को नारी के हित में सोचने का मौक़ा दिया । उन्होंने हिन्दू कोड बिल को विधि मंत्री की हैसियत से भारत के प्रधानमंत्री पं॰ जवाहर लाल नेहरू के परामर्श से कठिन परिश्रम के साथ तैयार किया था । इस बिल का उद्देश्य-हिन्दू परंपराओं पर आधारित, सामाजिक विषमता, भेदभाव, और क्रूरतापूर्ण मान्यताओं रीति-रिवाजों और नियमों को नष्ट करना था ।

हिन्दू कोड बिल उस समय मंत्रिमंडल, पार्लियामेंट तथा बाहर के विरोध की वजह से पारित न हो सका, लेकिन बाद में उसे अलग-अलग भागों में पास करके क़ानूनी रूप प्रदान किया गया । यह स्पष्ट है कि इस बिल से नारी समाज में अपने विषय में सोचने और समझने की भावना उत्पन्न हुई और राजनैतिक चेतना का भाव नारियों में उत्पन्न हुआ, जिसका परिणाम है–आज का भारत ।

संपर्क : संपादक, उ॰प्र॰ मासिक
108, तकरोही, पं॰ दीनदयालपुरम मार्ग,
इन्दिरा नगर, लखनऊ (उ॰प्र॰)

नारी सुरक्षा का...

(पृष्ठ 11 का शेष)

पवित्र क़ुरआन में है–''ऐ लोगो, अपने रब (पालनकर्ता प्रभु) से डरो, जिसने तुमको एक जान से पैदा किया और उससे उसका जोड़ा बनाया और उन दोनों से बहुत-से मर्द और औरतें फैलायीं ।'' इस्लाम की दृष्टि में दोनों समान हैं–''मैं तुममें से किसी का कर्म अकारथ करने वाला नहीं हूं, चाहे मर्द हो या औरत, तुम सब एक-दूसरे के सहजाति हो'' (क़ुरआन, 3:195) । आइये एक बेहतर समाज बनाने के लिए क़दम बढ़ाएं । आइये इस दिया को हम बुझने न देने का प्रण लें । हम आशा करते हैं कि वह सुबह एक दिन ज़रूर आएगी जब नारी की करुण व्यथा-कथा का अंत होगा और वह सुखांत बन जाएगी । एक अनुकूल वातावरण और अनुकूल समाज बन पाएगा जब घर-परिवार, कार्य स्थल समाज और देश में वह सम्मानजनक स्थान पाएगी जहां कोई शोषण, अनाचार और दुराचार नहीं होगा । आइये अपनी मां-बहनों के लिए ऐसा समाज बनाने के लिए हम आज से ही क़दम बढ़ाएं ।

जातिवाद की समस्या का समाधान

■ मुहम्मद अमान होबॉम

जब हम ईशदूत हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) की ज़िन्दगी पर नज़र डालते हैं, तो पाते हैं कि आप (सल्ल०) ने क़ुरआन में वर्णित आदर्श जीवन व्यतीत करने का सर्वोत्तम व्यावहारिक नमूना पेश किया । आप (सल्ल०) ने क़ुरआन के आदेशों का पालन किया । मानव-प्रेम मानव-समानता और मानव-भ्रातृत्व का अनुपम उदाहरण अपने व्यवहार द्वारा प्रस्तुत करके दबे-कुचले लोगों के लिए उद्धार का मार्ग प्रशस्त किया, जो सभी मानवता-प्रेमियों के लिए न केवल सुगम है, बल्कि अनुकरणीय भी है । आप (सल्ल०) ने न केवल मुसलमानों के साथ जीवन भर समानता, मज्जन्ता एवं सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार किया, बल्कि ग़ैर-मुस्लिम भाइयों के साथ भी ऐसा ही बर्ताव करते रहे । इस सिलसिले में हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) के कार्यों का मूल्यांकन भी हो सकता है ।

आप (सल्ल०) के कार्यों का महत्व तभी समझ में आ सकता है जब तत्कालीन अरब समाज की स्थिति पर नज़र डाली जाए । तत्कालीन अरब समाज की स्थिति पर प्रकाश डालते हुए एक ग़ैर-मुस्लिम विद्वान लेखक रूबिन लेवी (Reuben Levy) अपनी विश्व प्रसिद्ध पुस्तक "इस्लाम की सामाजिक संरचना" (The social Structure of Islam) में लिखा है–

"अरब की आबादी, जिसमें बाहर से आकर बसने वाली कुछ जातियां शामिल हैं, वर्षों तक परिवार, क़बीले और सरदार का वहां के समाज पर बहुत गहरा प्रभाव था । उनके सरदार बहुत शक्तिशाली हुआ करते थे । उनकी सामाजिक हैसियत ऊंची हुआ करती थी और इसी हैसियत के आधार पर सरदारों का चयन हुआ करता था । इसलिए ऊंचे घरानों, ख़ानदानों या क़बीले में जन्म लेना किसी ऊंचे ओहदे या ऊंची सामाजिक हैसियत के लिए आवश्यक समझा जाता था । चाहकर भी कोई अपने परिवार, ख़ानदान या क़बीले के प्रभाव से मुक्त नहीं हो पाता था । इसी जन्म या वंश प्रभाव का नतीजा था कि नीग्रो तथा कुछ अन्य जनजातियां नस्लवाद की चक्की में बुरी पुराने ज़माने से ही ऐसे क़बीले या गिरोहों में बंटी थी कि उसे किसी एक नेता, ऐतिहासिक या पौराणिक पुरुष आदि के नाम पर एक प्लेटफार्म पर जमा करना अत्यंत कठिन कार्य था । प्रत्येक क़बीला एक स्वतंत्र इकाई की हैसियत रखता था ।

प्रत्येक क़बीले के प्राय: सभी परिवारों के मुखिया अपने क़बीले के सरदार का चयन करते थे । परन्तु इस चयन में भी पक्षपात बरता जाता था । फलत: किसी ख़ास परिवार के लोग ही सरदार बन पाते थे । क़बीले के सरदार अपनी जान पर अड़े रहते थे । उनमें अपनी रंजिश का हाल यहां तक था कि वे प्राय: छोटी-छोटी बातों में लड़ पड़ते थे, तो ख़ून-ख़राबा का सिलसिला पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता था । हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) के पैग़म्बर बनने के आरंभिक दिनों में कुछ जातियां आटे की तरह पिस रही थी । विवशता एवं दीनता ही उन जातियों की बदक़िस्मत बनकर रह गयी थी ।

इसके विपरीत, अरब के ऊंचे घरानों के लोग श्रेष्ठता ग्रंथि से इस बुरी तरह ग्रस्त थे कि अल्लाह के उन दलित बन्दों को अपने जैसे इन्सान समझते भी नहीं थे । ग़ैर-अरबों को भी वे अपने बराबर नहीं समझते थे ।

तथाकथित उच्च कुल में जन्मे लोग नीग्रो तथा अन्य जनजातियों को गुलाम जातियों के अलावा कुछ समझते ही नहीं थे । ऐसी दर्दनाक परिस्थितियों में ही अरब में क़ुरआन का अवतरण 'सर्वरोग निवारक औषधि' के रूप में हुआ क़ुरआन में स्पष्ट शब्दों में कहा गया–

"और सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मज़बूती से पकड़ों और फूट में न पड़ो । और अल्लाह की उस कृपा को याद करो, जो उसने तुम पर की है : तुम एक-दूसरे के शत्रु थे, तो उसने तुम्हारे दिलों को जोड़ दिया और तुम उसकी कृपा से भाई-भाई हो गये । तुम आग के गड्ढ़े के बिल्कुल किनारे खड़े थे, तो अल्लाह ने तुम्हें उससे बचा लिया । अल्लाह अपनी आयतों को तुम्हारे लिए इसी तरह स्पष्ट करता है, ताकि तुम मार्ग पा लो ।"

(क़ुरआन, 3:103)

सारांश यह कि ईशदूत हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने सामाजिक असमानता और जातीय भेदभाव को मिटाकर समाज में एकता और समानता क़ायम करने का सफल प्रयास किया। आप (सल्ल०) ने अपनी कथनी और करनी की समानता के बल पर समाज में मानव समानता और मानव भ्रातृत्व का जो आदर्श मानदंड स्थापित किया उसे इस्लामी इबादत के तरीक़ों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। मुस्लिम समुदाय नमाज़ के लिए मस्जिद में हर रोज़ पांच बार जमा होता है और बिना किसी भेदभाव के कंधे से कंधा मिलाकर नमाज़ अदा करता है। इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि जिसको जहां जगह मिल जाती है, वह वहीं खड़ा हो जाता है। कोई किसी को भी किसी जगह से हटा नहीं सकता। अगर बादशाह देर से मस्जिद आते हैं, तो वे अपने नौकरों के पीछे या यूं कहें कि नौकरों के पैर के पास बेहिचक नमाज़ अदा करते हैं। और ऐसा करने में उनके अन्दर तनिक भी ही भावना पैदा नहीं होती। यह इस्लाम ही था जिसने ऊंचे घराने के लोगों और नीग्रो गुलामों के दिलों को जोड़ दिया।

लोग आपस में भाई-भाई बन गये और एक समान धार्मिक हैसियत और मानव-समानता के हक़दार बन गये। अमीर-ग़रीब, गोरा-काला, अरब और ग़ैर-अरब का कोई भेदभाव नहीं रहा और न ही किसी वर्ण वंश या नस्ल के लोगों को धार्मिक मामले में कोई विशिष्टता प्राप्त रही। हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) से धनी-निर्धन, गोरा-काला, अरब ग़ैर-अरब अर्थात सभी लोग मिल सकते थे। आप (सल्ल०) के साथ कोई भी व्यक्ति उठ-बैठ सकता था, खा-पी सकता था। इस प्रकार, देखते-देखते सारे अरब में और दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में भाईचारा और मानव समानता की बहार आ गयी।

भक्ति का समान अधिकार

इस्लाम के शांतिपूर्ण एवं मनोरम बाग़ में दाख़िल होते ही सभी लोगों के लिए समानता की बहार आ गयी। सबको आत्म-सम्मान के साथ जीने का समान अवसर प्राप्त हो गया और समान रूप से इबादत करने का अधिकार मिल गया। एक ही क़तार में राजा-रंक सभी कंधे से कंधा मिलाकर नमाज़ पढ़ने लगे, अपने प्रभु की उपासना बेरोक-टोक करने लगे। दूसरे मौक़े पर भी वे (इस्लाम की शीतल छाया तले आने वाले लोग) स्वतंत्रतापूर्वक पूरी बराबरी का उपभोग करने लगे।

इसका अत्यंत सुन्दर और सुखद परिणाम यह निकला कि मानव समाज में इन्सानी भाईचारा की भावना आम हो गयी। मज़हबी जलसे-जुलूसों और इबादत के प्रत्येक अवसर पर ऐसी सभी जातियां, तथाकथित उच्च वर्ग की दृष्टि में नीच और गुलाम समझी जाती थी, कुलीन समझे जाने वाले अरबों के साथ भी बिना किसी भेदभाव के एक जगह जमा होने लगे। इन चीज़ों ने सभी लोगों के दिलों में इस बात को कूट-कूटकर भर दिया कि अल्लाह की निगाह में सभी लोग समान हैं–उसकी निगाह में न कोई बड़ा है और न कोई छोटा। लोगों की ज़िन्दगी समानता की राह पर चल पड़ी। नीग्रो गुलाम जीव में समानता आ गयी। सभी लोग समान रूप से सामाजिक और धार्मिक समानता के अधिकारी बन गये और समान रूप से इन समानता का उपभोग करने लगे।

ईशदूत हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) स्वयं हज़रत बिलाल (रज़ि०) को जो कि नीग्रों गुलाम थे, मुअज़्ज़िन नियुक्त किया था और आप (सल्ल०) पवित्र मस्जिद (काबा) के इमाम थे। इस प्रकार मस्जिद के दो अधिकारियों में से एक स्वयं हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) थे और दूसरे हज़रत बिलाल (रज़ि०) थे। आप (सल्ल०) का संबंध अरब के ऊंचे घरानों से था और हज़रत बिलाल (रज़ि०) का गुलाम समझी जाने वाली जाति नीग्रों से।

अपने जीवन के अंतिम हज के अवसर पर अराफ़ात के मैदान में इतिहास-प्रसिद्ध भाषण देते हुए आप (सल्ल०) ने लोगों को इन्सानी भाईचारा का संदेश अज़ान (इबादत के लिए बुलावा) देने वाला बनाया। समानता और आपसी मेल-मिलाप पर हर हाल में जमे रहने की ताकीद की। आप (सल्ल०) ने कहा था–

"हे लोगो! मैं नहीं जानता कि मैं अगले साल मैं तुम लोगों के बीच मौजूद होऊंगा या नहीं। मेरी बात ध्यान से सुनो। ...क़ियामत तक के लिए तुम्हारे जान-माल एक-दूसरे के लिए आदरणीय ठहरा दिये गये। याद रखो, हम लोगों में से प्रत्येक व्यक्ति को उस दिन अल्लाह के सामने हाज़िर होकर अपने-अपने कर्मों का हिसाब देना होगा। ...हे लोगो! तुम्हारा तुम्हारी औरतों पर और तुम्हारी औरतों का तुम पर हक़ है। उनके साथ अच्छा व्यवहार करो। दयालुता और प्रेम का

बर्ताव करो । एक-दूसरे पर विश्वास करो और आपसी विश्वास पर जमे रहो ।... सभी इन्सान आदम की संतान हैं और आदम मिट्टी से पैदा हुए थे । सभी मुसलमान आपस में भाई-भाई हैं । इस्लाम में सारे इन्सान बराबर हैं । किसी अरब को न तो किसी ग़ैर-अरब पर कोई श्रेष्ठता प्राप्त है और न ही किसी ग़ैर-अरब को किसी अरब पर । अल्लाह से डरो और उसके अज़ाब से बचो ।''

सारांश यह कि हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने मानव समानता और भाईचारे का सिद्धांत न केवल प्रस्तुत किया, बल्कि उस सिद्धांत को व्यावहारिक रूप भी दिया । आपने अपनी कथनी और करनी की समानता का जो अनुपम उदाहरण पेश किया, इन्सानी भाईचारा और इन्सानी बराबरी का जो मिसाल क़ायम किया, वह कई सदियां गुज़र जाने के बाद भी मुस्लिम समुदाय में आज तक बरक़रार है और इंशाअल्लाह, क़ियामत तक बरक़रार रहेगा । मुस्लिम समुदाय ने इस कल्याणकारी मार्ग से जब भी, जहां भी हटने की कोशिश की है, उसे मुसीबतों से दो-चार होना पड़ा है ।

भाइयो ! मुझे तो समय दिया गया है, उसमें अपनी बात को विस्तार से रखने का अवसर नहीं है, इसलिए मैं यहां कुछ ऐतिहासिक घटनाओं का संक्षेप में उल्लेख करना चाहूंगा ।

आपस में मेल-मिलाप हो, पाक रिश्ता हो, किसी के मन में कोई खोट न हो, एक-दूसरे के सुख-दुख में सब शामिल हों, इसका सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है, सबसे महत्वपूर्ण कसौटी है—अन्तर्नस्लीय विवाह इससे आपसी रिश्ते मज़बूत होते हैं, इन्सानी भाईचारा की भावना फलती-फूलती है, प्रेम-भाव का साम्राज्य क़ायम होता है । इसलिए मुस्लिम शासकों ने अतीत में ऐसे विवाहों को बढ़ावा दिया, इस पर कभी नाक-भौंह नहीं चढ़ाये । इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि उमैया एवं अब्बासी वंशों और उनकी बाद की पीढ़ियों के बहुत से शासकों की अनेक माएं तुर्की, यूनानी और नीग्रो नस्लों से थीं ।

एक बात और, इस्लाम की दृष्टि में ऊंचा ओहदा किसी को किसी पर अत्याचार करने या किसी को गुलाम बनाए रखने का अधिकार प्रदान नहीं करता । इस्लाम इसका सख़्त मुख़ालिफ़ है कि कोई अपने ऊंचे ओहदे और सामाजिक स्तर का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर कमज़ोर और ग़रीब पर अत्याचार करे, उसे गुलामी की ज़िन्दगी जीने को मजबूर करे । मैं अपने बात को स्पष्ट करने के लिए (अगले अध्याय में) हज़रत उमर (रज़ि०) के शासनकाल से एक उदाहरण पेश करना चाहूंगा । आप तो जानते ही हैं कि हज़रत उमर (रज़ि०) इस्लाम के दूसरे ख़लीफ़ा (जनप्रतिनिधि) थे और उनके शासनकाल में मानव-समानता और भाईचारा का साम्राज्य क़ायम था ।

Prop : Abid Hussain
09413037652
09252235194

Shop : Mujahid Hussain
09214747172

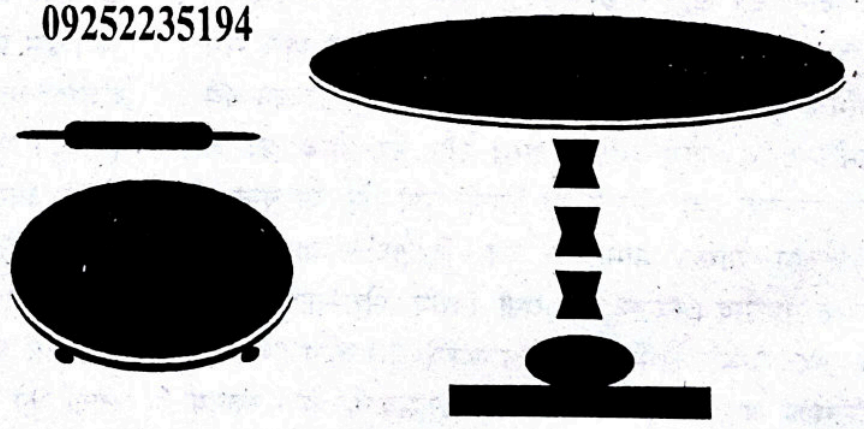

कान्ति मार्बल हैंडीक्राफ्ट

सभी प्रकार के वन पीस और ज्वाइंट पीस चकलों के निर्माता व थोक विक्रेता, मार्बल के फव्वारे तथा टेबल, टेलीफ़ोन स्टेंड, नोजल लैंप, गमले, घड़ी व फैंसी आइटम

Shop : Hotel Moti Mahal, Manglana Road, Makrana-341505
Fact : Bypass Mor, Opp : Sai Kirpa Petrol Pump, Makrana Road, Borawad (Raj.)

स्वतंत्रता–सपना और हक़ीक़त

■ पुष्पा श्रीवास्तव

अपने देश को अंग्रेज़ों की दासता से मुक्त हुए 65 वर्ष बीत गये हैं । इन वर्षों में हम भारतीय देश-भूषा, रहन-सहन, आचार-विचार, संस्कृति-सभ्यता में पूरी तरह अंग्रेज़ों के ग़ुलाम बन गये हैं और ''काले अंग्रेज़'' बनकर नित्यप्रति अंग्रेज़ियत तथा अंग्रेज़ी भाषा की अनिवार्य रूप से पैरवी करने में लगे हैं । आज देश में देशी बनाम विदेशी दो वर्ग हो चुके हैं जिसमें देशी वर्ग पूर्णत: मृत प्राय होकर विनाश के कगार पर है, जबकि विदेशी वर्ग नित्य नूतन उत्साह में भरकर सर्वत्र छा गया है तथा कुछ बची-खुची भारतीयता, भारतीय वेश-भूषा, भाषा-संस्कृति सभ्यता पर अन्तिम प्रहार करने हेतु तैयार हैं ।

• इसी देशी-विदेशी चक्र के संघर्ष में 65 वर्ष बीत गये । आज़ादी तक देशी वर्ग या भारतीय वर्ग सबल एवं सशक्त था और लग रहा था कि सरदार पटेल डॉ॰ राजेन्द्र प्रसाद, विनोबा भावे, वे॰एम॰ मुंशी व ख़ान अब्दुल ग़फ़्फ़ार ख़ान के नेतृत्व में एक देश एक राष्ट्रीय भाषा एक संस्कृति होगी जिसमें सारी देशी भाषाएं स्वतंत्र विकसित होकर फूलेंगी फलेंगी तथा काबुल से रंगून तथा तिब्बत से कोलंबो तक अखंड शक्तिशाली भारत बनेगा । तभी ब्रिटेन ने लार्ड तथा लेडी माउंटबेटेन के ज़रिये ज़बरदस्त कूटनीतिक खेल खेला और देश को टुकड़ों-टुकड़ों में छिन्न-भिन्न कर दिया ।

बंटवारे के बाद बचे आधे भारत का नेतृत्व ऐसे वर्ग को दिया गया जो सिर से पैर तक अंग्रेज़ थे तथा अंग्रेज़ी संस्कृति सभ्यता के समर्थक थे और शुरू से ही उन्होंने भारतीयता को दबाने कुचलने में तथा पाश्चात्य संस्कृति सभ्यता, भाषा, वेष-भूषा को लागू करने में एड़ी-चोटी का ज़ोर लगा दिया । इन्हें भारत या हिन्दुस्तान शब्द से ही इतनी घृणा थी कि इसकी जगह देश को ''इंडिया'' कहा तथा संविधान को लंदन रिटर्न लोगों द्वारा अंग्रेज़ी भाषा में लिखकर 1965 तक हिन्दी को सह राष्ट्रभाषा बना दिया । इन 15 वर्षों में लगातार षड्यंत्र एवं घृणित खेल चलता रहा । हिन्दी एवं देशी भाषाओं के क्षीण करके 1965 में अनंत काल तक के लिए अंग्रेज़ी राज भाषा बनायी गयी तथा हिन्दी अंक मिटाकर अंग्रेज़ी अंक अनिवार्य करके सभी ऊंची जगहों उच्च पदों हेतु अंग्रेज़ी भाषा को अनिवार्य कर दिया गया । एक वर्ष तक जिनह को अविभाजित भारत का प्रधानमंत्री स्वीकार न कर पाने के कारण देश टुकड़ों में बंट गया । जान-बूझकर राजनेताओं ने दक्षिणी भारत में हिन्दी विरोध कराकर ख़ून की होली खेली । भाषावार राज्यों का गठन किया तथा देश को जर्जर कर गिरवी रख दिया । चीन पाकिस्तान द्वारा छीना गया भारतीय भूभाग आज भी उनके अवैध क़ब्ज़े में है जबकि हम विश्व शक्ति बनने का तथा पाकिस्तान से तीन युद्ध जीतने का दावा करते हैं ।

अब अंग्रेज़ी तथा अग्रेजियत के समर्थकों का प्रबल तर्क देखा जाए, जिनके अनुसार देश आज एक विश्व शक्ति बन चुका है । घी-दूध की नदियां बह रही हैं । औसत आय ज़बरदस्त रूप से बढ़ी है तथा सकल राष्ट्रीय उत्पादन बहुत बढ़ गया है ।

आज विश्व में सबसे ज़्यादा सड़कें भारत में है । रेल मार्ग का यहां तीसरा विशालतम नेटवर्क है । देश में 100 करोड़ से भी अधिक फ़ोन एवं मोबाइल धारक है, जो चीन के बाद सर्वाधिक है । खाद्यान्न उत्पादन 23 करोड़ टन हो गया है । एक बड़ी अर्थव्यवस्था उभर रही है । विश्व में सबसे अधिक डॉक्टर मास्टर अधिवक्ता पुलिस, इंजीनियर, टेक्नीशियन भारत में है । सैन्य क्षेत्र में भारत चतुर्थ शक्ति बना है । घर-घर में टेलीफ़ोन, कंप्यूटर, लैपटाप बढ़ता जा रहा है और भी तमाम श्वेत हरित नीली क्रांतियां होती जा रही हैं तथा यह सब अंग्रेजियत अंग्रेज़ी भाषा संस्कृति सभ्यता के घोर अंधानुकरण से ही संभव है । भाजपा तथा वामपंथी दल भी इन आंकड़ों से मतिभ्रमित एवं सम्मोहित हैं तथा अंग्रेजियत विदेशीपन से सराबोर है ।

परन्तु ग़हराई एवं निष्पक्षता से उपर्युक्त आंकड़ों दलीलों की विवेचना की जाए तो एक दूसरा ही भयावह तथा शर्मनाक पहलू नज़र आता है । देश में क़ानून व्यवस्था बेहद ख़राब है सभी सरकारी विभागों में कार्यपालिका, न्यायपालिका,

विधायिका में भ्रष्टाचार, घूसख़ोरी, लालफ़ीताशाही चरम पर है। पुलिस तो सर्वत्र रक्षक के स्थान पर भक्षक बनकर 'वर्दी का लुटेरा' सिद्ध हुई है।

आज हर पद पर नियुक्ति पैसा सोर्स, घूसख़ोरी के बल पर हो रहा है न कि योग्यता के बल पर बिजली की व्यवस्था चरमरा चुकी है तथा सारी बिजली का अवैध उपयोग हो रहा है। मोबाइल तथा फ़ोन कंपनियां दोनों हाथों से ग्राहकों को लूट रही है, जबकि उनकी नेटवर्किंग सेवा क्षमता तथा योग्यता तार-तार हो रही है। यह पूरे देशवासियों का रोज़ का कटु निराशाजनक अनुभव है कि कहीं भी बिना पैसा दिये काम होने वाला नहीं है। रजिस्ट्री विभाग फ़ोन विभाग विकास भवन, पुलिस, सैन्य, जी०आर०पी०, आर०पी०एफ०, नगरपालिका, रोडवेज, रेल विभाग, समाज कल्याण विभाग, शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग चकबंदी विभाग कलैक्ट्री विभाग कहां तक कहा लिखा जाए सब जगह भ्रष्टाचार, घूसख़ोरी के नित नये रिकार्ड बन रहे हैं।

सबसे दुखद तथ्य तो यह है कि न्यायालयों में खुलेआम हाकिमों के सामने ही पेशकार, चपरासी मनमाना पेशी लेते हैं और मार-पीट करने पर उतारू हो जाते हैं क्या इसी लिए आज़ादी में करोड़ों देश भक्त मर मिटे थे क्या यही सब इंग्लैंड में होता है, जिसकी नक़ल हमारे राजनेता करके देश पर थोप रहे हैं।

यह सब पढ़ने में भयावह तो लगता है पर स्थिति इससे भी विकट है। बड़े घड़ियालों ने सबको चोरी, बेईमानी, घूसख़ोरी करने को मजबूर कर दिया है। देश की 90 प्रतिशत आम जनता को जो ग़रीब एवं मध्यम वर्ग की है। न्याय मिलना असंभव है। संबंधित अधिकारियों, नेताओं, मंत्रियों द्वारा दिखावे का नाटक तथा ख़ानापुरी भले की जाए पर वास्तव में लगभग सबका लक्ष्य लूट कर घर भरना है।

हत्या-बलात्कार जैसे जघन्य कृत्यों से अख़बार टी०वी० चैनल अटे पड़े हैं। भले ही 10 प्रतिशत अंग्रेज़ी तथा अंग्रेजियत के पोषक मंत्री नेता सरकारी कर्मी, दलाल, प्रशासनिक अधिकारी, धनकुबेर पैसों से धन से लबालब हों परन्तु 80 प्रतिशत जनता तो नारकीय जीवन बिताने पर अभिशप्त है। इन्हें देश की प्रगति, देश की समृद्धि से कोई मतलब नहीं है। जानवर से भी बदतर जीवन बिता रहे इस देश की यही असलियत है जिसे छिपाने हेतु हर संभव प्रयास किया जाता है। सुख समृद्धि के तमाम आंकड़े जारी किये जाते हैं। सेंसेक्स उड़ान भर रहा, हेमहंगाई ऋणात्मक है। बन्दरगाहों में लाखों टन दाल, चीनी सड़ रही है पर किसके लिए ? ज़रा हमारे नेता, प्रशासनिक अधिकारी जाकर ग़रीब मध्यम वर्ग की भोजन की थाली देखते कि कैसे वे नमक रोटी, प्याज रोटी वह भी आधे पेट खाकर सो रहे हैं। अधिकांश के पास रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं, बेटियों के ब्याज का पैसा नहीं, बच्चों को शिक्षा देने को धन नहीं। सूदब्याज़ चुकाते-चुकाते हाड़मांस के प्राप्त असमय क्षणिक सुख का सपना लिए मर जाते हैं। क्या ये देश के नागरिक नहीं ? क्या ये मानव नहीं हैं ?

Jamaat-e-Islami Social Service Society (Regd), Gaya

The Society is in service in the field of education, health and Islamic Understanding for the last 34 years. Our resources are limited, our task is tremendous. We seek your co-operation in the following activities:-

1. **IQRA PUBLIC SCHOOL :** Besides 800 paying students, about 150 poor or orphan girls & boys are provided free education upto Matriculation with Islamic Carriculam.
2. **MILLAT HOSPITAL :** Every year about 15,000 poor & needy patients are provided with free medical treatment & medicine besides other services.
3. **ISLAMIC INFORMATION CENTRE :** Established at Bodh-Gaya, where lakhs of foreigners visit every year during Nov-March. The Centre provides reading materials on Islam, distributes Islamic literature and invites interested visitors for discussion besides inter-faith dialogue on regular basis.

Kindly send your Cheque/Draft in favour of the society

(Nayyarruzzama)
Chairman

(Prof. Inamul Huque)
Secretary

J I S S S

Millat Campus, Leitch Road, Gaya-823001

देश का सारा तंत्र क्या 10 प्रतिशत के लिए ही बनाया गया ? सारे तंत्र ने इन 90 प्रतिशत अभागों हेतु क्या किया है ? इन गंभीर ज्वलंत प्रश्नों पर विचार करना ही होगा । भागने में भलाई नहीं और देश के ज़िम्मेदार राजनेता विपक्ष या प्रशासन तंत्र इन सबसे कितना भागेगा या जी चुराएंगे ? एक तरफ़ देश में सुख-सुविधाओं व समृद्धि का ढ़िंढ़ोरा पीटा जा रहा है वहीं वरिष्ठ तथा बुज़ुर्ग नागरिक दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं । सूखा ग़रीबी, भुखमरी तंगहाली अत्याचार उत्पीड़न से हज़ारों-लाखों ग़रीब, किसान, जवान तथा सामान्य जनता आत्महत्याएं कर रहे हैं । अधिकार मांगने हेतु हड़ताल, अनशन, आमरण अनशन किये जा रहे हैं तो बदले में पुलिस की लाठियां गोलियां मिल रही हैं । भोजन की विविधता थाली से ग़ायब होती जा रही है । सबसे बड़ा विश्व का जनतंत्र जर्जर ख़स्ताहाल में है इन् सड़कों पर औसत रफ़्तार 30 किमी० प्रतिघंटा पड़ती है । यही हाल रेलवे का है जो लूट-पाट, लेट-लतीफ़ी तथा भ्रष्टाचार गुंडागर्दी का पर्याय बन गयी है । करोड़ों मोबाइल बेकार पड़े हैं तो नेटवर्क कनेक्टिविटी का बुरा हाल है । अनाज का यह हाल है कि एक तरफ़ तो गाय-भैंस जानवर जी भर कर खा रहे हैं तो दूसरी ओर करोड़ों जनता भूखों मर रही है । यह सब हमारी आज़ादी की ऐसी नंगी उपलब्धियां हैं जिनसे मुख नहीं मोड़ा जा सकता । चोरों, बदमाशों, उचक्कों, गुंडों का राज है तो धन कुबेर, माफ़िया, क़ानून को खिलौना समझ बैठे हैं ।

प्रगति के नाम पर लूट, खसोट, भ्रष्टाचार, घूसख़ोरी एवं घोटालों का खुला खेल जारी है, वहीं हर्षद मेहता का घोटाला, कहीं तेलगी का घोटाला, कहीं खाद्य घोटाला, कहीं सुखराम का, तो कहीं बोफोर्स, कहीं चारा, तो कहीं गोर्शेकोव सौदा घोटाला, कहीं अस्पताल, आंगनबाड़ी घोटाला, आदर्श, टूजी स्पेक्ट्रम घोटाला रोज सुर्ख़ियों में छाया रहता है । बड़े-बड़े चाटुकार एवं रोजनेता देश की प्रगति का गुणगान करते नहीं थकेंगे । जबकि आतंकवाद तथा अव्यवस्था बेक़ाबू है ।

चीन विश्व की नम्बर एक विश्वशक्ति, खेल शक्ति, अंतरिक्ष शक्ति, परमाणु एवं सैन्य शक्ति बन चुका है । चीनी विश्व की सबसे बड़ी अन्तर्राष्ट्रीय भाषा है जबकि भारत की उपलब्धि क्या है ? न कोई राष्ट्र भाषा, न कोई विश्व शक्ति, न खेल शक्ति, न बीटो पावर, न तो समान क़ानून, न कोई भी उपलब्धि तो फिर इस आज़ादी का क्या मूल्य है । जहां चीन आन्तरिक अव्यवस्था तथा बाह्य आक्रमण एवं आतंकवाद का जड़ से सफ़ाया कर देता है, वहीं भारत इसमें पूर्ण अक्षम सिद्ध हुआ है । जो चीन के एक वर्ष ही आज़ाद हो चुका था । भारत का परिचय उस अंग्रेज़ी भाषा द्वारा दिया जाता है जिसके जनक अंग्रेज़ थे और जिनके क्रूर, बर्बर, दानवी अत्याचारों से आज़ादी पाने हेतु करोड़ों भारतीय शहीद हुए । क्या यही भारत की महान उपलब्धि है ?

क्षणिकाएं

(1)
पानी का संकट
बख़ूबी असर
दिखा रहा है
डूबने के लिए
चुल्लू भर भी नहीं
इसी लिए हर बेशर्म
ज़िन्दा नज़र
आ रहा है

(2)
सूखा राहत अधिकारी
सूखे के समय
गीले हैं
कमाई में चुस्त
काम में
ढीले हैं ।

(3)
दफ़्तर के
कर्मचारियों में
सामाजिक संस्कार
नज़र आ रहे हैं
क्योंकि वे
मिल-बांटकर
खा रहे हैं ।

(4)
वे पर्यावरण के प्रति
अपना फ़र्ज़
कुछ इस तरह से
निभाते हैं
कि ड्राइंग रूप में
हरियाली से भरी
तस्वीरें सजाते हैं ।

(5)
राजनीति में अब
कदापि भी नहीं
सूखे की बात है
क्योंकि अब तो
चारों ओर
आश्वासनों की
बरसात है ।

(6)
वे सच्चाई का पक्ष
कुछ इस तरह से
लैते हैं कि
सच को बचाने
के लिए
झूठे बयान
देते हैं ।

प्रो० (डॉ०) शरद नारायण खरे
विभागाध्यक्ष इतिहास
शासकीय महिला महाविद्यालय,
मंडला (म०प्र०)

خطباتِ پاکستان

مولانا سید جلال الدین عمری

یہ کتاب اصلاً مولانا سید جلال الدین عمری امیر جماعت اسلامی ہند کے ان خطبات پر مشتمل ہے جو انھوں نے جون ۲۰۱۲ء میں اپنے سفر پاکستان کے دوران مختلف دینی، تحریکی اور علمی مجلسوں میں دیے تھے۔ ان خطبات کا دائرہ بڑا وسیع ہے۔ ان میں اقامتِ دین کے علمی تقاضے، احیائے اسلام کی تدابیر، غلبۂ دین کی مختلف جہتیں، ذاتی اصلاح و تربیت، ہندوستانی مسلمانوں کے حالات و مسائل اور جماعت اسلامی ہند کی خدمات جیسے اہم موضوعات زیر بحث آئے ہیں۔

ان خطبات کے ساتھ وہ روداد، جو مولانا کے رفیق سفر ڈاکٹر محمد رضی الاسلام ندوی نے قلم بند کی تھی اور ۲۰۰۵ء میں مولانا عمری کے سفر پاکستان کی وہ روداد، جو خود انھوں نے تحریر کی تھی، دونوں شامل کر دی گئی ہیں۔ یہ دونوں رودادیں عام طرح کی رودادیں نہیں ہیں، بلکہ ان میں پاکستان کے حالات، وہاں کی بعض اہم شخصیات کا تعارف، دینی و تحریکی حلقوں کی سرگرمیاں اور بعض علمی مسائل پر اسلامی نقطۂ نظر کی وضاحت آ گئی ہے، اس لیے ان کی حیثیت ایک علمی دستاویز کی ہو گئی ہے۔

● سائز: $\frac{۲۳ \times ۳۶}{۱۶}$ ● صفحات: ۱۹۲ ● قیمت: 100.00

مرکزی مکتبہ اسلامی پبلشرز، نئی دہلی ۲۵

D-307, Dawat Nagar, Abul Fazl Enclave, Jamia Nagar, New Delhi-110025
Phone: 26971652, 26954341, 26946447(D) Fax: 26947858
E-mail: mmipublishers@gmail.com • Website: www.mmipublishers.net

जिस देश में गंगा बहती है और यमुना भी

■ डॉ॰ मुहम्मद अहमद

स्वामी महेश्वरानन्द सरस्वती जी का बारहवां परलोकगमन दिवस पिछले कुछ समय पहले बीता है। वे 24 अक्तूबर 2000 को उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जनपद में बेल्वादम्मार गांव के समीप अपनी कुटिया में ब्रह्मलीन हुए थे। उस समय उनकी आयु लगभग सौ वर्ष थी। स्वामी जी कोई सामान्य संत नहीं थे। बल्कि यूं कहें तो अधिक ठीक रहेगा कि उनके जैसे संतों की संख्या बहुत कम है। वे लोभ-लालच, मान-सम्मान, आडम्बर और अन्य विकारों से सदैव दूर रहे। स्वामी जी आदिगुरु शंकराचार्य के अनुयायी थे और परापूजा को ईश्वर-प्राप्ति का साधन समझते थे। उन्होंने कब पूजा की, किसी ने नहीं देखी। उनके प्रिय शागिर्द अब्बास अली साहब ने बताया कि हम लोग तो उनके साथ ही कुटी-परिसर में रहते थे, परन्तु कभी उनको पूजा-पाठ करते देखा। पंजाब और हरियाणा में उनके कई शिष्य हैं, लेकिन अब्बास साहब का परिवार ही उनके सबसे निकट था।

स्वामी जी का जन्म उतरौला (अब बलरामपुर जनपद) के पास एक गांव में हुआ था। उनके पिताश्री ने गृहस्थ जीवन त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिया था और सनातन धर्म कि ज्ञानमार्गी शाखा से जुड़ गये। कुछ वर्षों के बाद लगभग 21 वर्ष की आयु में स्वामी महेश्वरानन्द जी भी संन्यासी हो गये और अपने पिताश्री के साथ रहने लगे। उनका मूल नाम जयपत्र था। जब वे संन्यासी हुए, तो उस समय मध्य प्रदेश के रामगढ़ में वन निरीक्षक के पद पर नियुक्त थे। संन्यासी बनते ही नौकरी छोड़ दी। उनका अपने संन्यासी पिताश्री का साथ सात-आठ वर्ष तक ही रहा। वे ब्रह्मलीन हो गये, फिर भी उन्होंने अपने पिताश्री से संस्कृत सीखी, वेद, उपनिषद, आरण्यक ग्रंथों और कुछ विशिष्ट पुराणों के साथ ही गीता, रामायण और महाभारत का अध्ययन किया।

वे इतने स्वाध्यायी थे कि हिन्दी और गुरुमुखी भाषाएं अच्छी तरह सीख लीं। उर्दू और अंग्रेज़ी में तो अपने विद्यार्थी जीवन में ही निपुणता प्राप्त कर ली थी। सिख और इस्लाम धर्म की पुस्तकों का भी उन्होंने अध्ययन किया था। कुरआन का उर्दू अनुवाद वे पहले ही पढ़ चुके थे। इतने विशाल ज्ञान-भंडार के बावजूद वे पांडित्य-प्रदर्शन से सदैव बचते रहे। उन्होंने सच्चे अर्थों में संन्यास को ज्ञान-प्राप्ति का साधन बनाया था। वे साम्प्रदायिकता, घृणा एवं कट्टरवाद के घोर विरोधी थे और ऐसी ताक़तों से जीवन-भर डटकर लोहा लेते रहे। उन्होंने पूरे देश और तिब्बत की पैदल यात्राएं कीं और लोगों को इन्सान बनने की नसीहत करते रहे।

अब्बास अली साहब ने पिछले दिनों बताया कि स्वामी जी हमारे धार्मिक कर्म-कांड का काफ़ी ख़याल रखते थे। रमज़ान के रोज़ों के लिए हम सबको जगाते। सहरी खाने के लिए कहते। अब्बास साहब से जब मैंने स्वामी जी की धरोहर के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि यह कुटिया है और "फ्रेम वाली एक फ़ोटो, जो आदि शंकराचार्य जी की है। स्वामीजी अक्सर कहा करते थे कि सभी के धार्मिक तौर-तरीक़ें का आदर-सम्मान होना चाहिए। आज स्वामीजी की कुटिया के अस्ली वारिस अब्बास साहब ही हैं। ज़ाहिर है आज के युग में सांप्रदायिक-सद्भाव की इससे बढ़कर मिसाल और क्या हो सकती है ? स्वामीजी को श्रद्धांजलि!



सामूहिक सकारात्मक चिंतन से ही स्वस्थ समाज का निर्माण

❖ सीताराम गुप्ता

भारत-पाक संबंध सीधे दोनों देशों के लोगों की एक-दूसरे के प्रति सामूहिक सोच का परिणाम मात्र है । जब भी दोनों ओर से जनमानस में कट्टरता व्याप्त होती है उसी के परिणामस्वरूप होती है सीमा पर गोलीबारी और राष्ट्रों के मध्य तनाव । वैसे कम ही भारतीय या पाक नागरिक ऐसे हैं, जिन्होंने अपने पड़ोसी मुल्क की निंदा की हो अथवा उनके मन में वैमनस्य हो । किसी एक व्यक्ति या मुट्ठी भर लोगों की महत्वाकांक्षा के कारण उनकी सोच को सार्वजनिक सोच में बदलने का प्रयास किया जाता है तो प्रायः विफल हो जाता है । ऐसे कई कारण हैं जो दोनों देशों के लोगों की सोच को नकारात्मक होने से बचा लेते हैं ।

इस संसार में प्रत्येक दृश्यादृश्य वस्तु अथवा घटनाएं संसार के सभी लोगों की समग्र रूप से मन की कंडीशनिंग अथवा अनुकूलन के कारण ही हैं । सामूहिक विचार ही किसी क्षेत्र विशेष में अच्छी या बुरी परिस्थितियों के निर्माण में सहायक है । जहां तक परिस्थितियों के अच्छे या बुरे होने का प्रश्न है अच्छी या बुरी कोई-कोई चीज़ है ही नहीं । हमारी सोच ही किसी वस्तु या घटना को अच्छा या बुरा बनाती है जो हमारे मन की कंडीशनिंग ही के कारण है । आम तौर पर कहा जाता है कि ये सब हमारे कर्मों का फल है । ये भी ठीक है । कर्म हम क्यों करते हैं ? किसी विचार के वशीभूत होकर ही न । जब विचार अत्यंत प्रगाढ़ होकर संकल्प का रूप ले लेते हैं तभी कर्म की उत्पत्ति होती है । इस प्रकार कर्म और कुछ भी नहीं अपितु मन की कंडीशनिंग ही है चाहे वह एक व्यक्ति द्वारा किया गया कर्म हो अथवा सामूहिक रूप से किया गया कर्म ।

आज तमाम विश्व में विपत्तियां और विभीषिकाएं बढ़ती जा रही हैं । आतंकवाद और युद्ध जैसी स्थितियां सर्वत्र विद्यमान हैं । विश्वव्यापी पर्यावरण असंतुलन तथा प्रदूषण मनुष्य की ग़लत सोच के कारण ही उत्पन्न हुआ है । प्रदूषण चाहे परिवेशजन्य हो अथवा सांस्कृतिक प्रदूषण । समस्या चाहे जो हो उसका सीधा संबंध या तो मानवीय भूलों से अथवा तकनीकी ग़लतियों से है या लोगों की ग़लत सोच से । मानवीय ग़लतियां भी मन की कंडीशनिंग का परिणाम हैं तथा ग़लत सोच भी मन की कंडीशनिंग के लिए उत्तरदायी है । इस प्रकार आज विश्व में जहां भी विषम परिस्थितियां व्याप्त हैं उनके लिए विश्व के लोगों की सामूहिक सोच ही उत्तरदायी है । दूसरे लोगों के प्रति, दूसरे धर्म व संप्रदायों के अनुयायियों के प्रति तथा दूसरे राष्ट्रों और क्षेत्रों के लोगों के प्रति असहिष्णुता तथा अस्वीकृति से उत्पन्न विचार ही विश्व में तनाव का प्रमुख कारण हैं । दुनिया में कहीं भी सीमा विवाद हों, नस्ल व रंगभेद संबंधी समस्याएं हों, साम्प्रदायिक दंगे हों अथवा अकाल, बाढ़, भुखमरी, भूकंप, महामारी या कुपोषण ये सब सीधे हमारी सोच का परिणाम है ।

आज अमेरिका जितनी असहिष्णुता किसी भी देश में दुष्टिगोचर नहीं होती । अमेरिका और उसके सहयोगी राष्ट्र मिलकर अपने स्वार्थों के लिए जिस प्रकार विश्व परिदृश्य

शांति और सद्भाव की सभ्य समाज को आवश्यकता

मन पर प्रहार करने का अर्थ है मन को पिघलाकर अपेक्षित सकारात्मक प्रतिमा का निर्माण । जिस प्रकार धातु की खंडित प्रतिमा को पिघलाकर पुनः सांचे में ढाल कर नयी प्रतिमा का निर्माण किया जाता है उसी तरह सबसे पहले मन को पिघलाकर या शांत अवस्था में ले जाकर मन को निर्मल किया जाता है । मन में जो घातक विचारर जम गये हैं उनको निर्मूल किया जाता है अर्थात उनको निकाल बाहर किया जाता है नये उपयोगी विचार आरोपित किये जाते हैं । स्लेट को धो-पोंछकर पुनः नयी इबारत लिखी जाती है । यह इबारत है अहिंसा की, सह-अस्तित्व की, सहिष्णुता और स्वीकृति की, प्रेम और देखभाल की ।

को परिवर्तित करने का प्रयास कर रहे हैं वह उनकी अस्वीकृति तथा अहिष्णुता से उत्पन्न विचार का मूर्त रूप है और इसके लिए इन राष्ट्रों के तमाम या अधिकांश लोगों की प्रत्यक्ष या परोक्ष सहमति भी है । वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर की त्रासदी कोई तकनीकी या मानवीय भूल नहीं अपितु एक वैचारिक त्रुटि का परिणाम है । इन लोगों की वर्तमान ग़लत सामूहिक सोच का निकट या दूर भविष्य में क्या भयंकर दुष्परिणाम होगा यह निकट भविष्य में हम देख सकेंगे । क्या ये स्थिति अपरिहार्य है ? इसको टाला नहीं जा सकता ? बिल्कुल टाला जा सकता है बशर्ते कि सोच में परिवर्तन किया जा सके । लेकिन हम अपने निहित वर्तमान स्वार्थों के वशीभूत आंतरिक परिवर्तन की कामना कम ही करते हैं ।

आज विश्व में आतंकवाद जिस तरह अपनी जड़ें जमा रहा है उसके मूल में भी विभिन्न राष्ट्रों की पिछली ग़लत सोच ही उत्तरदायी है । आज इराक़ में अमेरिकी सैनिक वहां के लोगों पर जो ज़ुल्मो-सितम ढा रहे हैं, इराक़ी पुरुषों पर ही नहीं महिलाओं और बच्चों के साथ जिस नृशंसता से पेश आ रहे हैं, महिलाओं की अस्मतदरी कर रहे हैं क्या इन हालातों से उत्पन्न सामूहिक चिंतन भविष्य के नये आतंकवाद के आविर्भाव के लिए पर्याप्त नहीं होगा ? यदि विश्व को आतंकवाद और अराजकता के विभिन्न रूपों से सुरक्षित रखना है तो हम सबको अनतिविलंब अपनी सोच में सकारात्मक परिवर्तन करना ही होगा । मन में अपनी विस्तारवादी नीतियों पर लगाम लगानी ही होगी ।

आतंकवाद का मूल बंदूक़ की गोली या आयुधागार में नहीं है अपितु यह किसी के मन की पैदावार है । क्रांति वैचारिक होती है । जब विचार सकारात्मक होते हैं तो वह क्रांति सर्जनात्मक होती है । इसके विपरीत नकारात्मक भावों से उत्पन्न परिवर्तन या क्रांति विध्वंसात्मक होती है । आज विश्व के विभिन्न भागों में व्याप्त आतंकवाद के मूल में व्याप्त है लोगों की नकारात्मक सोच से उत्पन्न परिवर्तन । यह सोच व्यक्तिगत भी हो सकती है और सामूहिक भी । यही सोच पीढ़ी दर पीढ़ी संक्रमित हो रही है जो आतंकवाद के मूल में उपस्थित होकर किसी को बंदूक़ उठाने और फ़ायर करने पर विवश कर देती है । बंदूक़ों का उत्पादन बंद करके आप आतंकवाद का ख़ात्मा नहीं कर सकते । बंदूक़ तो माध्यम है । विचार या अशुभ विचार उपस्थित रहेगा तो माध्यम का विकल्प लोग खोज लेंगे । ऐसे करोड़ों सैनिक

हैं या हुए हैं जिन्होंने अपने कंधे पर लटकी बंदूक़ का ट्रैगर आज तक नहीं दबाया है । बंदूक़ का ट्रैगर दबाने के पीछे किसी व्यक्ति की उंगली नहीं अपितु भावधारा प्रभावी होती है । और ट्रैगर न दबाने के पीछे भी भावधारा ही होती है लेकिन शुभ विचारों की भावधारा, शांति और अनुशासन बनाए रखने की भावधारा । दुनिया में जितने भी नरसंहार या जाति संहार हुए हैं उनके पीछे कोई न कोई ग़लत विचार या संकुचित भावधारा ही काम कर रही थी । मुसोलिनी और हिटलर के कुकृत्यों के मूल में उनकी जो मनोवृत्ति थी उससे आप अपरिचित नहीं हैं ।

भारत-पाक संबंध सीधे दोनों देशों के लोगों की एक-दूसरे के प्रति सामूहिक सोच का परिणाम मात्र है । जब भी दोनों ओर से जनमानस में कट्टरता व्याप्त होती है उसी के परिणामस्वरूप होती है सीमा पर गोलीबारी और राष्ट्रों के मध्य तनाव । वैसे कम ही भारतीय या पाक नागरिक ऐसे हैं, जिन्होंने अपने पड़ोसी मुल्क की निंदा की हो अथवा उनके मन में वैमनस्य हो । किसी एक व्यक्ति या मुट्ठी भर लोगों की महत्वाकांक्षा के कारण उनकी सोच को सार्वजनिक सोच में बदलने का प्रयास किया जाता है तो प्राय: विफल हो जाता है । ऐसे कई कारण हैं जो दोनों देशों के लोगों की सोच को नकारात्मक होने से बचा लेते हैं ।

क्रांति वैचारिक होती है । जब विचार सकारात्मक होते हैं तो वह क्रांति सर्जनात्मक होती है । इसके विपरीत नकारात्मक भावों से उत्पन्न परिवर्तन या क्रांति विध्वंसात्मक होती है ।

यही कारण है कि भारत-पाक संबंधों की स्थिति थोड़ी जटिल ज़रूर है नियंत्रणातीत नहीं । यहां दोनों देशों के लोगों के मन में परस्पर अत्यंत सहिष्णुता तथा स्वीकार्यता विद्यमान है । दोनों राष्ट्रों की संयुक्त समृद्ध साहित्यिक व सांस्कृतिक विरासत तथा अब क्रिकेट जैसे खेल दोनों देशों के लोगों के मनों को अवश्य ही एक-दूसरे के लिए सकारात्मक सोच के लिए प्रेरित करेंगे । लोगों को चाहिए कि किसी एक शासनाध्यक्ष की ग़लत सोच को जन-गण-मन की सामूहिक सोच न बनने दें ।

भारत में कुछ समय के लिए हिन्दू-सिख वैमनस्य के फलस्वरूप उत्पन्न आतंकवाद एक अतीत बन गया है कारण स्पष्ट है ये स्थिति सिखों और हिन्दुओं के सामूहिक चिंतन में असहिष्णुता तथा अस्वीकृति के कारण उत्पन्न नहीं हुई थी अपितु कुछ बाहरी ताक़तों द्वारा अपने निहित स्वार्थों के लिए ऊपर से प्रायोजित कटुता थी जिसका अंत होना ही था । गोधरा कांड जिसकी आंच में अब तक रोटियां सेकी जा रही हैं भयंकर मानसिक अहिष्णुता का परिणाम है । इसको जस्टीफाई करना या वर्तमान परिवर्तित परिप्रेक्ष्य में इसके प्रभाव को न स्वीकार करना वस्तुत: भविष्य के लिए ग़लत विचार की कंडीशनिंग करना है ।

आप चाहे जो हों मुस्लिम कट्टरवाद और आतंकवाद की निंदा करना और उसे समाप्त करना आवश्यक है लेकिन साथ ही हिन्दू कट्टरवाद और आतंकवाद की निंदा करना और उसको समाप्त करने की दिशा में अग्रसर होना भी उतना ही आवश्यक है बल्कि उससे अधिक आवश्यक है । हिन्दू धर्म की सहिष्णुता और स्वीकार्यता का दंभ भरने वाले आज कहां चले गये ? हिन्दू धर्म की अच्छाइयां क्या मात्र हाथी के दिखाने के दांत बनकर रह जाने के लिए हैं ? अपने आपको टटोलिये । मन में जो ग़लत धारणाएं हैं उन्हें परिवर्तित कीजिए । लेकिन इसके लिए साहस अपेक्षित है । पहले ग़लतियों को स्वीकार कीजिए फिर उन्हें दूर कर सही विचार मन में डालिये । घृणा को घृणा से, कट्टरता को कट्टरता से अथवा विरोध को विरोध से समाप्त नहीं किया जा सकता यही शाश्वत नियम है ।

जनमानस में जब तक विरोध या आग्रह उत्पन्न नहीं होता तब तक कोई क्रांति कोई परिवर्तन संभव ही नहीं है इसके लिए ऊपर से चाहे जिना प्रयासकर लें । सामूहिक सोच में परिवर्तन द्वारा ही क्रांति या परिवर्तन लाया जा सकता है । तन को नहीं मन को छूना पड़ता है । युद्ध मैदान में बाद में लड़ा जाता है पहले वह किसी के मन में लड़ा जाता है । वहीं से उत्पन्न होकर वह युद्धभूमि में पहुंचता है । युद्ध, नरसंहार अथवा जाति संहार, नारी उत्पीड़न या अन्य किसी भी प्रकार की क्रूरता जैसी जो पाशविक वृत्तियां हैं वे मन की उपज हैं । अहिंसा के प्रशिक्षण द्वारा ही मानव मन व

मस्तिष्क में मौजूद पाशविक वृत्तियों को नष्ट किया जा सकता है । एक व्यक्ति के प्रशिक्षण से लेकर पूरे समाज को प्रशिक्षित कर सामूहिक सोच बदली जा सकती है । बाह्य युद्ध की समाप्ति अन्दर से ही प्रारंभ हो सकती है । युद्ध भूमि में अथवा नियंत्रण रेखा पर युद्ध की शुरुआत की तरह युद्ध विराम अथवा स्थायी शांति भी किसी के मन में व्याप्ती है बाद में समरांगन में ।

समाज में व्याप्त हिंसा भी हमारे मनों की ही उपज है और इन सबका उपचार बाहर से नहीं भीतर से संभव है । हृदय परिवर्तन द्वारा या मानसिक परिवर्तन द्वारा । न जाने कितने ख़ूंख़ार दस्युओं ने इसी आंतरिक परिवर्तन के कारण हथियार डाल दिये । बाह्य परिवर्तन द्वारा परिस्थितियां कितने दिन अपरिवर्तित रहेंगी ? पेड़ को तने से काट दीजिये । जब तक जड़ ज़मीन में सुरक्षित बाहर निकाल फेंकने से ही पेड़ की पुनः वृद्धि को रोका जा सकता है । आतंकवाद, हिंसा, जातीय घृणा व भेदभाव, धार्मिक व साम्प्रदायिक विद्वेष इन सबके मूल स्थान अर्थात व्यक्ति के मन पर प्रहार करके ही इनका स्थायी समाधान निकाला जा सकता है ।

मन पर प्रहार करने का अर्थ है मन को पिघलाकर अपेक्षित सकारात्मक प्रतिमा का निर्माण । जिस प्रकार धातु की खंडित प्रतिमा को पिघलाकर पुनः सांचे में ढाल कर नयी प्रतिमा का निर्माण किया जाता है उसी तरह सबसे पहले मन को पिघलाकर या शांत अवस्था में ले जाकर मन को निर्मल किया जाता है । मन में जो घातक विचारर जम गये हैं उनको निर्मूल किया जाता है अर्थात उनको निकाल बाहर किया जाता है नये उपयोगी विचार आरोपित किये जाते हैं । स्लेट को धो-पोंछकर पुनः नयी इबारत लिखी जाती है । यह इबारत है अहिंसा की, सह-अस्तित्व की, सहिष्णुता और स्वीकृति की, प्रेम और देखभाल की ।

एक व्यक्ति की सोच उसे कितना बदल देती है और जब यह सोच राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर समाज के सरोकार से एकाकार हो जाती है तो पूरे समाज में परिवर्तन अवश्यम्भावी है । और सब व्यक्ति एक ही दिशा में सोचें तो क्रांति हो जाए । वास्तव में कोई भी सफल क्रांति बाहर से नहीं अपितु सामूहिक वैचारिक चिंतन से ही होती है । चिंतन ऊपर से आरोपित किया गया हो तो वह क्रांति कारगर नहीं हो सकती क्योंकि विचार और व्यवहार में एकरूपता अनिवार्य है ।

आवश्यकतानुसार विचार में परिवर्तन करें तथा विचार के अनुसार आचरण में तभी सभी समस्याओं का, चाहे वे व्यक्तिगत हों अथवा सामूहिक, निराकरण संभव है और यही एक स्वस्थ समाज के निर्माण के मूल में है ।

''इन्सान के विचार, चाहे वे होश में हों अथवा बेहोशी में दरअस्ल प्रार्थना ही होते हैं । हर विचार एक प्रार्थना का काम करता है । हर विचार के साथ जो इच्छाएं जगती हैं वे प्रार्थना का काम करती हैं । केवल इन विचारों में तारतम्य और दिशा न होने के कारण उनके इच्छित (अभीप्सित) परिणाम नहीं आते ।''

उपरोक्त विचार व्यक्त किये हैं सरश्री तेजपारखीजी ने अपनी पुस्तक ''प्रार्थना : एक अद्‌भुत शक्ति'' में । सरश्री आगे कहते हैं : ''अगर विश्व के सभी लोग मिलकर एक ही स्थान पर, एक साथ, दो मिनट प्रार्थना करें तो विश्व युद्ध को भी रोका जा सकता है । यह दो मिनट की प्रार्थना भी बहुत बड़ा काम कर सकती है, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती । एक सामूहिक प्रार्थना विश्व की संपूर्ण समस्याओं को समाप्त कर सकती है । एक साथ मिलकर जब बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं तो उसमें ग़ज़ब की शक्ति होती है । सभी के विचार व भाव एकाग्र होकर दुनिया से हिंसा, ग़रीबी, अकाल तथा अन्य हर प्रकार की समस्या का हल कर सकने में सक्षम हैं ।''

सामूहिक सकारात्मक चिंतन की आज बहुत आवश्यकता है ।

सर्वे भवंतु सुखिनः सर्वे संतु निरामयाः ।
सर्वे भद्राणि पश्यंतु मा कश्चिद् दुःखभाक्‌भवेत ।।

–संपर्क : ए-डी॰ 106 सी, पीतमपुरा, दिल्ली-110088

For Information On
City Shops, RoadsQ–Products, Restaurants, Magazine, Schools And much more.
Syed Shahbaz Alam Barvi
Business Development Director (09049185093)
Visit us:
www.shoppinglanes.com

इस्लाम में चरित्र एवं आचरण की महत्ता

■ मौलाना सैयद हामिद अली

इस्लाम में जिस चीज़ का सबसे अधिक महत्व है, वह है इन्सान का चरित्र और आचरण । वास्तव में इस्लाम कहते ही विश्वास धारण करने और भले काम करने को हैं । इसी लिए अल्लाह ने अपने सभी वादों के लिए चाहे वे दुनिया से संबंधित हो या परलोक से ईमान और अच्छे कर्म की शर्त रखी है । पवित्र कुरआन में ईमान के साथ अनेकों स्थानों पर सुकर्म का उल्लेख किया गया है ।

'मोमिन, 'यहूदी', 'नसारा' (ईसाई), और 'साबई' कोई हो इन में से जो भी अल्लाह और आख़िरत (अन्तिम दिन) पर ईमान लाएंगे और भले कर्म करेंगे उनका बदला तो उनके रब के पास है और (आख़िरत में) उन्हें न तो कोई भय होगा और न वे शोकाकुल होंगे !' (कुरआन, 2:62)

इसका मतलब यह है कि अल्लाह को किसी गिरोह से प्रेम या दुश्मनी नहीं, वह तो यह चाहता है कि इन्सान ईमान और नेक कामों की अमूल्य नेमतों से अपनी झोली भर ले । भविष्य की चिंता रखने वाले जो व्यक्ति ऐसा करेंगे वे परलोक में अल्लाह के प्रकोप से सुरक्षित रहेंगे और उसके प्रतिदान के अधिकारी होंगे ।

'जो लोग ईमान लाये और अच्छे काम किये उन्हें हम ऐसे बाग़ों में जगह देंगे जिनके नीचे से नहरें बहती होंगी और वे उनमें सदैव रहेंगे । यह अल्लाह का सच्चा और पक्का वादा है । और अल्लाह से ज़्यादा सच बात कहने वाला और कौन हो सकता है ? न तुम्हारी कामनाओं से कुछ होता है और न किताब वालों की । जो व्यक्ति भी बुरे काम करेगा उसका फल पाएगा और अल्लाह के मुक़ाबला कोई संरक्षक, मित्र और सहायक उसे न मिलेगा (जो उसे सज़ा से बचा सके । और जो कोई नेक काम करेगा–मर्द हो या औरत–यदि वह मोमिन है तो वह जन्नत (स्वर्ग) में दाख़िल होगा और उस पर तनिक भी जुल्म न होगा ।' (कुरआन, 4:122-124)

इन आयतों से कई बातें स्पष्ट हुईं । एक यह कि ईमान और नेक काम का फल जन्नत और उसकी सदैव रहने वाली नेमतों के रूप में अवश्य मिलेगा । दूसरी यह कि मोमिन का साधारण से साधारण नेक काम भी स्यर्थ नहीं जाएगा । तीसरी यह कि बुरे कामों के बदले दंड मिलकर रहेगा–यह और बात है कि मनुष्य उससे तौबा कर ले–ख़ुदा की इस सज़ा से इन्सान को ख़ुदा के अतिरिक्त कोई बचा नहीं सकता । 'जो लोग ईमान लाये और जिन्होंने नेक काम किये कृपाशील प्रभु उनके लिए (दिलों में) प्रेम पैदा कर देगा ।' (कुरआन, 19:96)

सत्य धर्म का रास्ता विरोधों और कठिनाइयों से भरा हुआ है, मगर कुरआन की यह आयत बताती है कि कोई गिरोह ईमान और अनुकूल कर्म के गुण रखता हो, तो आख़िरकार विरोध समाप्त हो जाता है । लोग सत्य को और सत्य की ओर बुलाने वाले दोनों ही को पहचान लेते हैं और उनकी दुश्मनी प्रेम और मुहब्बत में परिवर्तित हो जाती है । 'तुममें से जो लोग ईमान लाये और जिन्होंने नेक कार्य किये, अल्लाह ने वादा किया है कि वह उन्हें ज़मीन में सत्ता प्रदान करेगा जिस प्रकार कि उनसे पहले के लोगों को सत्ता प्रदान की थी और जो दीन (धर्म) उसने उनके लिए पसन्द किया है उसे प्रभुत्व प्रदान करेगा और उनको भय के बाद निर्भय कर देगा । वे मेरी बन्दगी करेंगे, मेरे साथ किसी को शरीक न ठहराएंगे ।' (कुरआन, 24:55)

कुरआन की इन आयतों से विदित होता है कि सत्ता ऐसे लोगों को मिलती है और धर्म भी उन्हीं के द्वारा प्रभुत्वशाली होता है जिनमें ईमान और भले काम करने के उच्च गुण पाये जाएं । जो गिरोह भी ये गुण पैदा कर लेगा दुनिया में उसे चिंतारहित जीवन मिलकर रहेगा । उसे धर्म को प्रभुत्वशाली बनाने का सौभाग्य प्राप्त होगा और वह सत्ता पाने का अधिकारी समझा जाएगा । 'भले काम' किसी विशेष नेकी को नहीं कहते, बल्कि भला काम यह है कि मोमिन अपनी पूरी ज़िन्दगी में वह रास्ता अपनाये जिससे अल्लाह ख़ुश होता है और जो रसूल के अनुसरण का रास्ता है । ऐसा करने पर उसकी पूरी ज़िन्दगी ही भले कामों में समझी जाएगी अर्थात उसका सोना, जागना, खाना, पीना, कमाना और बाल-बच्चों को पालना, यहां तक कि अपनी पत्नी के पास जाना इन सारे

कामों की गणना भले और नेक कामों में होगी, जिसका वह अल्लाह से बदला पाएगा । हदीस में है–

'हलाल (वैध) कमाई की तलाश अस्ल फ़र्ज़ के बाद एक फ़र्ज है ।' (शोबुल ईमान, बैहक़ी)

इस हदीस में क़ुरआन की सूरा जुमा की इस आयत की ओर संकेत है–'जब जुमा की नमाज़ अदा हो जाए तो ज़मीन में फैल जाओ और अल्लाह का अनुग्रह (हलाल रोज़ी) तलाश करो और अल्लाह को ज़्यादा से ज़्यादा याद करो ताकि तुम सफल हो ।' (क़ुरआन, 62:10)

जिस प्रकार नमाज़ के समय नमाज़ फ़र्ज़ (अनिवार्य) है उसी प्रकार नमाज़ अदा करने के बाद हलाल कमाई का हासिल करना भी अनिवार्य है और यह अल्लाह की कृपा ही से मिलती है । लेकिन रोज़ी के लिए प्रयास करते समय आवश्यक है कि इन्सान अल्लाह को ज़्यादा से ज़्यादा याद रखे, इस तरह वह हराम कमाई से बच सकेगा और दुनिया में धन-दौलत के मोह से भी बचा रहेगा । जब दौलत उसके हाथ आये तो उसे अल्लाह के आदेशानुसार सही कामों में ख़र्च करे । मनुष्य के लिए सफलता प्राप्त करने का मार्ग यही है । एक अन्य हदीस में है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने फ़रमाया–'एक दीनार (अशरफ़ी) वह है जो तुमने अल्लाह की राह में ख़र्च किया हो, एक दीनार वह है जो तुमने गुलाम को मुक्त कराने में लगाया हो, एक दीनार वह है जो तुमने किसी ग़रीब के लिए दान किया हो और एक दीनार वह है जो तुमने अपने बाल-बच्चों पर ख़र्च किया हो, इनमें सबसे ज़्यादा बदला उस दीनार पर मिलेगा, जो तुमने अपने बाल-बच्चों पर ख़र्च किया होगा ।' (मुस्लिम)

इसका मतलब यह है कि जो व्यक्ति अपनी हलाल कमाई से अल्लाह को ख़ुश करने के लिए भलाई के कामों में ख़र्च करता है और साथ ही अपने बाल-बच्चों का हक़ भी अदा करता है, उसे बाल-बच्चों पर ख़र्च करने का असाधारण बदला मिलेगा ।

ज्ञात हुआ कि 'भला क़ाम' यह है कि जो काम करो अल्लाह को प्रसन्नता के लिए, उसकी ओर उसके रसूल की आज्ञा का पालन करते हुए और अल्लाह की निर्धारित की हुई सीमाओं के भीतर रहते हुए करो ।

'भले काम' का सर्वप्रथम और मूल अंश यह है कि मनुष्य का संबंध अल्लाह से सही हो । 'भले काम' का दूसरा महत्वपूर्ण और मौलिक अंश बन्दों के हक़ और अधिकार को अदा करता है । 'भले काम' का तीसरा महत्वपूर्ण और बुनियादी पहलू वह है जिसे आमतौर से 'नैतिकता' का नाम दिया जाता है । यहां हम इसी पर कुछ प्रकाश डालेंगे । दीन में नैतिकता का क्या महत्व है ? इसका अनुमान इस बात से किया जा सकता है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने अपने आने का उद्देश्य बयान करते हुए फ़रमाया–'मुझे इसलिए नबी बनाकर भेजा गया है कि मैं सुशीलता को पूर्ण रूप दूं । आप (सल्ल०) का कथन यह भी है कि मुझे इसलिए भेजा गया हूं कि मैं नैतिक श्रेष्ठताओं को पूर्णत: तक पहुंचा दूं ।

आप (सल्ल०) ने किया भी यही । आप (सल्ल०) ने नैतिक सिद्धांतों को बहुत स्पष्ट रूप से बयान किया, उनके महत्व पर प्रकाश डाला, पूरी ज़िन्दगी में उन्हें क्रियान्वित रूप दिया, यह देखे बिना कि दूसरे लोग इन सिद्धांतों पर चलते हैं या नहीं, इन सिद्धांतों पर चलने की ताकीद की । लाभ और हानि से बेपरवाह होकर नैतिक सिद्धांतों से जुड़े रहने का आदेश दिया और इन्हें जाति, परिवार, राष्ट्र और देश हर एक के हित से सर्वोपरि बताया और मानवजाति को ऐसी जीवन प्रणाली दी, जिसके एक-एक अंश में नैतिक मूल्यों को समाविष्ट कर दिया । इसी जीवन प्रणाली को आप (सल्ल०) ने स्वयं स्थापित किया और इस्लामी समुदाय को उसे स्थापित और लागू करने पर नियुक्त किया । इसके साथ-साथ आपं (सल्ल०) ने नैतिक शिक्षाओं को अपने जीवन में व्यावहारिक रूप देकर एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत किया जिसका मानव इतिहास में कोई उदाहरण नहीं मिलता । स्वयं अल्लाह ने आप (सल्ल०) को महान नैतिकता पर प्रतिष्ठित बताया है–'और निस्संदेह तुम महान सुशीलता पर प्रतिष्ठित हो ।' (क़ुरआन, 68:4)

अल्लाह के नबी (सल्ल०) की दृष्टि में सबसे उत्तम व्यक्ति वह है, जो शील-स्वभाव में सबसे अच्छा हो–

ऐसे ही लोग अल्लाह और उसके रसूल को अधिक प्रिय भी हैं । हदीस में है–

'मुझे तुम में वे व्यक्ति अधिक प्रिय हैं, जो तुम में सबसे अच्छे स्वभाव वाले हों ।' (बुख़ारी)

Md. Rashid
9835125717

N. S. ENCLAVE

Masud Ahmad
9431107797

आप मकान,
दुकान, कोठी,
रिहाइशी मकान एवं
सस्ते और सुन्दर
प्लाट एवं फ्लैट
के लिए
संपर्क करें।



साथ में
बी॰ एड॰ कॉलेज
एवं
इंजीनियरिंग कॉलेज
की भी सुविधा
उपलब्ध है।

साथ में मस्जिद एवं क़ब्रिस्तान भी है।

नग़मा ड्रेसेज

हमारे यहां फैंसी साड़ियां, रेडिमेड ड्रेस, टी शर्ट,
बाबा सूट, फ्रॉक, मिडी, नाइटी, स्कूल ड्रेस,
जींस पैंट एवं फैंसी रेडिमेड होजरी वस्त्रों के लिए पधारें।

OFFICE CONTACT : NAGMA DRESSES
Booti Chowk, Dubey Market, Ranchi (Jharkhand)

CONTACT No. 2 Masud Ahmad, Hamid Book Depot,
Opp. Urdu Library,
Main Road, Ranchi-834001 (Jharkhand)

Mobile : 09431107797

आत्महत्या की बढ़ती घटनाएं

'संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम'

■ सुनीता शर्मा
(ग़ाज़ियाबाद, उ०प्र०)

प्रसिद्ध चिंतक अरस्तू ने कहा था कि आप मुझे सौ अच्छी माताएं दें तो मैं तुम्हे एक अच्छा राष्ट्र दूंगा ! मां के हाथों में राष्ट्र निर्माण की कुंजी होती है, किन्तु आज ऐसी माताओं व सोच की कमी-सी महसूस हो रही है ! जीवन स्तर बढ़ने के साथ-साथ, भौतिक प्रतिस्पर्धा भी अपने चरम पर है जिसका दुष्प्रभाव तनाव युक्त जीवनशैली से आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं के रूप में सामने आ रहा है ! आज के समाज में आत्महत्या जैसा आत्मघाती क़दम एक अभिशाप बन गया है ! बड़े दुख का विषय है कि आज विद्यार्थियों में लगन और मेहनत से विद्या ग्रहण करने की प्रवृति लुप्त होती जा रही है । वे जीवन के हर क्षेत्र में शार्टकट मार्ग अपनाना चाहते हैं और असफल रहने पर आत्महत्या जैसे दुस्साहसी एवं कायराना क़दम उठा लेते हैं !

एक पक्षी को ऊंची उड़ान भरने के लिए दो सशक्त पंखों की आवश्यकता होती है । उसी प्रकार मनुष्य को भी जीवन के उच्च लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दोनों प्रकार की शिक्षा अपने बच्चों को अवश्य दें ! सांसारिक शिक्षा उसे जीविका और आध्यात्मिक शिक्षा उसके जीवन को मूल्यवान बनाएगी !

आजकल अभिभावक भी स्वयं बच्चों पर पढ़ाई और कैरियर का अनावश्यक दबाब बनाते हैं ! वे ये समझना ही नहीं चाहते कि प्रत्येक बच्चे की बौद्धिक क्षमता भिन्न होती है और जिसके चलते हर छात्र कक्षा में प्रथम नहीं आ सकता! बालकाल से ही बच्चों को यह शिक्षा दी जानी चाहिए कि असफलता ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है ! यदि बच्चा किसी वजह से असफल होता है तो वह पारिवारिक एवं सामाजिक उलाहना के भय से आत्महत्या को सुलभ मान लेता है ! जिसके बाद वे अपने परिवार और समाज पर प्रश्न चिन्ह लगा जाते हैं । बच्चों में आत्मविश्वास की कमी भी एक बहुत बड़ा कारक है !

आज खुशहाली के मायने बदल रहे हैं अभिभावक अपने बच्चों को हर क्षेत्र में अव्वल देखने एवं सामाजिक दिखावे के चलते उन्हें मार्ग से भटका रहे हैं ! एक प्रतिशत के लिए यह मान लिया जाए कि वे बच्चे कुंठा ग्रस्त होते हैं जिन परिवारों में शिक्षा का अभाव होता है, किन्तु वास्तविकता यह है की ग़रीब बच्चे फिर भी संघर्षपूर्ण जीवन में मेहनत व हौसले के बलबूते अपनी मंज़िल पा ही लेते हैं! किन्तु अक्सर धन वैभव से भरे घरों में अधिक तनाव का माहौल होता है और एक-दूसरे से अधिक अपेक्षाएं रखी जाती हैं ! साधन सम्पन्न होने के बाबजूद युवा पीढ़ी में आत्महत्या के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं !

मनोचिकित्सक का मानना है कि खुदकुशी कोई मानसिक बीमारी नहीं, बल्कि मानसिक तनाव और दबाब का प्रभाव होता है ! असंतोष इसका मुख्य कारण है ! कुछ वर्षों से दस से बाइस वर्ष के बच्चे आत्महत्या को अपना रहे हैं ! परीक्षाओं का दबाब, सहपाठियों द्वारा अपमान का भय, अध्यापकगण की लताड़ या व्यंग्य न बर्दाश्त करने की क्षमता उन्हें इस मार्ग की ओर धकेल रहा है ! शहरों की भागदौड़ भरी ज़िन्दगी में बच्चे वक़्त से पहले परिपक्व हो रहे हैं जिसके फलस्वरूप वे अपने निर्णय स्वयं लेना चाहते हैं और अपने द्वारा लिए गये निर्णयों के अनुसार आशातीत परिणाम प्राप्त न होने पर आत्महत्या का निर्णय ले लेते हैं ! यही नहीं माता-पिता की आकांक्षाओं की पूर्ति का दबाब वे अपनी ज़िन्दगी पर न सह पाने की वजह और सही निर्णय न लेने की स्थिति में उन्हें

यह मार्ग सुगम दिखता है !

आज के सन्दर्भ में दोष उन अभिवाहकों का है, जो अपने बच्चों की प्रदर्शनी लगाना चाहते हैं मानो वह भी आज की उपभोकतावादी संस्कृति के चलते एक वस्तु हो और उन्हें जीवन के हर क्षेत्र के लिए अधिक से अधिक मूल्यवान बनाया जा सके। यही कारण है की आज परिवार अपने मौलिक स्वरूप से भटक कर आधुनिकता की बलिवेदी पर होम हो रहे हैं ! भावनाओं और संवेदनाओं से शून्य होते पारिवारिक रिश्ते कलुषित समाज की रचना कर रहे हैं ! अभिभावकों को समझना होगा की बच्चे मशीन या रोबोट नहीं हैं ! बच्चों को बचपन से अच्छे संस्कार दिये जाने चाहिए, ताकि वे अपनी मंज़िल पर अपनी खुद चुने किन्तु आत्मविश्वास न खोएं ! बच्चों को सहनशील, धैर्यवान, निर्भीक, निर्मल, निश्चल बनाना है, तो स्वत: अपने स्वभाव परिवर्तित करें !

बाल सुलभ मन में चरित्र का प्रभाव पड़ता है ! शिक्षा का नहीं, आचरण का सभ्यता बाल सुलभ मन पर अधिक प्रभाव पढ़ता है ! शिक्षा का अंतिम लक्ष्य सुंदर चरित्र है ! मनुष्य के व्यक्तित्व के सभी पहलुओं का पूर्ण और संतुलित विकास करता है ! इसके अंतर्गत बच्चों में पांचों मानवीय मूल्यों अर्थात सत्य, प्रेम, धर्म, अहिंसा और शांति का विकास होता है ! आज की शिक्षा बच्चों को कुशल विद्वान एवं कुशल डॉक्टर, इंजीनियर या अफ़सर तो बना देती है, परन्तु यह वह अच्छा चरित्रवान इंसान बने यह उसके संस्कारों पर निर्भर करता है !

एक पक्षी को ऊंची उड़ान भरने के लिए दो सशक्त पंखों की आवश्यकता होती है । उसी प्रकार मनुष्य को भी जीवन के उच्च लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दोनों प्रकार की शिक्षा अपने बच्चों को अवश्य दें ! सांसारिक शिक्षा उसे जीविका और आध्यात्मिक शिक्षा उसके जीवन को मूल्यवान बनाएगी !

बच्चों को श्री हरिवंश राय बच्चन जी की कविता के अंश ज़रूर पढ़ने चाहिए–

असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो,क्या
कमी रह गयी, देखो और सुधार करो ।
जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम,
संघर्ष का मैदान छोड़ कर मत भागो तुम ।
कुछ किये बिना ही जय-जयकार नहीं होती,
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती ।

बच्चों को भी ध्यान रखना होगा की ज़िन्दगी बहुत क़ीमती है और वे जिस समाज में रहते हैं उसके प्रति उनकी भी नैतिक ज़िम्मेदारी है, जिसका निर्वहन करना उनका फ़र्ज़ है ! वे जिस समाज में रहते हैं, उसका सम्मान करें क्योंकि उस समाज ने उनके लिए बहुत कुछ किया है और सामाजिक प्राणी होने के नाते आप अपनी ज़िम्मेदारी निभाये बिना कैसे इस दुनिया से चले जाना चाहते हैं ? सिर्फ़ इसलिए कि आप चुनौतियों से घबरा गये हैं ! खेद इस बात का नहीं होना चाहिए की आप असफल हुए हैं, बल्कि आप की वजह से आपके माता-पिता का समय, धन और सम्मान को ठेस पहुंची ! जीवन को चुनौती समझकर दृढ़ता से उस पर आने वाली चुनौतियों का डट कर सामना करें और अपनी ग़लतियों का अवलोकन कर इस दृढ़ता से परीक्षा की तैयारी करें और कठिनाई के समय अपने शिक्षक, अभिभावक को अपना मित्र समझ अपनी परेशानी उन्हें बताएं और स्वयं पर हीनता के भाव कदापि न आने दें !



कबूतरख़ाना

■ डॉ॰ सलीम ख़ान

कबूतरख़ाना नाम का गांव यहां बसने वाले लोगों के अतिरिक्त यहां पाये जाने वाले कबूतरों के कारण भी प्रसिद्ध था । वैसे तो ये एक हास्यप्रद नाम था लेकिन इस गांव के लोगों को अपने कबूतरों से इतना प्रेम था कि वे इस नाम पर गर्व करते थे । वैसे तो ये किसानों की बस्ती थी, यहां के लोगों का व्यवसाय खेती बाड़ी और शौक़ कबूतरबाज़ी था । सुबह सवेरे ये लोग अपने खेतों की तरफ़ निकल पड़ते और शाम को वापस आकर कबूतरबाज़ी में लग जाते । गांव में एक छोटी-सी मस्जिद भी थी जो वीरान पड़ी रहती थी ।

चौधरी ईनायत हुसैन गांव के सरपंच थे । उनका गांव में बड़ा आदर सम्मान था । उनके बड़े-बड़े खेत थे और उनके बाड़े में कबूतरों की संख्या भी सबसे अधिक थी । उनके घर के पास असलम का घर था । असलम भी कबूतरों का बड़ा रसिया था । खेती के काम से जैसे ही निबटता, जंगलों की तरफ़ निकल जाता और वहां नये कबूतर पकड़ने में लग जाता । जंगली कबूतरों को फांसने और उन्हें सिधाने में वह बड़ा निपुण था ।

एक दिन उसने देखा, घने जंगल में लाल कबूतरों का एक जोड़ा दाना चुग रहा है । गांव में लोगों के पास विभिन्न प्रकार के कबूतर थे लेकिन लाल कबूतर किसी के पास नहीं था । जब असलम ने उन कबूतरों को पकड़ने का प्रयत्न किया तो वे उड़ गये । लेकिन आसमान में उड़ते हुए ये कबूतर असलम के मन-मस्तिष्क में बस गये थे । उसने सोच लिया था कि वो हर हालत में उन्हें प्राप्त करके ही रहेगा । अब दूसरे कबूतरों में असलम की रुचि कम हो गयी थी । उसकी नज़रें लाल कबूतरों को ही तलाश करती रहतीं, लेकिन वे थे कि कभी नज़र ही न आते ।

काफ़ी समय गुज़र जाने के बाद फिर एक बार पहले वाली जगह पर असलम ने उन्हें देख लिया । उसकी उपेक्षा अपेक्षा में बदल गयी । बड़ी चालाकी से उसने इस बार कबूतरों पर अपना जाल डाला और उन्हें फांसने में सफल हो गया । अपनी इस कामयाबी पर असलम का दिल बल्लियों उछल रहा था । उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुबेर का ख़ज़ाना प्राप्त कर लिया है । जो चीज़ जितने कम लोगों को उपलब्ध होती है, उसका मूल्य उतना ही अधिक होता है । यह प्रकृति का नियम है । लाल कबूतर चूंकि गांव में केवल असलम के पास थे, इसलिए वो अपने आपको बस्ती का बताज बादशाह समझने लगा था । कुछ ही घंटों में उन लाल कबूतरों के चर्चे पूरे गांव में होने लगे । लोग आकर उन कबूतरों को देखते और ईर्ष्या की आग में जल-भुनकर वापस लौटते । असलम बहुत जल्दी उन्हें सधाने में कामयाब हो गया । अब वो उन्हें आसमान में खुला छोड़ देता और ये लाल कबूतर आकाश में असलम की लोकप्रियता का झंडा गाड़ते फिरते ।

बूढ़े दादा उमरू के अतिरिक्त इन लाल कबूतरों से असलम के सारे घर वाले बड़े ख़ुश थे । उमरू दादा ने असलम को समझाया, "देख बेटा असलम, ये लाल कबूतर वफ़ादार नहीं होते । इनको न सधा न इनसे जी लगाना । ये किसी भी समय उड़ जाएंगे ।"

असलम ने कहा, "कोई बात नहीं । इनकी इच्छा और अपना भाग्य ।"

दादा उमरू ने फिर कहा, "असलम यह इतना सरल नहीं है ।"

असलम ने कंधे उचकाये और दादा उमरू को समझाने लगा, "आप बेकार की चिंता कर रहे हैं । एक तो ये जाएंगे नहीं । आज तक हमारे बाड़े से कोई कबूतर नहीं गया । हमारे प्रेम का बंधन इन्हें कभी दग़ा करने नहीं देगा और फिर अगर चले भी गये तो..." ये कहकर असलम रुक गया ।

उमरू दादा बोले, "असलम आगे बोलो, रुक क्यों गये ?" असलम ने बात आगे बढ़ायी, "जी हां, अगर चले भी गये तो इनकी मर्ज़ी ।"

उमरू ने चेतावनी दी, "असलम दूसरे कबूतरों की बात और है । मैं तो इन लाल कबूतरों की बात कर रहा हूं जो केवल तुम्हारे पास हैं ।"

असलम कुछ परेशान-सा हो गया । फिर कंधे उचकाते हुए बोला, "उनकी इच्छा और अपना भाग्य ।"

उमरू दादा ने फिर कहा, "यह इतना सरल नहीं है ।"

एक दिन रोज़ की तरह असलम शाम के समय अपने कबूतरों को दाना डाल रहा था । एक-एक करके कबूतर वापस आते । वो उनमें से हर एक को प्यार से हाथों में उठा लेता, पुचकारता और फिर दड़बे में बन्द कर देता । रात के साये लंबे हो गये । कबूतरों के आने का सिलसिला बन्द हो गया लेकिन असलम अब तक प्रतीक्षा में था । लाल कबूतरों का जोड़ा अब तक न लौटा था । वो जातना था कि इतनी रात गये कबूतर नहीं लौटते लेकिन उसका दिल था कि मानता न था ।

उमरू दादा के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे । वो यूं ही बैठा रहा । उन लाल कबूतरों के बारे में सोचता रहा । रात आंखों-आंखों में कट गयी । सुबह तड़के वो नाश्ता किये बग़ैर खेतों की तरफ़ निकल गया । खेत में भी उसका मन न लगा तो वो जंगल चला गया ।

उसके क़दम स्वत: उस ओर चल दिये जहां उसने पहली बार उन लाल कबूतरों को देखा था और दूसरी बार उन्हें पकड़ा था । वो इस आशा में वहां पहुंचा था कि आज फिर वो उन्हें देखेगा । आज उन्हें पकड़ने के लिए उसे जाल डालने की आवश्यकता नहीं होगी । वो बस उन्हें पुचकारेगा और दोनों कबूतर आहिस्ता-आहिस्ता उसके पास आ जाएंगे, बल्कि चूंकि कल से उन्होंने उसे देखा नहीं है इसलिए वो उड़कर खुद उसके पास आ जाएंगे । लेकिन ये सब असलम की कल्पना मात्र थी । उस वक़्त उसके पास लाल कबूतरों को पाने की आकांक्षा थी, कबूतर नहीं थे । वो काफ़ी देर तक सोचता रहा कि कबूतर कहां चले गये । उसे ऐसा लग रहा था मानो उसका संसार लुट गया हो । असलम ने अपने आपको बहलाया कि शायद वे कबूतर रास्ता भूल गये हों । आज शाम लौट आएंगे या हो सकता है दिन में लौट आये हों । वो किसी तरह भी अपने आपको ये बात न समझा पा रहा था कि उसने कबूतर गंवा दिये और अब वो उसके पास कभी लौट कर नहीं आएंगे ।

लाल कबूतरों के खो जाने का दुख चारों ओर हवा में सांय-सांय कर रहा था, उसे डर लगने लगा । कबूतरों के लौटने का विचार उसे शाम से पहले घर ले आया । अभी दूसरे कबूतर उड़ने की तैयारी में थे लेकिन उसकी नज़रें लाल कबूतरों को ढूंढ़ रही थीं जो कल से लौटे न थे । उसने सोचा शायद शाम ढले दूसरे कबूतरों को साथ लौट आएंगे, लेकिन उस शाम भी वो नहीं लौटे ।

प्रात:काल असलम को उसके मित्र अकरम ने यह समाचार सुनाया कि उसके लाल कबूतर चौधरी इनायत हुसैन के कबूतरों में शामिल हो गये हैं । असलम को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब अकरम ने कहा कि उसने स्वत: अपनी आखों से आज उन लाल कबूतरों को चौधरी इनायत हुसैन के यहां चुगते हुए देखा है तो असलम के लिए विश्वास करने के सिवा कोई चारा न रहा ।

दूसरे दिन असलम चौधरी साहब की हवेली में जा पहुंचा । दुआ सलाम के बाद उसने चौधरी साहब से कहा, "मैं अपने लाल कबूतर लेने आया हूं ।"

असलम की यह बात सुनकर चौधरी साहब मुस्कुराये और उन्होंने कहा, "असलम, यह कबूतर अपनी मर्ज़ी से आये हैं । हमारे गांव की प्रथा है कि हम कबूतरों पर अपनी मर्ज़ी नहीं चलाते ।"

असलम ने कहा, "जी हां चौधरी साहब, आप ठीक कहते हैं । लेकिन यह बात आम कबूतरों के बारे में है । मैं उन लाल कबूतरों के बारे में कह रहा हूं जो सिर्फ़ मेरे पास हैं ।"

चौधरी साहब ने कहा, "देखो बेटे, कबूतर तो कबूतर हैं । इसमें आम और ख़ास का कोई अन्तर नहीं । वैसे एक बात बताऊं, वो कबूतर तुम्हारे पास हैं नहीं...थे, अब यह तुम्हारे बजाय मेरे पास हैं...क्या समझे ?"

असलम ने कहा, "चौधरी साहब, ये मेरे कबूतर हैं और इन्हें मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा ।"

"क्या तुम बलपूर्वक ऐसा करोगे ? यह तो हमारे गांव की परंपरा के विरुद्ध है...।" चौधरी साहब बोले, "...और सुनो, न मैं ज़ोर-ज़बरदस्ती करता हूं और न ही उसे सहन करता हूं, क्या समझे ।"

असलम बोला, "अगर आप मेरे कबूतर नहीं लौटाएंगे तो मैं पंचायत में न्याय की गुहार लगाऊंगा ।"

"यह अच्छा है, अगर तुम मेरे विरुद्ध न्याय याचिका दाख़िल करते हो तो मैं अपनी सरपंच की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा । उसके बावजूद मुझे विश्वास है कि सर्व सम्मति से निर्णय तुम्हारे विरुद्ध ही होगा...।" चौधरी साहब बोले, "वैसे तुम्हारी इच्छा मैं तुम्हें इससे नहीं रोकता ।"

असलम घर आया तो उसे उमरू दादा ने समझाया, ''देखो, इस झंझट से कोई लाभ नहीं होगा । निर्णय निश्चित ही तुम्हारे विरुद्ध होगा ।''

आख़िरकार पंचायत से एक दिन पहले असलम ने अपनी याचिका वापस ले ली । दादा उमरू की बात सच साबित हुई । वफ़ादारी प्रेम बढ़ाती है और विश्वासघात द्वेष व घृणा को जन्म देता है । लाल कबूतरों ने भी यही किया । चौधरी इनायत और असलम के बीच बरसों पुराने प्रेम और सद्भाव के संबंध में शत्रुता का विष घोल दिया ।

धीरे-धीरे असलम भूल गया कि उसने कभी लाल कबूतरों का शिकार किया था । वे कभी उसके आंगन में रहते थे । इनके कारण सारा गांव उसका सम्मान करता था । इन सब बातों को भुलाकर वह अपने कामों में लग गया था कि एक दिन क्या देखता है, संध्या के समय वही लाल कबूतर उसके सामने बैठे हुए हैं । थोड़ी देर तक तो असलम को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ । आरंभ में उसे इस बात पर गुस्सा आ गया कि वो उसे छोड़कर क्यों चले गये थे ? लेकिन फिर उसे लगा कि कबूतरों की आंखों में अपने किये पर पछतावा है, वह क्षमा याचना कर रहे हैं, वे अपने कर्मों का प्रायश्चित करना चाहते हैं । यह देखकर असलम का मन पसीज गया । उसने दौड़कर दोनों कबूतरों को हाथों में ले लिया और इन्हें चूमने लगा । एक क्षण में सारे गिले शिकवे दूर हो चुके थे । वो एक बार फिर कबूतरख़ाना गांव का बादशाह बन गया था । उन कबूतरों ने फिर उसका सर गर्व से ऊंचा कर दिया था । आज असलम उस दिन से भी अधिक प्रसन्न था जब वो पहली बार इस कबूतर के जोड़े को अपने घर लेकर आया था । किसी चीज़ की महत्ता का अनुमान उसको गवां देने के बाद ही होता है । परंतु ऐसा कम ही होता है कि मनुष्य किसी अमूल्य वस्तु को गंवाये और फिर से उसे प्राप्त कर ले । असलम के साथ यही हुआ था । उसकी ख़ुशी का कोई ठिकाना नहीं था ।

चौधरी इनायत को पता चल गया कि लाल कबूतर फिर असलम के पास पहुंच चुके हैं । इस बात का उन्हें इतना दुख हुआ कि वो उस भाषण को भूल गये जो कभी उन्होंने असलम को समझाने के लिए दिया था । दूसरे दिन उन्होंने असलम को अपनी हवेली बुलवा भेजा । असलम समझ गया कि उसे क्यों बुलाया जा रहा है । वो बड़े आत्मविश्वास के साथ वहां पहुंचा । देर तक दोनों ख़ामोशी से चाय पीते रहे । उसके बाद चौधरी इनायत हुसैन ने अपनी रौबदार शैली में कहा, ''असलम...तुम तो जानते हो कि मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है ।''

असलम बोला, ''जी चौधरी साहब, मैं अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन इस बारे में मैं आपको आप ही की बात याद दिलाना चाहता हूं और एक प्रार्थना करना चाहता हूं...।''

चौधरी ने कहा, ''बोलो ।''

असलम ने कहा, ''पहले आपकी बात कि आप न तो ज़ोर-ज़बरदस्ती करते हैं और न होने देते हैं, और मेरी प्रार्थना यह है कि आप पंचायत बुला लें, सरपंच के पद पर रहें । मुझे पूरा विश्वास है कि पंचायत के सभी सदस्य मेरे पक्ष में एक मत होंगे इसलिए कि ये हमारे गांव की प्राचीन प्रथा है । मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस मुद्दे पर कोई भी आपका समर्थन नहीं करेगा ।''

चौधरी इनायत हुसैन काफ़ी समय से गांव के सरपंच थे । उन्होंने गांव के बहुत से वाद-विवाद सुलझाये थे । लेकिन उनका कोई मुक़दमा आज तक पंचों के बीच नहीं आया था और अगर अब ऐसी परिस्थिति बन गयी थी कि उनकी पराजय निश्चित थी । इस चिंता में उनका दिल डूबने लगा ।

इस समस्या का आसान समाधान चौधरी साहब के पास

SHATABDI FOUNDATION, GAYA

- Started Shatabdi Public School in 2001 with primary classes, has now developed into a 10+2 CBSE affiliated educational institution with quality education in modern subjects with moral orientation.
- Presently there are around 1400 students who are provided modern teaching facilities. The Foundation also adopts poor/ orphan students.
- Free education is given to poor students of the locality after school time.
- Our immediate needs are—Purchase one more school bus, Construction of Prayer Hall & Purchase of 30 Computers.

(Prof. Z. H. Khan) Chairman

(Prof. M. B. Zaman) Secretary

SHATABDI PUBLIC SCHOOL

Katari Hill Road, Gaya-823001 (Bihar) INDIA

यह था कि लाल कबूतरों का मोह अपने मन से निकाल देते, परंतु वे ऐसा न कर सके । यहां तक कि उनके हृदय की धड़कन बंद हो गयी । असलम को ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसने कबूतरों की ख़ातिर अपने पुराने मित्र को मौत के घाट उतार दिया हो ।

चौधरी इनायत की मृत्यु के बाद एक नया विवाद खड़ा हो गया कि सरपंच किसे बनाया जाए । गांव का प्रत्येक व्यक्ति इस पद को पाने का इच्छुक था । वो पंचायत जो लोगों के विवाद निबटाती थी अब स्वत: विवाद में उलझ गयी थी । काफ़ी दिनों तक इस पर विचार मंथन चला । आख़िरकार यह तय पाया कि सरपंच का फ़ैसला कबूतरों की संख्या के आधार पर होगा । अर्थात जिसके पास सबसे ज़्यादा कबूतर होंगे, वही सरपंच होगा । चाहे वो पिछली पंचायत का सदस्य रहा हो या न रहा हो । दो सप्ताह के बाद की एक तारीख़ तय हो गयी जिसमें सब लोगों को अपने कबूतरों के साथ आना था और कबूतरों की गिनती होनी थी । असलम ने पूछा, ''क्या मेरे लाल कबूतरों की गिनती भी सामान्य कबूतरों के समान होगी ?'' इस सवाल से सब सन्नाटे में आ गये । लेकिन चूंकि असलम के अलावा किसी के पास भी लाल कबूतर नहीं थे, इसलिए निर्णय यह लिया गया कि कबूतर कबूतर हैं, लाल हो, काला हो या सफ़ेद, प्रत्येक कबूतर एक कबूतर समझा जाएगा ।

इस फ़ैसले के बाद गांव में एक कोहराम मच गया । हर कोई अपने कबूतरों की संख्या बढ़ाने में लग गया । सारे लोग दूसरों के कबूतरों को रिझाने में लग गये । खेती-बाड़ी का कामकाज बिल्कुल ठप हो गया, दूसरों के कबूतरों को अपने बाड़े में आकर्षित करने के सारे प्रयत्न जब असफल हो गये तो दूसरों के कबूतरों को भगाने के प्रयत्न होने लगे । इसलिए कि ऊंचा उठने के लिए ऊपर जाना आवश्यक नहीं है । अगर दूसरे की टांग खींचकर उसे नीचे ले आया जाए, तब भी काम हो जाता है । दूसरों के कबूतरों के चक्कर में लोग अपने कबूतरों से ग़ाफ़िल हो गये, जिससे दूसरों को उन पर हाथ साफ़ करने का अवसर मिल गया । इन पन्द्रह दिनों में कबूतरख़ाना गांव में वो सब हो गया जो पिछले पन्द्रह सालों में भी न हुआ था लेकिन अभी अस्ली मुक़ाबला बाक़ी था । गांव वालों को अगली सुबह का इन्तिज़ार था ।

पंचायत की रात हवा के झोंके एक विशेष आवाज़ के साथ तेज़-तेज़ चलने लगे । सुबह जैसे ही गांव वालों ने अपने कबूतरों को पंचायत ले जाने के लिए खोला वो उड़-उड़कर हवा होने लगे । ऐसा लगा मानो वो इसी पल की प्रतीक्षा कर रहे थे । कबूतरों का इस प्रकार उड़ जाना उनकी प्रकृति के विरुद्ध था, इसलिए कि आमतौर पर वे दरबे से बाहर निकलने के बाद कुछ सुस्ताते, पर झाड़ते, फिर दाना चुगते और उसके बाद उड़ते थे । लेकिन आज वो न सुस्ताये, न उन्होंने दाना पानी की ओर देखा । देखते ही देखते कबूतरख़ाना गांव के सारे कबूतर रफ़ूचक्कर हो गये । गांव वाले परेशान थे कि ये क्या हो गया ?

उन लोगों को कबूतरों की इतनी चिंता थी कि वे तेज़ चलने वाले हवा के थपेड़ों को भूल गये । लेकिन जब उन्होंने देखा कि घरों की छत भी आंधी उड़ाकर अपने साथ ले जा रही है और उनके अपने पैर उखड़ने लगे हैं, दीवारें गिरने लगी हैं, किवाड़ उखड़ने लगे हैं, तो उन्हें होश आया । हवा के झोंके इतने तेज़ थे कि गांव वाले भी तिनकों की तरह हवा में उड़े जा रहे थे । उनके पास कबूतरों की तरह पंख नहीं थे इसलिए हवा उन्हें दूर उड़ाकर ले जाती और उनकी अपनी मिट्टी के पास ले जाकर पटक देती । वे उस पर गिरते और वहीं ढेर हो जाते । जब आंधी रुकी तो कबूतरख़ाना गांव में न कबूतर थे न कबूतर वाले । सब कुछ उजड़ चुका था...।

क़ीमती मछली फेंगशुई

आमतौर पर फेंगशुई के नाम से सब बिकता है । घर में सजाने की चीज़ हो या फिर कोई लकी मछली ही क्यों न हो फेंगशुई के नाम से ये मछलियां 60,000 तक की रेट में बिकती हैं । जरनली लोगों की यही सोच है कि हम अपनी क़िस्मत सुधारने के लिए जो कुछ बन सकेगा करेंगे । ऐसी ही फेंगशुई मछली पुणे के गणेश क्रीड़ा हॉल में देखने को मिली । यहां आयोजित की गयी है एक मछलियों और एक्यूरियम की प्रदर्शनी इस फेंगशुई मछली का नाम 'चिली रैड ऐरोवाना' है । इसका दाम है 60,000 रुपये है । इतने दाम के बावजूद ये मछली हमेशा डिमांड में रहती है । इस मछली के बारे में धारणा ये है कि इसे घर पर रखने से क़िस्मत खुल जाती है ।

ये मछली बाक़ायदा एक सर्टिफिकेट के साथ आती है । इस सर्टिफिकेट में एक नम्बर है, जो मछली के अन्दर एक चिप में है, जिसमें यही नम्बर होता है ।

मुनाफ़े का बढ़ता रोग

■ अरविंद कुमार सेन

जीवन रक्षक दवाओं तक देश के नागरिकों की पहुंच सुनिश्चित करके बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराना संवैधानिक दायित्व है और यह लक्ष्य हर मुनाफ़े से परे है। मद्रास उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी भारत सरकार बनाम नोवार्तिस मामले में की थी। स्विट्ज़रलैंड की नोवार्तिस दुनिया की पांचवीं बड़ी दवा निर्माता कंपनी है और इसने भारतीय पेटेंट क़ानून में बदलाव के मसले पर सरकार पर मुक़दमा कर रखा है। फ़िलवक्त यह बेहद अहम मुक़दमा उच्चतम न्यायालय में पहुंच गया है और इस मामले का फ़ैसला पूरी दुनिया के दवा उद्योग की तस्वीर बदल सकता है।

इस मामले की जड़ में कैंसर के इलाज में काम आने वाली दवा इमातिनिब मेसयलेट है। रक्त कैंसर के रोगियों के लिए इमातिनिब मेसयलेट रामबाण है और नोवार्तिस इस दवा को ग्लीवेक ब्रांड के नाम से बेचती है। ग्लीवेक को 2001 में पेश किया गया था और दुनिया के कई देशों में नोवार्तिस ने इस दवा पर पेटेंट अधिकार हासिल कर रखा है, मगर भारतीय पेटेंट कार्यालय ने नोवार्तिस को ग्लीवेक पर पेटेंट देने से मना कर दिया। यहीं से भारतीय पेटेंट क़ानून के ख़िलाफ़ नोवार्तिस ने जंग छेड़ दी और अब मामला निचली अदालतों से होते हुए उच्चतम न्यायालय में पहुंच चुका है, जहां से आने वाला आख़िरी फ़ैसला पेटेंट बनाम जनहित की बहस की दिशा तय करेगा।

पेटेंट एक ऐसा बौद्धिक अधिकार है जो कोई नयी खोज करने वाले व्यक्ति या संस्था को तयशुदा समय के लिए दिया जाता है। चूंकि नयी खोज करने से पहले उस व्यक्ति या संस्था को लंबे समय तक शोध करना पड़ता है और इस दरमियान उसका ख़र्च भी होता है, लिहाज़ा पेटेंट को उसकी मेहनत और पूंजी का प्रतिफल माना जाता है। पेटेंट की यह किताबी परिभाषा विकसित देशों में तैयार की गयी है और तकनीकी रूप से उन्नत लोग पेटेंट का इस्तेमाल अपना ख़ज़ाना भरने में करते हैं। मिसाल के तौर पर एड्स और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों के इलाज में काम आने वाली दवाओं के पेटेंट अधिकारों को लिया जा सकता है।

दुनिया की आला सात बड़ी दवा कंपनियां पश्चिमी देशों से हैं और इन्होंने अपने संसाधनों के बल पर एड्स और कैंसर की दवाएं ईजाद की हैं। किसी भी दवा पर पेटेंट हासिल करने के बाद उस दवा को बनाने का अधिकार एक ख़ास कंपनी को ही होता है और वह कंपनी दवा के दाम में इज़ाफ़ा कर देती है।

पेटेंट वाली दवाओं के ऊंचे दामों से जनता को लूटने की बात नोवार्तिस की दवा ग्लीवेक के उदाहरण से समझी जा सकती है। किसी कैंसर रोगी को एक महीना ग्लीवेक दवा खाने के लिए एक लाख बीस हज़ार रुपये ख़र्च करने पड़ेंगे, वहीं भारतीय कंपनियां यह दवा आठ हज़ार रुपये महीना में मुहैया करवाती हैं। लीवर कैंसर के इलाज में काम आने वाली दवा सोराफेनिब जर्मनी की बायर हेल्थकेयर दवा कंपनी नैक्सावार ब्रांड के नाम से दो लाख अस्सी हज़ार रुपये में बेचती है, वहीं हैदराबाद की नाटको फार्मास्टिक्युल यही दवा आठ हज़ार आठ सौ रुपये में उपलब्ध कराती है।

ग़ौर करने लायक़ बात यह है कि इन दवाओं की लागत पांच हज़ार है। ज़ाहिर है, सवाल वाज़िब मुनाफ़ा हासिल करने का नहीं है। दवा के शोध पर ख़र्च हुए धन को वसूलने के लिए पेटेंट का अधिकार दिया जाना चाहिए, मगर बड़ी दवा कंपनियों ने पेटेंट अधिकार को लूट के लाइसेंस में बदल लिया है। पांच हज़ार की दवा को तीन लाख रुपये महीने में बेच कर कौन-सा जनहित पूरा किया जा रहा है? दुनिया की निन्यानबे फ़ीसद आबादी में छत्तीस लाख रुपये सालाना क़ीमत वाली दवा ख़रीदने की क़ुव्वत नहीं है। यह नोवार्तिस जैसी दवा कंपनियों के मुनाफ़े का लाइलाज रोग

है ।

अक्सर कई जानकार तर्क देते हैं कि भारत में कुछ लोगों को विश्व बैंक और डब्ल्यू॰टी॰ओ॰ जैसे नामों पर छाती पीटने की आदत हो गयी है, जबकि आम जनता पर अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का कोई ख़ास असर नहीं पड़ता है ।

याद रहे, 1995 में डब्ल्यू॰टी॰ओ॰ पर हस्ताक्षर करने से पहले भारत के पेटेंट क़ानून पूरी दुनिया में आला दर्जे के माने जाते थे । भारतीय पेटेंट क़ानून, 1970 का सबसे अहम प्रावधान यह था कि जनता पर सीधे-सीधे असर डालने वाले दो क्षेत्रों (दवा और खाद्य सामग्री) में किसी कंपनी को निर्माण और वितरण का एकाधिकार नहीं दिया जाएगा । यह ऐसा क्रांतिकारी नियम था जिसने भारत के साथ ही पूरी दुनिया के दवा उद्योग की दिशा बदल कर रख दी । भारतीय कंपनियों ने इस नियम की नैया से पेटेंट का दरिया पार किया और पूरी दुनिया को जेनेरिक दवाओं की आपूर्ति करना शुरू कर दिया । ग़ौरतलब है कि जब पेटेंट क़ानून के दायरे से बाहर किसी दवा का निर्माण किया जाता है तो उसे जेनेरिक दवा कहा जाता है । जेनेरिक दवा और ब्रांडेड दवा में क़ीमत के अलावा कोई फ़र्क़ नहीं होता और दोनों तरह की दवाएं एक जैसा ही असर दिखाती हैं ।

जेनेरिक दवा के निर्माण से किसी भी कंपनी का शोध पर होने वाला ख़र्चा बच पाता है, इस कारण जेनेरिक दवाओं की क़ीमत ब्रांडेड दवाओं के मुक़ाबले बेहद कम (बीस गुना तक कम) होती है । मसलन, खांसी का इलाज करने वाली बड़ी कंपनियों का ब्रांडेड कफ़ सीरप (पचास मिलीलीटर) अस्सी रुपये से ज़्यादा में मिलता है, वहीं जेनेरिक दवा कंपनियां यही दवा दस से पंद्रह रुपये के बीच बेचती हैं ।

कुछ अरसा पहले तक एच॰आई॰वी॰-एड्स के सबसे बड़े शिकार अफ़्रीक़ी देशों में कई सरकारें अपने जी॰डी॰पी॰ का आधा हिस्सा केवल इसी बीमारी की दवाओं पर ख़र्च करती थीं । अब भारतीय दवा कंपनियां बड़े पैमाने पर एशिया, अफ़्रीक़ा और दक्षिण अमेरिका के देशों में एड्स और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों के साथ ही बाक़ी बीमारियों की दवाओं की भी बेहद कम दामों पर आपूर्ति कर रही हैं ।

एड्स के ख़िलाफ़ लड़ रही अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने कई बार इस बात को दोहराया है कि अफ़्रीक़ा और दक्षिण अमेरिका में एड्स के नब्बे फ़ीसद मरीज़ केवल भारतीय कंपनियों की सस्ती दवाओं की वजह से ज़िंदा हैं । विकासशील और ग़रीब देशों को सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने की इसी क्षमता के कारण भारतीय दवा कंपनियों को अब 'दक्षिण की फार्मेसी' कहा जाने लगा है ।

ग़रीब जनता को वाजिब दामों पर दवाएं मुहैया करवा कर भारतीय दवा कंपनियां सेवा और मेवा, दोनों हासिल कर रही थीं, मगर इस क़वायद में विकसित देशों ख़ासकर अमेरिकी दवा कंपनियों का बाज़ार ख़त्म होने लगा । विकसित देशों में दवाओं के बाज़ार का दोहन पूरा हो चुका है और उपभोक्ता-जागरूकता के ऊंचे स्तर के चलते वहां मुनाफ़े की कम संभावना है । ऐसे में विकासशील और ग़रीब देश बड़ी दवा कंपनियों के निशाने पर आ गये । भारत जैसे देशों में लागू प्रगतिशील पेटेंट क़ानून की बाधाएं दूर करने के लिए डब्ल्यू॰टी॰ओ॰ का सहारा लिया गया और दवा जैसी बुनियादी चीज़ें भी पेटेंट क़ानून के दायरे में लायी गयीं ।

1995 में डब्ल्यू॰टी॰ओ॰ के उरुग्वे दौर में इस बात पर सहमति बनी थी और सदस्य-देशों को अपने क़ानूनों में बदलाव करने के लिए दस साल की मोहलत दी गयी थी । दस साल का वक़्त पूरा होने से पहले 2005 में भारतीय पेटेंट क़ानून को भी बदला गया, मगर भारतीय दवा कंपनियों, जनसंगठनों, कुछ ग़रीब हितैषी सांसदों और वामदलों के दबाव में सरकार ने पेटेंट क़ानून में बदलाव करते वक़्त इसमें बड़ी कंपनियों की तबाही से बचने के लिए एक पतली गली छोड़ दी ।

वर्ष 2005 में बदलाव के वक़्त जोड़ा गया भारतीय पेटेंट क़ानून, 1970 का भाग 3 (डी) कहता है कि बाज़ार में पहले से ही मौजूद दवा के यौगिकों (दवा बनाने में काम आने वाले तत्व) में घालमेल करके तैयार की गयी दवा पर पेटेंट नहीं दिया जाएगा । भारतीय पेटेंट क़ानून का यह नियम बड़ी दवा कंपनियों के गले की फांस बना हुआ है और नोवार्तिस इसी बुनियादी नियम के ख़िलाफ़ उच्चतम न्यायालय में पहुंच चुकी है ।

भारतीय दवा कंपनियों का कहना है कि ग्लीवेक कोई नयी दवा नहीं है और इसको बनाने का नुस्ख़ा पहले से ही दवा कंपनियों को मालूम है । नोवार्तिस ने पुराने नुस्ख़े में थोड़ा बदलाव करके ग्लीवेक पेश कर दी है और इस पर पेटेंट का दावा कर रही है । भारतीय पेटेंट क़ानून, दवा

महानिदेशक को यह अधिकार देता है कि अगर किसी पेटेंट की गयी दवा की मांग के मुताबिक़ आपूर्ति नहीं हो रही है और दवा का दाम आम आदमी की पहुंच से बाहर है तो ज़रूरी लाइसेंस (सी॰एल॰) जारी करके उस ख़ास दवा को बनाने का अधिकार दूसरी कंपनियों को दे दिया जाना चाहिए । भारत के पूर्व पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक पी॰एच॰ कुरियन ने तमाम लॉबिंग और दबावों के बावजूद लीवर कैंसर की दवा नैक्सावार बनाने के लिए हैदराबाद की नाटको फार्मा को ओ॰एल॰ यानी ज़रूरी लाइसेंस जारी कर दिया । जर्मनी की बायर हेल्थकेयर कंपनी नैक्सावार दवा बनाती है । बायर क़ीमत ऊंची रखने के लिए इस दवा को भारत में बनाने के बजाय मांग के मुक़ाबले कम मात्रा में अपने विदेशी संयंत्रों से आयात करती है और एक महीने की दवा तीन लाख रुपये में बेचती है ।

कुरियन ने इस दवा को बनाने का ज़रूरी लाइसेंस जारी करके बिल्कुल सही किया । बौद्धिक अधिकारों के कारोबार से संबंधित पहलू (ट्रिप्स) समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले हरेक देश को दवा बनाने के लिए ज़रूरी लाइसेंस जारी करने का अधिकार है, लेकिन किसी भी देश में भारत के पी॰एच॰ कुरियन ने पहली मर्तबा इसका इस्तेमाल किया है । बायर भी कुरियन के फ़ैसले के ख़िलाफ़ उच्चतम न्यायालय में पहुंच चुकी है ।

नोवार्तिस और बायर के मामले पर पूरी दुनिया की नज़र है। फ़ाइजर, सनोफ़ी, एस्ट्राजेनेका, रौचे, एबट और मर्क ऐंड कॉरपोरेशन जैसी अमेरिकी और यूरोप की भीमकाय दवा कंपनियां खुलकर नोवार्तिस और बायर के समर्थन में लामबंद हो चुकी हैं । नोवार्तिस और बायर के पक्ष में लॉबिंग के अलावा कारोबारी संगठन हर रोज़ लंबे-चौड़े इंशितहार ला रहे हैं । विडंबना यह है कि दुनिया की निन्यानवे फ़ीसद लोगों की तक़दीर तय करने वाली इस जंग में ग़रीबों के लिए लॉबिंग करने वालों की तादाद बेहद कम है । अगर यह फ़ैसला नोवार्तिस और बायर के पक्ष में आता है तो भारतीय कंपनियों की सस्ती दवाएं मुहैया कराने की क़वायद थम जाने की पूरी संभावना है ।

मगर याद रहे, नोवार्तिस जैसी मुनाफ़ाख़ोर कंपनियों और मरीज़ों की इस जंग में सबसे बड़ी ख़लनायक सरकार है । कितनी बार दोहराया जाए कि एड्स और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों से बचने के लिए महीने में तीन लाख रुपये की दवाएं भारत के चंद धन्नासेठों को छोड़कर बाक़ी लोग नहीं ख़रीद सकते और मरीज़ों को नोवार्तिसों और बायरों से बचाने के लिए सरकार को दवाओं के शोध में पैसा लगाना होगा । अगर नैक्सावार जैसी दवा को सरकारी प्रयोगशाला में जनता के पैसे से ईजाद करके किसी जेनेरिक कंपनी की ओर से बनाया जाएगा तो ग़रीब जनता को बड़ी दवा कंपनियों के मुनाफ़े की हवस का शिकार होने से बचाया जा सकता है ।

कविताएं

कारनामे

कारनामे जो काले करते हैं
देश उनके हवाले करते हैं
हम भी कितने विनम्र हैं मित्रों
नाम उनके उजाले करते हैं
हर तरफ़ खलबली मचाते हैं
काम सारे निराले करते हैं
फिर हवाला की सुर्ख़ियां बनकर
सारे अख़बार काले करते हैं
जो बहुत सोचते हैं अच्छा हो
काम सब ढीले-ढाले करते हैं
क्या करेंगे वो देश को रोशन
मुंह जो दिन-रात काले करते हैं
कुर्सियां तोड़ते हैं ऊंचे लोग
काम सब भोले-भाले करते हैं ।

फूल पे शबनम

नामाबर लौट के आया नहीं क़िस्सा क्या है
मैंने उस ख़त में मेरे दोस्त को लिक्खा क्या है
इसमें न रंग, न ख़ुशबू, न हक़ीक़त कोई
रेत पर फूल बनाने का तमाशा क्या है
आदमी जैसे किसी फूल पे शबनम चमके
ज़िन्दगी धूप है फिर आप में रक्खा क्या है
अपनी ग़लती पे बहुत दांत दिखाता है अहद
ख़ुद में कुछ ऐसा मेरे दोस्त ने देखा क्या है ।

● **अहद 'प्रकाश'**
भोपाल (म॰प्र॰)

बिंदु में सिंधु है 'अंजुरी'

■ डॉ॰ डोमन साहु 'समीर'
(टी-विलासी, देवघर, झारखंड-814117)

वृत्ति से अध्यापक और प्रवृत्ति से साहित्यकार डॉ॰ ब्रह्मजीत गौतम विरचित गीतों, कविताओं, ग़ज़लों, रूबाइयों और दोहों का सद्य: प्रकाशित संकलन है–'अंजुरी', जिसका काव्य-खंड कुल 78 पृष्ठों का है । साथ ही इस संकलन के आरंभ में आपकी रचनाओं पर डॉ॰ महेश दिवाकर (संस्थापक-अध्यक्ष, अखिल भारतीय साहित्य कला मंच, मुरादाबाद) का अभिमत, डॉ॰ गजानन शर्मा (पूर्व हिंदी विभागाध्यक्ष एवं प्रचार्य (इन्दौर) का समीक्षात्मक आलेख एवं स्वयं रचनाकार डॉ॰ गौतम की 'आत्मिका' तथा परिशिष्ट में अखिल भारतीय साहित्य कला-मंच, मुरादाबाद का संक्षिप्त परिचय भी है । प्रफुल्ल पंकज पुष्प और उसकी संपुट कलिका के मनोरम चित्रयुक्त आवरण के साथ प्रकाशित प्रस्तुत काव्य संकलन का बहिरंग आकर्षक और अंतरंग आवर्जक है ।

जैसा कि सुकवि गौतम ने अपनी 'आत्मिका' में स्वीकार किया है, 'मेरा मन छन्दहीन काव्य रचना में नहीं रमता', प्रस्तुत संकलन की रचनाएं छन्दोबद्ध हैं जो इस उक्ति को चरितार्थ करती हैं कि 'अनुभूति की सफल अभिव्यक्ति ही काव्य है ।' कथ्य और शिल्प दोनों ही दृष्टियों से 'अंजुरी' में संकलित रचनाएं 'वाक्यं रसात्मकं काव्यम्', 'शब्दार्थौ सहितौ काव्यम्' आदि परिभाषाओं को प्रतिपादित करती हैं । भाव, विचार और सहज संप्रेषण के संबंध में महाकवि तुलसीदास की उक्तियां हैं 'जो बरसइ बर बारि बिचारू, होहिं कबित मुक्तामनि चारू' तथा 'सरस कबित की रीति बिमल, सोइ आदरहिं सुजाव ।' 'अंजुरी' की रचनाएं महाकवि की उक्तियों को बहुलश: प्रतिपादित करती हैं ।

जैसा कि डॉ॰ दिवाकर ने कहा है–'सुकवि गौतम की काव्य चेतना का मूल उत्स भारतीय संस्कृति की रहा है । यद्यपि सॉनेट, ग़ज़ल और रूबाई जैसे अभारतीय छंदों पर भी आपको महारत हासिल है । आपके गीत और कविताएं शरद, ऋतुराज, प्रेम, आदि पारंपरिक विषयों के अलावा देश-प्रेम, युगबोध इत्यादि सामयिक और प्रासंगिक विषयों पर भी हैं । साथ ही 'आम आदमी से मुलाक़ात' और 'छन्दहीन कविता' जैसी रचनाओं की अपनी विशेषताएं भी हैं ।

'विविधा' उपशीर्षक के अंतर्गत संकलित रचनाएं (रूबाइयां, दोहे आदि) देश-काल की दशा और दिशा पर चुटीला व्यंग्य करती हैं । 'राजनीति', 'कुर्सी', 'पैसा', 'लोकतंत्र', 'नेता बनाम अफ़सर', 'संसद', 'क़ानून' आदि शीर्षकों के तहत विरचित रचनाएं उसी कोटि की (व्यंग्य प्रधान) हैं–

ख़ूनी, चोर, डकैत हों या विद्वान महान ।
राजनीति के खेत में सारे धान समान ।।
जनबल, धनबल, बाहुबल होता जिनके पास ।
राजनीति के खेल के वही खिलाड़ी ख़ास ।।
कुर्सी जिसको मिल गयी, हो जाता सर्वज्ञ ।
जीवन भर जो क्लास में रहा भले ही अज्ञ ।।
पैसे में वह शक्ति है, बजे फूंक बिन शंख ।
फाइल पर पैसा रखो, लग जाएंगे पंख ।।
बाबूजी, तुम धन्य हो, ऐसा किया कमाल ।
मुर्दा वैंशन खा रहा, ज़िन्दा नौंचे बाल ।।

ऐसी एक से बढ़कर एक चुटीली व्यंग्योक्तियां 'अंजुरी' में भरी पड़ी हैं जो सुकवि गौतम की स्पृहणीय उपलब्धि है । 'ग्रीष्म' 'बरसात', 'शीत' आदि शीर्षकों के अंतर्गत संकलित दोहों में अर्थान्तरन्यास अलंकार का अच्छा परिपाक हुआ है । देखें–

पानी सूखा ताल का, तल में पड़ी दरार ।
जैसे फट जाते हृदय खा धोखे का वार ।।
नदी, सरोवर, पोखरे हुए मलिन जल-पूर ।
रिश्वत खाज्यों तन गये बाबू और हजूर ।।

वस्तुत: डॉ॰ गौतम के संवेदन में भावों की उदात्तता, चिंतन में विचारों की प्रासंगिकता तथा लेखन में सहज संप्रेषणीयता है, जो उनकी प्रतिमा को उजागर करती है । हार्दिक बधाई ।

शब्द का औक़ात से बढ़कर बोलना ही काव्य है

फ़ीरोज़ाबाद (उ०प्र०) की गतिशील साहित्यिक संस्था 'मनीषा' ने स्वतंत्रता सेनानी और राष्ट्रीय ढोला गायक पं० गया प्रसाद शर्मा की स्मृति में एक भव्य 'लोकार्पण एवं काव्य गोष्ठी समारोह' का आयोजन एस०आर०के० स्नातकोत्तर महाविद्यालय के संगोष्ठी कक्ष में किया, जिसमें कोलकाता से प्रकाशित 'साहित्य त्रिवेणी' (त्रैमासिकी) के 'यायावर विशेषांक' एवं डॉ० रामसनेही लाल शर्मा 'यायावर' की तीन कृतियों का लोकार्पण किया गया । भोपाल, कोलकाता एवं सोनभद्र से पधारे विद्वानों एवं स्थानीय मनीषियों ने पं० जी का स्मरण करते हुए विचार प्रकट किये । कवियों ने काव्य पाठ किया ।

'मनीषा का परिचय सहसचिव पूरन चन्द गुप्त ने प्रस्तुत किया । सत्यदेव शर्मा ने पं० जी पर संस्मरण सुनाये । अतिथियों का परिचय डॉ० रामसनेही लाल शर्मा 'यायावर' ने प्रस्तुत किया । डॉ० अशोक तिवारी, डॉ० एम०एल० अग्रवाल, डॉ० राजेश उपाध्याय, डॉ० सुन्दरवीर सिंह, प्रमोद बाबू दुबे, चन्द्र प्रकाश यादव एवं राजेश 'सरल' ने अतिथियों का माल्यार्पण, उत्तरीय एवं अभिनन्दन पत्र प्रदान कर अभिनन्दन किया । साहित्य त्रिवेणी के 'यायावर विशेषांक–डॉ० यायावर की तीन कृतियों' ''चीखती टिटहरी : हांफता अलाव (नवगीत संग्रह), अनहद नाद बंसुरिया कौ (ब्रज गीत संग्रह तथा 'कांधे पै घर (हाइकु संग्रह) का लोकार्पण विधायक मनीष असजा, प्राचार्य डॉ० वी०के० अग्रवाल, मनीषा के संरक्षक डॉ० म०ला० पाराशर सहित समूचे मंच ने किया ।

फ़ीरोज़ाबाद विधायक मनीष असीजा ने डॉ० यायावर को प्रेरक कवि एवं आदर्श शिक्षक बताया । मुख्य वक्ता असिधारव्रती समीक्षक डॉ० जितेन्द्र जौहर (सोनभद्र) ने अपने उद्‌बोधन में यायावर जी को ''उत्कृष्ट काव्य का विशेषज्ञ'' बताते हुए कहा कि ''शब्द को कोशीय अर्थ की औक़ात से बढ़कर बोलना चाहिए, अन्यथा उसका मौन रहना ही उचित है ।''

मुख्य अतिथि श्री मार्तण्ड जी ने यायावर जी के काव्य को 'कालजयी' बताया । कृष्ण कुमार यादव 'कनक', गौरव गाफ़िल, डॉ० यायावर, डॉ० ए०बी० चौबे, सत्येन्द्र सत्यम्, प्रमोद बाबू दुबे, राजेश 'सरल' एवं डॉ० पाराशर आदि ने काव्य पाठ किया । अध्यक्ष श्री दिवाकर वर्मा ने अपने उत्कृष्ट नवगीतों का पाठ करके वातावरण को गरिमामय बना दिया । उन्होंने अपने उद्‌बोधन में कहा कि ''अच्छा और सच्चा व्यक्ति ही अच्छा और सच्चा कवि बन सकता है, जो यायावर जी हैं ।'

कार्यक्रम का काव्यमय सरस संचालन अंग्रेज़ी विभागाध्यक्ष एवं मनीषा सचिव डॉ० सुन्दरवीर सिंह यादव एवं मनोविज्ञान प्रवक्ता सरस कवि डॉ० ए०बी० चौबे ने सम्मिलित रूप से किया । मनीषा अध्यक्ष प्रमोद दुबे के धन्यवाद ज्ञापन के साथ आयोजन गरिमापूर्ण ढंग से समाप्त हुआ । विधायक मनीष असीजा, बादशाह चतुर्वेदी, मान सिंह शर्मा, शारदा प्रसाद त्रिपाठी 'सुमन', डॉ० विपिन मेहरोत्रा, रमेशचन्द्र गुप्त, डॉ० दिनेश बाबू, डॉ० के०के० भारद्वाज, राकेश बाबू ताविश, पत्रकार द्विजेन्द्र मोहन शर्मा आदि सहित नगर के गणमान्य नागरिक एवं कविजनों ने कार्यक्रम में उपस्थित होकर उसे भव्य बनाया ।

पंडित मातादीन को मूर्तिदेवी स्मृति सम्मान

प्रजामंडल-आन्दोलन के प्रखर योद्धा तथा प्रमुख समाजसेवी पंडित मातादीन की 14वीं पुण्यतिथि पर, एक स्मृति-समारोह का आयोजन स्थानीय सेक्टर-13 स्थित 'अनुकृति सदन' में किया गया । मातादीन-मूर्तिदेवी स्मृति-संस्थान द्वारा सत्यपाल शर्मा के कुशल संचालन में संपन्न हुए इस समारोह की अध्यक्षता राज्यकवि उदयभानू 'हंस' ने की तथा स्वतंत्रता-सेनानी सम्मान-समिति, हरियाणा के अध्यक्ष हरिराम आर्य इस अवसर पर मुख्य अतिथि थे । पंडित मातादीन को, स्वतंत्रता-संग्राम का सच्चा सिपाही तथा कर्मठ कार्यकर्ता बताते हुए, उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में पंडित जी का योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा ।

यह जानकारी देते हुए संस्थान के अध्यक्ष तथा पंडित

जी के सुपुत्र डॉ॰ रामनिवास 'मानव' ने बताया कि डॉ॰ कान्ता भारती द्वारा प्रस्तुत इस समारोह के विशिष्ठ अतिथि वक्ता पूर्व ज़िला शिक्षा-अधिकारी मित्रसेन मल्होत्रा तथा डॉ॰ शिवनाथ राय ने पंडित मातादीन के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डाला, वहीं फ़रीदाबाद से पधारी मीनाक्षी जिजीविषा और जींद से पधारे राममेहर 'कमेरा' के अतिरिक्त डॉ॰ राजेश सरदाना 'जीवंत', डॉ॰ गीतू धवन, ग्रुरप्रीत सैनी, रणजीत टाडा, ओमप्रकाश 'दिलबर', ओम प्रकाश काद्यान, आर॰के॰ शर्मा, वीरेन्द्र सैनी, प्रेम आहुजा आदि स्थानीय कवियों ने भी काव्य-पाठ किया ।

उल्लेखनीय है कि इस सुअवसर पर 'लोकधर्मी पंडित मातादीन' और 'लोकसेवी' (स्मारिका) के साथ डॉ॰ शिवनाथ राय की पुस्तक 'केवल तुम नहीं' का लोकार्पण किया गया तथा हरिराम आर्य को 'मातादीन मूर्तिदेवी स्मृति-सम्मान' से भी नवाज़ा गया ।

अनोखीलाल कोठारी पर्यावरण साहित्यकार घोषित

पर्यावरण विभाग/वन विभाग, भारत सरकार एवं श्रीराम मोहनसेवा आश्रम एवं चन्दौसी मुरादाबाद (उ॰प्र॰) द्वारा पर्यावरण जागरूकता शिविर में स्मारिका (प्रथम पुष्प) के प्रकाशन में 31 पर्यावरण साहित्यकारों की सूची प्रकाशित हुई है । जिसमें मदर ग्लोरी पब्लिक स्कूल व घंटाकर्ण महावीर शिक्षा समिति उदयपुर के संस्थापक । निर्देशक श्री अनोखीलाल जी कोठारी का एस॰ न॰ 24 पर प्रकाशित कर पर्यावरण साहित्यकार घोषित किया है ।

श्री अनोखीलाल जी कोठारी को पर्यावरण साहित्यकार घोषित होने पर कई समाजसेवियों, प्रतिष्ठित नागरिकों, साहित्यकारों, कवियों, शुभचिंतकों ने हार्दिक बधाई देते हुए आपके यशस्वी उज्ज्वल भविष्य की कामना की है ।

दर्पण



भिक्षावृत्ति : एक ज्वलंत समस्या



महिलाओं की सामाजिक स्थिति पर अधिनियमों का प्रभाव

❖ मुहम्मद खुर्शीद आलम
(शोधार्थी, दरभंगा)

भारत में स्वतंत्रता के पश्चात बने सभी अधिनियम प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से स्त्रियों की स्थिति में सुधार करने से ही संबंधित रहे हैं । हिन्दू स्त्रियों को विवाह, परिवार और संपत्ति में परंपरागत रूप से सभी व्यावहारिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया था । इतना ही नहीं धार्मिक आदर्शों के नाम पर स्त्रियों का इतना शोषण हो रहा था कि उनका कोई स्वतंत्रता अस्तित्व ही नहीं रह गया था । नये सामाजिक विधानों ने स्त्रियों को उनके अधिकार देने और उन्हें पुरुषों के समान स्तर देने का प्रशंसनीय कार्य किया है । इन सभी अधिनियमों के प्रभाव से अब हिन्दू स्त्रियों की सामाजिक स्थिति और विभिन्न अधिकारों में जो परिवर्तन हुए हैं, उन्हें इस प्रकार समझा जा सकता है । मुस्लिम महिलाओं की स्थिति पर सामाजिक अधिनियमों का भी प्रभाव पड़ा है । विशेष कर मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार मुस्लिम महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की गयी है । इसके अलावा इस्लाम धर्म मुस्लिम महिलाओं को अपने क़ानून के अनुसार संपत्ति का अधिकार देता है । उनके लिए संकटपूर्ण स्थिति में तलाक़ एवं भरण-पोषण की व्यवस्था की गयी है । दहेज अधिनियम से भी इन्हें राहत मिली है ।

हिन्दू विवाह अधिनियम ने अनेक आधारों पर स्त्रियों को विवाह-विच्छेद के अधिकार दिये जिसके फलस्वरूप हज़ारों स्त्रियों ने पुरुष के शोषण की अपेक्षा विवाह-विच्छेद को स्वीकार किया । इसके फलस्वरूप पुरुष भी यह अनुभव करने लगे कि परिवार में स्त्रियों को पुनर्विवाह का अधिकार मिल जाने से भी हिन्दू स्त्रियों की स्थिति में सुधार हुआ है । वे न केवल अपनी जाति और धर्म में, बल्कि किसी जाति और धर्म के व्यक्ति से पुनर्विवाह कर सकती हैं । इस प्रकार हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 में विवाह को सामाजिक जीवन की एक बाधा न मानकर इसे पुनः सामाजिक अनुकूलन की एक महत्वपूर्ण संस्था के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है । नये अधिनियमों द्वारा बाल-विवाह को पूर्णतया समाप्त कर देने के कारण स्त्रियों को जीवन-साथी का चुनाव स्वयं करने का अवसर मिला है । साथ ही विवाह से पहले उन्हें इतना समय भी मिल जाता है कि वे उचित शिक्षा ग्रहण कर सकें । इस प्रकार स्त्री-शिक्षा के प्रसार में इन अधिनियमों ने अप्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण योगदान दिया है ।

नवीन सामाजिक अधिनियमों के प्रभाव से हिन्दू स्त्रियों की पारिवारिक स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं । वास्तव में विवाह का रूप परिवार के ढांचे और उसके सदस्यों की सामाजिक स्थिति को बहुत बड़ी सीमा तक प्रभावित करता है । हमारे समाज में स्त्रियों को विवाह के क्षेत्र में अधिकार मिलने और विवाह के समय उनकी इच्छा को महत्व मिलने के कारण संयुक्त परिवारों का परंपरागत ढांचा तेज़ी से टूटने लगा और इनके स्थान पर एकांकी परिवारों की संख्या बढ़ी । एकांकी परिवारों में निश्चय ही स्त्रियों की स्थिति संयुक्त परिवार से अधिक अच्छी रहती है । ऐसे परिवारों में अधिकांश निर्णय पति-पत्नी की पारस्परिक सहमति से लिए जाते हैं । इसका प्रत्यक्ष प्रभाव स्त्रियों की स्थिति पर पड़ता है । कुछ अन्य क्षेत्रों में भी इन अधिनियमों ने स्त्रियों की पारिवारिक स्थिति में सुधार किया है ।

अब परिवार में कोई भी पुरुष अपनी पत्नी की सहमति के बिना किसी बच्चे को गोद नहीं ले सकते । हिन्दू दत्तक ग्रहण व भरण-पोषण अधिनियम, 1956 के अनुसार पत्नी की सहमति लेना आवश्यक है । इसके अतिरिक्त एक विधवा स्त्री स्वयं अपनी इच्छा से किसी बच्चे को गोद ले

सकती है । जिसके फलस्वरूप परिवार में उसको एक सम्मानपूर्ण पद मिल सकता है, इसके अतिरिक्त यदि स्त्री को तलाक़ दे दिया गया हो अथवा स्त्री को पृथक्करण मिल गया हो तो वह स्त्री अपने पति से भरण-पोषण की राशि लेने की अधिकारी है । इस अधिकार के कारण परिवार में स्त्रियों का शोषण करने की प्रवृत्ति बहुत तेज़ी से कम होती जा रही है । परिवार में स्त्रियों को सबसे अधिक व्यावहारिक अधिकार हिन्दू नाबालिग़ी तथा संरक्षता अधिनियम 1956 के द्वारा मिला है । इसके अनुसार यदि किसी स्त्री के पति की मृत्यु हो गयी हो तो उस स्त्री को ही अपने बच्चों को संपत्ति का संरक्षक बनने का पहला अधिकार दिया जाता है । इसके फलस्वरूप स्त्री को केवल विधवा मानकर ही उसे सभी पारिवारिक अधिकारों से वंचित नहीं रखा जा सकता । दहेज निरोधक अधिनियम 1961 यद्यपि अधिक व्यावहारिक नहीं है लेकिन भविष्य में इसकी सहायता से स्त्रियों को इस प्रथा का व्यापक रूप से विरोध करने का प्रोत्साहन अवश्य मिलेगा । आज भी हज़ारों युवक व युवतियों द्वारा दहेज मांगने वाले परिवार में विवाह न करने की शपथ लेना इस विरोध को स्पष्ट करने लगा है ।

हिन्दू स्त्रियों की सामाजिक और पारिवारिक स्थिति उन्हें संपत्ति मिलने वाले वर्तमान अधिकारों से भी काफ़ी प्रभावित हुई है । इस कार्य में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, हिन्दू नाबालिग़ी तथा संरक्षता अधिनियम तथा हिन्दू गोद लेना तथा भरण-पोषण अधिनियम का प्रमुख योगदान है । इन अधिनियमों से पहले व्यवहार में स्त्रियां अपने पिता अथवा पति की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं पाती थीं । यदि उन्हें कुछ संपत्ति अधिकार मिलता भी था तो वह सीमित था । इस प्रकार स्त्री की मृत्यु के बाद यह संपत्ति पुन: पुरुष के उत्तराधिकारियों को मिल जाती थी । नवीन अधिनियमों से यह स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है ।

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम ने संपत्ति के अधिकार में स्त्री और पुरुषों को बराबरी का स्थान दिया है । इसके द्वारा न केवल सभी के लिए उत्तराधिकार की समान व्यवस्था लागू की गयी बल्कि स्त्री को अपनी संपत्ति पर पूर्ण अधिकार भी दिया गया है । अब स्त्रियां अपनी संपत्ति को बेच सकती हैं अथवा किसी के लिए भी इसकी वसीयत कर सकती हैं ।

इससे उसकी सामाजिक स्थिति में सुधार होना स्वाभाविक ही है । वर्तमान अधिनियमों में यह व्यवस्था है कि यदि पुरुष की ग़लती के कारण विवाह विच्छेद या पृथक्करण होता है तो ऐसी स्त्री अपनी और अपनी नाबालिग़ संतानों के लिए पति से भरण-पोषण की राशि पाने की अधिकारी है । इस व्यवस्था के कारण स्त्रियों से क्रूर व्यवहार करना बहुत कठिन हो गया है ।

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में यह भी स्पष्ट किया गया है कि किसी स्त्री को रोग या अन्य शारीरिक दोष के आधार पर उत्तराधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता । इस प्रकार परंपरागत रूप से स्त्रियों पर लाद दी जाने वाली कृत्रिम निर्योग्यता के समाप्त हो जाने के कारण ये अपने अधिकारों को अधिक सरलता से प्राप्त कर सकती हैं । हिन्दू नाबालिग़ी और संरक्षता अधिनियम के द्वारा स्त्री को अपनी नाबालिग़ संतान की संपत्ति का संरक्षक बनने के कारण स्त्रियों के संपत्ति अधिकार अधिक सुरक्षित हो गये हैं । अब एक विधवा की नाबालिग़ संतानों की संपत्ति का परिवार के दूसरे सदस्य मनमाना उपयोग नहीं कर सकते । इसके अतिरिक्त दहेज निरोधक अधिनियम के द्वारा उन सभी वस्तुओं पर स्त्री का अधिकार स्वीकार किया गया है जो उसके विवाह में धन अथवा वस्तुओं के रूप में उपहारस्वरूप मिली हो ।

इन सभी अधिनियमों ने सम्मिलित रूप से हिन्दू स्त्रियों में सामाजिक चेतना बढ़ायी है । आज स्त्रियां स्वयं वैवाहिक रूढ़ियों का विरोध करके अपने वास्तविक अधिकारों के प्रति जागरूक हैं । इसके फलस्वरूप अब अन्तर्जातीय विवाहों की संख्या में वृद्धि हो रही है । स्त्रियों को शिक्षा की पर्याप्त सुविधाएं मिलने के कारण वे ऐसे किसी निर्देश को मानने के लिए तैयार नहीं हैं जिन पर धर्म का आवरण चढ़ाकर स्त्रियों का शोषण करने का प्रयत्न किया जाता हो । स्त्रियों की मनोवृत्तियों में होने वाला यह परिवर्तन आगामी पीढ़ियों के विचारों को और अधिक प्रभावित करेगा । आज स्त्रियों को राजनीतिक जीवन में व्यापक अधिकार मिलने के कारण भी उनकी स्थिति में कहीं अधिक सुधार हुआ है ।

अत: स्पष्ट है कि भारत वर्ष में हिन्दू, मुस्लिम एवं अन्य समाजों में महिलाओं की स्थिति पर सामाजिक अधिनियमों का व्यापक प्रभाव पड़ा है तथा उन्हें उचित सम्मान मिला है ।

सफ़ेदपोश अपराध एवं इससे उत्पन्न परिणाम

❖ इक़बाल अहमद

सफ़ेदपोश अपराध की अवधारणा को विकसित करने का श्रेय अमेरिकी समाजशास्त्री एडविन एच॰ सदरलैंड को दिया जाता है, जिन्होंने 1939 ई॰ में अमेरिकी समाजशास्त्री संघ के 39वें अधिवेशन में सभापति के रूप में 'सफ़ेदपोश अपराधिता' (White Collar Criminality) पर एक शोध लेख पढ़ा जो कि बाद में 1940 ई॰ में 'American Sociological Review' नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ । 1949 ई॰ में सदरलैंड की 'White Collar Crime' नाम की पुस्तक प्रकाशित हुई, तभी से समाजशास्त्र में यह एक बहुचर्चित अवधारणा रही है ।

सदलैंड के अनुसार सफ़ेदपोश अपराध की परिभाषा इन शब्दों में की जा सकती है–''यह उच्च सामाजिक-आर्थिक वर्ग के व्यक्ति द्वारा अपने व्यावसायिक क्रियाकलापों के दौरान किया गया अपराधी क़ानून (Criminal Law) का उल्लंघन है ।'' उन्होंने बताया कि सफ़ेदपोश अपराध मुख्यत: विश्वास का उल्लंघन है । यह मुख्यत: दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है–(1) मिथ्या निरुपण तथा (2) धोखेबाज़ी ।

इनमें से प्रथम प्रकार का अपराध छल-कपट या ठगने के समान है, जबकि दूसरा प्रकार दोहरा संकट या दोगलापन है । दोगलेपन का अनिवार्य नियम यह है कि व्यावसायी या व्यापारी अपने मुवक्किल के सामने ऐसे बनता है जैसे उसकी अच्छाई के बारे में सोच रहा हो, जबकि वह वास्तव में उसे लूट रहा होता है । उदाहरण के लिए–किसी निगम के बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स का एक सदस्य यह जानता है कि निगम को अमुक संपत्ति चाहिए । वह उस अमुक संपत्ति को ख़रीद कर बहुत अधिक क़ीमत पर निगम को बेच देता है । इस प्रकार वह सदस्य अपने पद का दुरुपयोग करता है । वह सदस्य निगम के हितों का रक्षक होते हुए भी उसे खोखला कर रहा है । यह दोहरा संकट या दोग़लापन है ।

सदरलैंड ने अमेरिका के 200 प्रमुख संस्थानों में से 70 को अपने अध्ययन का आधार बनाया । इसके साथ ही 15 शक्ति तथा बिजली निगमों का भी विशेष.अध्ययन किया । अध्ययन के आधार पर सदरलैंड ने यह बताया कि समकालीन अमेरिकी समाज में सफ़ेदपोश अपराधों की भरमार है । इनके अनुसार व्यापार में सफ़ेदपोश अपराधिता अधिकतर निम्नलिखित रूपों में पायी जाती है–

1. निगमों के वित्तीय वक्तव्यों में मिथ्या निरुपण ।
2. व्यापार एक्सचेंज में चालबाज़ी ।
3. व्यापार से संबंधित रिश्वत ।
4. अपने पक्ष में ठेके लेने या क़ानून बनाने के लिए अधिकारियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रिश्वत देना ।
5. विज्ञापन व विक्रयकला में मिथ्या निरुपण ।
6. ग़बन व कोष का दुरुपयोग ।
7. ग़लत माप-तौल तथा वस्तुओं को श्रेणीबद्ध करने में बेईमानी ।
8. कर चोरी ।
9. रिसीवर तथा दिवालियापन होकर कोष का दुरुपयोग ।

इसके अतिरिक्त, अनेक अन्य स्वरूपों में भी सफ़ेदपोश अपराध पाया जाता है । सदरलैंड के अनुसार, ''सफ़ेदपोश अपराधों द्वारा समाज को जो हानि होती है वह निम्न सामाजिक-आर्थिक वर्ग के लोगों द्वारा सेंधमारी, लूटमार तथा तस्करी से होने वाली आर्थिक हानि से कहीं अधिक है ।'' इनका कहना है कि लाखों डॉलर की सेंधमारी के बारे में शायद ही किसी ने सुना हो, जबकि लाखों डॉलर का ग़बन कोई असामान्य बात नहीं है । साथ ही इनका कहना है कि, ''सफ़ेदपोश अपराध की क़ीमत शायद उन अपराधों, जिन्हें परंपरागत रूप से अपराध की समस्या माना जाता है, से कई गुना ज़्यादा होती है ।'' सफ़ेदपोश अपराध जितना संस्थाओं को नुक़्सान पहुंचाता है, उतना किसी और अपराध से नहीं होता । यह समाज के लिए अत्यंत घातक होता है, क्योंकि इससे अविश्वास की भावना फ़ैलती है, मनोबल कम होता है तथा बड़े पैमाने पर विघटन पैदा होता है । सामान्य अपराधों से संस्थाओं व सामाजिक संगठनों को इतना नुक़्सान नहीं होता, जितना सफ़ेदपोश अपराध से होता है ।

यद्यपि सफ़ेदपोश अपराध की न तो सूचना दी जाती है और न ही सामान्य अपराधों की तरह इस पर विचार किया

जाता है, फिर भी यह एक संगीन अपराध है । सदरलैंड ने सफ़ेदपोश अपराध की परिभाषा ही अपराधी क़ानूनों के उल्लंघन के रूप में की है । यह कसौटी कि सफ़ेदपोश अपराधियों पर न तो मुक़दमे चलते हैं और न ही उन्हें न्यायालय दोषी क़रार देता है । इसलिए यह कोई अपराध नहीं है, किसी भी अपराधशास्त्रीय अध्ययन के उद्देश्य से कम महत्वपूर्ण नहीं है । सदरलैंड का कहना है कि यह सत्य है कि सफ़ेदपोश अपराध का प्रशासकीय बोर्डों, ब्यूरों तथा कमीशनों, जिन्हें व्यापारिक क्रियाकलापों को नियंत्रित करने का उत्तरदायित्व दिया जाता है, को पता होता है । अगर इन विशिष्ट नियामक निकायों द्वारा इन उल्लंघनों को अपराधी न्यायालयों में लाया जाए, तो इनमें से अधिकांश को शायद ही सज़ा मिल सकती है ।

सदरलैंड के शब्दों में, ऐसा व्यवहार अपराध है, चाहे इसमें अपराधी न्यायालय से बच जाता हो । गैंगवादी, ठग तथा पेशेवर अपराधी सामान्यत: गिरफ़्तार होने तथा सज़ा मिलने से बच जाते हैं । सफ़ेदपोश अपराध के कर्ता इसी तरह अपराधी न्यायालय के कार्य के प्रति निरापदता विकसित कर लेते हैं । अगर यह निरापदता सफ़ेदपोश अपराध को अपराधी व्यवहार की श्रेणी से बाहर रखे तो पेशेवर व संगठित अपराध को भी इस श्रेणी से बाहर रखना चाहिए । इस प्रकार के चिंतन से सदरलैंड यह निष्कर्ष निकालता है कि, ''सफ़ेदपोश अपराध निम्न वर्गों द्वारा होने वाले अपराध की तरह ही है जिन्हें सामान्यत: अधिकारियों को सूचित किया जाता है तथा जो उनके द्वारा निबटाये जाते हैं ।''

सफ़ेदपोश अपराध क़ानूनी तथा समाजशास्त्रीय दृष्टि से आपराधिक प्रकृति का है चाहे इसके साथ अन्य अपराधों की तुलना में कहीं कम कलंक जुड़ा हुआ है ।

सदलैंड के शब्दों में सफ़ेदपोश अपराध क़ानून को विभिन्न रूप से लागू होने की दृष्टि से बाल अपराध के समान है । दोनों मामलों में, क़ाननों को इस प्रकार से संशोधित किया जाता है कि इनके करने वालों पर कलंक न लगे । बाल अपराधी क्योंकि निम्न सामाजिक-आर्थिक वर्गों से आते हैं तथा अपने नामों को बचाने के लिए संगठित नहीं होते, इसलिए इनके लिए परंपरागत आपराधिक विधियों में सफ़ेदपोश अपराध की अपेक्षा कम संशोधन किया गया है । क्योंकि बाल अपराधी पूर्णत: कलंक से मुक्त नहीं हो पाते हैं इसलिए उन्हें अपराधशास्त्रीय सिद्धांतों के विषय-क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है ।

सफ़ेदपोश अपराध में बाह्य प्रतीकों को पूर्णत: हटा दिया गया है (अर्थात अलग क़ानून बनाकर उन्हें कलंक से बचाया जाता है) इसलिए ये सिद्धांत सामान्य सफ़ेदपोश अपराध को अपने में समाहित नहीं करते हैं। सफ़ेदपोश अपराधों को निबटाने में क़ानूनों के विभिन्न रूप से क्रियान्वयन के लिए अनेक कारक उत्तरदायी हैं । सदरलैंड ने इसके तीन कारक बताए हैं–

1. व्यापारी अधिक प्रतिष्ठा व उच्च सामाजिक स्थिति रखते हैं ।

2. वे उन क़ानूनों को बनने से रोकने की क्षमता रखते हैं जिनसे उनके कार्य अधिक समीक्षा तथा नियंत्रण के अधीन हो जाएंगे ।

3. व्यापारियों द्वारा क़ानून का उल्लंघन बिना किसी निंदा के फूलता-फलता रहता है, क्योंकि अधिकांशत: उनके शिकार कमज़ोर होते हैं । उनमें सफ़ेदपोश अपराधियों को क़ानूनी चुनौती देने की क्षमता नहीं होती है ।

सफ़ेदपोश अपराध के परिणाम

सफ़ेदपोश अपराध एक ऐसा अपराध है जो आर्थिक हानि के साथ नैतिक हनन भी करता है । सामान्य अपराध से कम धन की हानि होती है परंतु सफ़ेदपोश अपराध से लाखों-करोड़ों रुपये की हानि होती है । सफ़ेदपोश अपराध जनता के अधिकारियों के प्रति तथा अपराध में लगे लोगों, दोनों के विश्वास को भंग करता है । विश्वास की मर्यादा नष्ट होने से लोगों में नैतिक भावना का पतन होता है । इस संदर्भ में सदरलैंड का कहना है कि सफ़ेदपोश अपराधी विश्वासघात करते हैं और इसलिए अविश्वास को जन्म देते हैं, जिससे समाज का नैतिक स्तर गिरता है और सामाजिक विघटन उत्पन्न होता है । सफ़ेदपोश अपराध अधिकतर उन क्षेत्रों में अधिक फैलते हैं जिनमें व्यापारिक जीवन अत्यंत जटिल होता है । इसलिए उनकी प्रकृति मुख्यत: आर्थिक होती है । सदरलैंड ने तो यहां तक कहा कि सफ़ेदपोश अपराध भी संगठित अपराध है, क्योंकि यह अकेले नहीं किये जाते अपितु अधिकतर संगठित रूप से किये जाते हैं । इससे होने वाली हानि साधारण अपराधों से होने वाली हानि से कहीं अधिक होती है ।

इन सब बातों से स्पष्ट होता है कि आज भारतवर्ष में बड़े पैमाने पर सफ़ेदपोश अपराध हो रहे हैं, 2जी घोटाला हो

या कोल आवंटन घोटाला, चारा घोटाला, मेडिसीन घोटाला, बिहार में अलकतरा घोटाला ये सब सफ़ेदपोश लोगों के संरक्षण में हुआ है । इससे स्पष्ट है कि व्यक्ति अधिक प्रतिष्ठा एवं उच्च सामाजिक स्थिति पर रहते हुए इस तरह का अपराध करता है तथा क़ानून को तोड़ता है । ऐसे लोगों की क़ानून द्वारा कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए तथा सामाजिक तौर पर भी ऐसे सफ़ेदपोश लोगों की निंदा की जानी चाहिए, तभी हमारा समाज इस व्याधि (बीमारी) से मुक्त हो सकेगा ।

(लेखक ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा (बिहार) के राजनीतिशास्त्र के शोधार्थी हैं।)

संदर्भ स्रोत

1. Crime and Business, E.H. Sutherland, Vol. 214, 1941, p. 112.
2. White Collar Criminality, E.H. Sutherland, American Sociological Review, 1950.
3. The Black Market, M.B. Clinard, A Study of white Collar Crime, 1952.
4. Crime and the Criminal, Paul Tappan, 1947.

दृष्टिकोण

मनोनिग्रह की आवश्यकता

● सुनीता शर्मा

मन बहुत कोमल होता है और इसको वश में रखना कठोर व्रत के समान होता है ! यदि मन अंतद्वंद्व का शिकार होता है तो प्राणी का मस्तिष्क असंतुलित हो जाता है ! जिस मनुष्य का मन शीघ्र विचलित हो जाता है उसके परिवार में अनुशासनहीनता, अव्यवस्था, दुराचार जैसे गुण पनपने लगते हैं ! मनोनिग्रह अत्यंत महत्वपूर्ण धरोहर है ! इसके बिना न तो आत्मिक संतोष और न ही समृद्धि प्राप्त होती है ! प्रत्येक मनुष्य का मन भिन्न-भिन्न आनंद में संतोष प्राप्त करता है! भौतिक आनंद जिसमें भौतिक सुखों की वृद्धि के लिए हर पल अग्रसर रहता है और फलाकांक्षा में मन में संतोष अथवा तृष्णा धारण कर लेता है, किन्तु जिस मन को आलौकिक आनद को प्राप्त करना होता है, वह ब्रह्म ज्ञान की खोज में तत्पर रहता है । वह अपने को ईश्वर के हवाले कर हरेक परिस्थिति में संतोष और आनद प्राप्त करता है !

मानव मन में अस्थिरता के कारण उसके गुण ही हैं ! इस मन के दो भाव हैं–चेतन और अवचेतन ! अवचेतन मन को अशुभ नहीं कहना चाहिए ! अपितु यह हमारे अतीत के कर्मों का भंडारण है, जिससे सदैव सीख मिलती है ! चेतन मन अहंकारी और भावुक होता है किंतु अवचेतन मन पर करुणा और धैर्य का प्रभाव रहता है ! मन में नित्य दिन दोनों भावों का समावेश होता है ! जिसमें वक़्त और परिस्थिति के हिसाब से उसमें घटत और बढ़त होती है !

चेतन मन को अवचेतन मन की ओर ले जाना कठिन है इसीलिए उसकी प्राप्ति के लिए अच्छे लोगों की संगति व भक्तिभाव अत्यंत आवश्यक है, जिसका गुण एकाग्रता है ! यह मन तब भटकता है जब हम स्वयं की खोज नहीं करते ! हम निरर्थक विवादों में दिलचस्पी और दूसरों के कार्यकलापों की जानकारी एकत्र करने में उत्सुकता रखते हैं, अपने दोषों को भूलकर, दूसरों के दोषों में अपना अमूल्य समय ख़राब करते हैं, तो मन चंचल होकर भटकता रहेगा !

मनोनिग्रह कोई सरल कार्य नहीं ! इसके लिए आत्म-विश्वास और दृढ़ निश्चय अत्यंत आवश्यक है ! सबसे पहले निर्मल और पवित्रता युक्त शुद्ध आचरण को जीवनशैली बनाना होगा । मन की इन अशुद्धियों को एक-एक करके तोड़ना होगा ! घृणा, क्रोध, भय, ईर्ष्या, लोभ और पराकर्षण का त्याग आवश्यक हैं ! यह तभी संभव है जब हम सात्विकता पर ध्यान दें ! सारा ध्येय सत, चित, आनंद की प्राप्ति होनी चाहिए, जिन्हें अपने मन को स्वस्थ बनाना है, उन्हें दुर्भावनाओं, शिकायतों और छोटी सोच से बचना चाहिए ! बोझिल मन को इस अवस्था की प्राप्ति मुश्किल से होती है ! हमेशा सृजनशीलता की ओर तत्पर रहना चाहिए ! आत्मनिरीक्षण द्वारा प्रत्येक दिन के घटित कार्यकलापों पर आत्ममंथन अत्यंत आवश्यक है ! मन को सदैव अंत:करण में तीक्ष्ण दृष्टी से देखना चाहिए और उनमें उत्पन्न विचारों को शोध मनुष्य द्वारा किया जाना अनिवार्य है की वह कुमार्गी या सुमार्गी बन रहा है !

अंतत: मन को नियंत्रित कर सुखी जीवन-यापन करना मनुष्य का परम धर्म होना चाहिए, जो उसे शुद्ध आचरण और संतोष की अविरल धारा की ओर अग्रसर करती है !

दोहे

बन्दर घुड़की मारता, समझ मुझे डरपोक ।
ऐसी तू आंधी नहीं, मुझको ले जो रोक ।।
मुझको मक्खी जान कर, दिखा रहा औक़ात ।
धूल चटाऊं मैं तुझे, झूठ नहीं यह बात ।।
संगी ही संगी बना, नहीं भले की आस ।
जाने दिल कब तोड़ दे, नहीं रहा विश्वास ।।
ऊपर से साथी बने, खींचे नीचे पैर ।
मेरे से किस जन्म का, साध रहा है बैर ।।
तेरी चुपड़ी बात पर, नहीं रहा इतिबार ।
मानव हांडी काठ की, चढ़े एक ही बार ।।
आज़ादी की आस में, पक्षी भरे उड़ान ।
व्याध रहे नित ताक में, लेता उसकी जान ।।
देखी हमने दुर्दशा, आया जब भूकंप ।
धरती भी कांपी बहुत, देख मौत के कम्प ।।
जनतंत्र कलुषित हुआ, कैसा है संजोग ।
शब्दों की हिंसा करे, अब तो नेता लोग ।।
राजा को दोषी किया, शेष कर रहे मौत ।
कैसी यह सरकार है, नहीं शेष की खोज ।।
आग पराई कूद कर, करता न अभिमान ।
तेरी अच्छी सोच है, सच्चा तू इन्सान ।।

रोहित यादव
सैदपुर, मंडी अटेली (हरियाणा)

भारत के राष्ट्रीय प्रतीक

- भारत का राष्ट्रीय ध्वज–तिरंगा
- भारत का राष्ट्र गान–जन-गण-मन
- भारत का राष्ट्रीय चिन्ह–अशोक स्तम्भ
- भारत का राष्ट्रीय पंचांग–शक संवत
- भारत का राष्ट्रीय वाक्य–सत्यमेव जयते
- भारत की राष्ट्रभाषा–हिन्दी
- भारत की राष्ट्रीय लिपि–देवनागरी
- भारत का राष्ट्रीय ध्वज गीत–हिन्द देश का प्यारा झंडा
- भारत का राष्ट्रीय नारा–श्रमयेव जयते
- भारत के राष्ट्रपिता–मोहनदास करमचंद गांधी
- भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार–भारत रत्न
- भारत का राष्ट्रीय वृक्ष–बरगद
- भारत की राष्ट्रीय मुद्रा–रुपया
- भारत की राष्ट्रीय नदी–गंगा
- भारत का राष्ट्रीय पक्षी–मोर
- भारत का राष्ट्रीय पशु–बाघ
- भारत का राष्ट्रीय फूल–कमल
- भारत का राष्ट्रीय फल–आम
- भारत की राष्ट्रीय योजना–पंचवर्षीय योजना
- भारत का राष्ट्रीय खेल–हॉकी
- भारत की राष्ट्रीय मिठाई–जलेबी
- भारत के राष्ट्रीय पर्व–26 जनवरी (गणतंत्र दिवस), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस) तथा 2 अक्तूबर (गांधी जयंती)।

संकलनकर्ता : **विद्या प्रकाश**

मुद्रक एवं प्रकाशक ख़लील अहमद द्वारा दावत ट्रस्ट (रजि०), D-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर, नयी दिल्ली-110025 से प्रकाशित एवं भारत ऑफ़सेट, गली क़ासिम जान, बल्लीमारान, दिल्ली–6 से मुद्रित।
फोन: 09818799223, 011-26949430
संपादक : डॉ० मुहम्मद अहमद

संस्था की लिखित अनुमति के बिना सम्पूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित है।

सेहतमन्द और रचनात्मक पत्रकारिता का प्रतीक

कान्ति

स्वस्थ चेतना का वाहक हिन्दी साप्ताहिक अख़बार

मीडिया आज का सबसे शक्तिशाली माध्यम है । इसी से जनमत बनाये और बिगाड़े जा सकते हैं । एक छोटी-सी अफ़वाह शांति से रह रहे लोगों के बीच दंगे का कारण बन जाती है और सच्ची जानकारी अशांतिपूर्ण माहौल को शांतिपूर्ण बना देती है ।

आज की बेमक़सद पत्रकारिता ने मीडिया की भूमिका को बिगाड़ कर रख दिया है । हिंसा, अपराध, कुकृत्य और अनैतिक कारनामों एवं महत्वहीन चीज़ों की सनसनीख़ेज़ प्रस्तुति ही पत्रकारिता समझी जाने लगी है । घोटालों, अनियमितताओं, राजनीतिक उठापटक की गाथाओं और नेताओं के काले कारनामों की एकांगी और प्रायोजित रिपोर्टिंग आदि से लोग तंग आ चुके हैं ।

इस विषमता भरे माहौल में 'कान्ति' (साप्ताहिक) एक ऐसा अख़बार है, जो नकारात्मक मुद्दों से हटकर सही दिशा में लोगों की रहनुमाई करता है । समाज में फैली बुराइयों एवं कुरीतियों का पर्दाफ़ाश करता और सार्वजनिक दोषों को निष्पक्षता एवं निर्भीकतापूर्वक सामने लाता है । आपकी समस्याओं को समझता और उनका हल पेश करता है । यह आपके मन को ही नहीं, आपकी आत्मा को भी संतुष्ट करता है । इसमें हर इन्सान के अंत:करण की स्वाभाविक ज़रूरत को पूरा करने के लिए आध्यात्म और रूहानियत पर सारगर्भित आलेख, दस्तावेज़ी और ज्ञानवर्द्धक रिपोर्टें और अन्य सामग्रियां प्रकाशित की जाती हैं ।

'कान्ति' (साप्ताहिक) आज से लगभग 54 वर्ष पूर्व प्रकाशित ऐसा अख़बार है जो इन्सानों को नेकी और भलाई के लिए उभारता है । अच्छे समाज के निर्माण और इन्सानों की ज़िन्दगियों को कामयाब बनाने के लिए रहनुमाई करता है । इस्लाम और मुसलमानों के बारे में फैली और फैलाई जा रही ग़लतफ़हमियों को सही तथ्य पेश कर दूर करने की कोशिश करता है । साथ ही देश और दुनिया की हलचल से बाख़बर रखता है और ख़बरों व घटनाओं पर संतुलित एवं शिक्षाप्रद टिप्पणी तथा विश्लेषण करता है ।

'कान्ति' पढ़िए और पढ़ाइए

इसे जन-जन तक पहुंचाने में आपका सहयोग अपेक्षित है।

प्रति कॉपी- ₹ 5 • वार्षिक- ₹ 250

प्रबंधक 'कान्ति' (साप्ताहिक)

डी-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर, नयी दिल्ली-110025

फ़ोन : 09818799223, 011-26949430

ADVT.

Posted on 20-21 January 2013
February 2013
E-mail: kantimonthly@hotmail.com
Publishing Date: 18.1.2013

कान्ति

RNI 53372/91
DL(S)-01/3147/2012-2014
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. U (SE)-73/2012-14

"علم اوربغیر علم والے یکساں نہیں ہوسکتے۔" (قرآن)



الحراء پبلک اسکول وہاسٹل، شاہ گنج، پٹنہ

AL-HIRA PUBLIC SCHOOL & HOSTEL

Muhammadpur, Shahganj, Patna.

★ CBSE Curriculum
★ English Medium
★ Quality Education
★ Co-curricular Activities
★ Seprate Hostel For Boys & Girls
★ Class Monitoring with CCTV
★ Regular Weekly Test.

☎ 0612-2685287, 09431087443

E-mail: alhirashahpat@sify.com

website: www.alhirapatna.com